हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

6 मार्च, 1980

खण्ड 1, अंक 4

अधिकृत विवरण

विशय सूची

वीरवार, 6 मार्च, 1980

	पृश्ठ संख्या
तारांकित प्रश्नों एवं उत्तर	(4) 1
तारांकित प्रश्नों संख्या 1430 पर आधे घंटे की चर्चा के लिए मांग	(4) 10
तारांकित प्रश्नों संख्या 1430 (पुनरारम्भ)	(4) 11
तारांकित प्रश्नों एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(4) 12
वैयक्तिक स्पश्टीकरण –	(4) 16
डा. मंगल सैन द्वारा	
वाक आउट	(4) 16
तारांकित प्रश्नों एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(4) 17
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(4) 20

अतारांकित प्रश्नों एवं उत्तर	(4) 36
प्रश्न सूची पर प्रश्नों की संख्या कम करना	(4) 37
औचित्य प्रश्न –	
जिला हिसार के चौधरीवास गांव में हरिजन लड़के के कत्ल सम्बन्धी	(4) 38
स्थगन प्रस्ताव –	
हथनी कुंड बैरेज के निर्माण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के मध्य 1974 का समझौता लागू करने सम्बन्धी	(4) 39
ध्यानाकर्शण सूचना –	
बिजली की कमी की वजह से रेतीले और पिछड़े इलाकों में फसलों की तबाही सम्बन्धी	(4)
वक्तव्य –	
खाद्य तथा पूर्ति मन्त्री द्वारा आवश्यक वस्तुओं अर्थात् मिट्टी का तेल, चीनी, सीमेंट, वनस्पति घी आदि की कमी सम्बन्धी	(4) 41

गैर–सरकारी संकल्प –	
पंचायती राज संस्थाओं के स्वस्थ विकास के लिए सभी पहलूओं से शक्तियों का विकेन्द्रीयकरण सम्बन्धी	(4) 45
समय की एलोकेशन के बारे में चर्चा	(4) 62
गैर–सरकारी संकल्प (पुनरारम्भ)	(4) 64
राज्यपाल के अभिभाशण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(4) 77

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 6 मार्च, 1980

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर 1, चण्डीगढ़ में 9.00 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबार, अब सवाल होंगे।

Police Officials belonging to Scheduled Castes

***1491. Capt. Mange Ram**: Will the Chief Minister to pleased to state –

(a) the total number of Constables, Head Constables, A.S.Is./S.Is. and D.S.Ps. in the State together with number out of those belonging to Scheduled Castes, Backward Classes and Ex-servicemen; and

(b) whether the number of Scheduled Castes employees referred to in part (a) above conforms to the reservation quota fixed for them; if not, the reasons therefor together with the steps, if any, taken or proposed to be taken by the Government to make up the shortfall?

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल):

(क)

	कुल संख्या	अनु. जातियों की संख्या	पि. श्रेणियों की संख्या	भू. सैनिकों की संख्या
सिपाही	12540	1935	1242	216
प्रधान सिपाही	2520	283	222	120
सहायक उपनिरीक्षक	694	41	36	15
उप–निरीक्षक	470	23	25	17
उप–पुलिस अधीक्षक	65	2		

(ख) नहीं। अनुसूचित जातियों के योग्य उम्मीदवारों की कमी के कारण उनके लिए निर्धारित प्रतिशतता पूर्ण नहीं की जा सकी है, फिर भी राज्या सरकार ने अनुसूचित जातियों के सदस्यों की प्रतिशतता की कमी को पूरा करने हेतू निम्नलिखित रियायतें प्रदान की हुई हैं:–

1. अन्यों के मुकाबले में अनुसूचित जातियों के प्रत्याशियों को सीधी भर्ती के लिए निर्धारित प्रार्थना–पत्र की फीस केवल 25 प्रतिशत देनी होती है।

2. उन्हें भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्श तक की छूट दी जाती है।

3. श्रेणी III के पदों में जो पद पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं उनका 20 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है।

4. सिपाही की भर्ती के लिए लम्बाई तथा छाती के नाप में एक–एक इंच की छूट दी जाती है।

5. सिपाहियों की भर्ती के लिए कम–से–कम शैक्षणिक योग्याता में छूट दी जाती है।

इन नीतियों के फलस्वरूप अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित पदों में वर्तमान प्रतिशतता की कमी को पूरा करने के लिए सब प्रयत्न किये जा रहे है।

चौ. टेक राम: स्पीकर साहब मैं आपके जरिए चीफ मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूं कि इनमें ए.एस.आई., एस. आई. और डी.एस.पी. कौन–कौन सी जाति के हैं अर्थात् कितने हरिजन हैं, कितने धानक हैं और कितने अन्य जातियों के हैं?

श्री अध्यक्ष: यह सैपरेट सवाल है।

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय यह तो मैं बता दूंगा, परन्तु कल को यह गोतवाइज पूछेंगे तो कैसे बताऊंगा?

श्री मांगे राम गुप्ता: क्या मुख्यमंत्री महोदय बतायेंगे कि जो रियायतें शिडयूल्ड कास्टम को दी गई हैं, क्या वही रियायतें बैकवर्ड क्लासिज को देने का विचार है?

चौ. भजन लाल: स्पीकर साहब यह छूट अभी तक शिडयूल्ड कास्टस को दी गई है। बैकवर्ड क्लासिज का जो कोटा फिक्सड है उसके मुताबिक पोस्टस दी जाती हैं।

चौ. पीर चन्द: स्पीकर साहब, आपके माध्यम से मैं चीफ मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं कि रियायतें देने के बाद भी हरिजनों का कोटा पूरा नहीं होता है तो क्या स्पैशल रिक्रूटमेंट की जायेगी?

श्री अध्यक्ष: इस सवाल का तो पहले ही जवाब आ चुका है।

डा. मंगल सैन: मुख्यमंत्री महोदय ने ''ए'' पार्ट के उत्तर में कहा है कि बैकवर्ड क्लास और एक्स सर्विसमैन का एक भी डी. एस.पी. भर्ती नहीं किया गया है। मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है?

चौ. भजन लाल: हरयिाणा बनने के पश्चात कोई भी सीधी भर्ती डी.एस.पी. की नहीं हुई है इसलिए कोढ भी डी.एस.पी. नहीं लिया गया।

चौ. राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, इस सवाल के जवाब में लास्ट लाइन्ज में कहा गया है: "In pursuance of the above policies of the Govt. every effort is being made to make good the shortage in the existing percentage of Scheduled Castes." मैं मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वे इसी कमी को पूरा करने के लिए क्या–क्या स्टैप्स ले रहे है?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इनकी सन् 1976 में 13.2 परसैंटेज थी, 1977 में 16.2, 1978 में 17.5 और 1979 में यह परसैंटेज 18.00 हो गई। इन फिग्र्ज से साथ जाहिर है कि हमने क्या स्टैप्स लिए हैं।

चौ. राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि शार्टेज को पूरा करने के लिए क्या कुछ कोशिश की जा रही है?

श्री अध्यक्ष: चीफ मिनिस्टर साहब ने जो परसैंटेज दी है उसके मुताबिक नतीजा सामने आ गया है कि उनकी हर साल परसैंटेज बढ़ रही है।

श्री जय नारायण वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चीफ मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार

सरकार ने अनुसूचित जाति के लोगों को सुविधायें प्रदान की हैं, क्या पिछड़े वर्ग के लोगौं को भी वे सुविधायें दी जायेगी?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, पहले बैकवर्ड क्लास की पांच परसैंट रिजर्वेशन थी। अब उसको पांच परसैन्ट से बढ़ाकर 10 परसैन्ट कर दिया है ताकि बैकवर्ड क्लास के नौजवानों को आबादी के हिसाब से पूरे स्थान मिल सकें। स्पीकर साहब, जो रियायतें शिडयूल्ड कास्टस को दे रखी हैं वही रियायतें बैकवर्ड क्लासिज को देने के बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और जो भी रियायत दे सकेंगे, देंगे।

चौ. बीरन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, चौ. देवी लाल की सरकार के टाईम पर कुछ ए.एस.आईज. की पोस्ट एडवटाईज हुई थी और उनका सिलैक्शन भी हो गया था। मैं मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उन्हीं सिलैक्टिड कैन्डीडेटस को लगाया जायेगा या इन पोस्टस को दुबारा एडवटाईज किया जायेगा?

चौ. भजन लाल: दुबारा ऐप्लीकेशन्ज के कर इन्ट्रव्यू लिए जायेंगे।

श्री फतेहचन्द विज: मुख्यमंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि हरियाणा बनने के बाद डी.एस.पीज. की डायरैक्ट भर्ती नहीं की गई है क्या सरकार डायरैक्ट डी.एस.पी. भर्ती करने के आदेशन जारी करेगी?

चौ. भजन लाल: इस पर विचार किया जायेगा।

श्री प्रीत सिंह: मुख्यमंत्री ने अभी जवाब में कहा है कि शिडयूल्ड कास्टस की सन् 1976 में 13.2 परसैन्टेज थी और यह सन् 1979 में 18.00 हो गयी। स्पीकर साहब, इसके बावजूद भी कुछ एक कैटेगरीज में इनकी अभी भी बहुत ज्यादा शौर्टेज है। क्या मुख्यमंत्री महोदय बतायेंगे कि इन कैटेगरीज की शौर्टेज को पूरा करने के लिए स्पैशल रिक्रूटमैंट की जाएगी?

चौ. भजन लाल: शिडयूल्ज कास्टस का पूरा ध्यान रखा जाता है। कोशिश यही होती है कि हर हालत में इनका कोटा पूरा किया जाये। अगर कैन्डीडेटस ही न मिलें तो मजबूरन दूसरे लगाये जाते हैं। पुलिस डिपार्टमैंट ऐसा है जिसमें ज्यादा देर तक इन्तजार नहीं कर सकते।

श्री प्रीत सिंह: स्पीकर साहब, मैंने तो यह पूछा है कि क्या कमी को पूरा करने के लिए स्पैशल रिक्रटमैंट करेंगे?

चौ. भजन लाल: कान्स्टेबल्ज की भर्ती में स्पैशल रियायत देने के बाद भी नहीं आ रहे हैं तो दूसरी पोस्टस के लिए कैसे आयेगे। पुलिस विभाग के ज्यादा देर तक पोस्टस को खाली नहीं रख सकते हैं।

कैप्टन मांगे राम: अध्यक्ष महोदय मैं आपकी मार्फत मुख्यमंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि यह जो फिगर्ज दी गई हैं यह कब तक की है? क्या स्पैशल रिक्रूटमैंट करने पर

विचार किया जा रहा है या कोई और क्राईटेरिया निर्धारित है जिससे यह कमी पूरी हो सकें?

श्री अध्यक्ष: इसका तो जवाब आ चुका है।

चौ. भजन लाल: हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगे कि इस कोटे को जल्दी पूरा किया जाये। लेकिन सरकार की मजबूरी यह है कि कई बार समय पर उम्मीदवार नहीं मिलते जिसके कारण यह कोटा समय पर पूरा नहीं किया जा सका।

Loading of Foodgrains

***1569. @ Sh. Shamsher Singh**: Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state –

(a) whether it is a fact that the Food Corporation of India and the Food & Supplies Department of Haryana are loading foodgrains for transporting for Safidon, Panipat, Julana, Jind, Kalayat and so many other places to Narwana from where the foodgrains are being loaded for outside destinations; and

(b) whether it is also a fact that the traders at Narwana are feeling seriously handicapped in loading their goods from Narwana Railway Station as the wagons available can hardly cope with the needs of the F.C.I. and the Food and Supplies Department; if so, the action taken so far to meet the requirement of wagons?

Food & Supplies Minister (Ch. Gajraj Bahadur Nagar):-

(a) Yes, Stocks of Kalayat, Julana and partly of Jind and Safidon are loaded for movement outside the State Ex-Narwana which is the only rail head in the Area approved for loading of foodgrains specials. Stocks of Panipat are not loaded ex-Narwana;

(b) No. The question does not arise.

श्री मांगे राम गुप्ता: स्पीकर साहब, नरवाना के आसपास के गांवों में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है जिसके कारण मण्डियों में काफी मात्रा में अनाज आ जाता है और सरकार उस अनाज को परचेज करके स्टोर कर लेती है। वहां से सारी रेल गाड़ियों प्रायरिटी बेसिज पर लोड होती हैं। प्रायरिटी बेसिज पर लोड होने की वजह से प्राईवेट डीलर्ज को ठीक समय पर गाड़ियों नहीं मिलतीं जिसके कारण व्यापारियों का काफी दिक्कत रहती है। क्या सरकार प्राईवेट व्यापारियों को भी प्रायरिअी बेसिज पर गाड़ियों को उपलब्ध कराने पर विचार करेगी?

चौ. गजराज बहादुर नागर: सारे हरियाणा में 13 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जहां पर स्पेशल ट्रेन लोड होती हैं। ट्रेनों की अलाटमैंट केन्द्रीय सरकार की तरफ से होती है, स्टेट की तरफ से नहीं होती।

@ Put by Shri Surrender Singh on his behalf.

चौ. हरस्वरूप बूरा: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार व्यापारियों को ट्रेनें उपलब्ध कराये जाने के लिए सैन्टर से रिकवैस्ट करने जा रही है?

चौ. गजराज बहादुर नागर: स्पीकर साहब अभी तक किसी भी प्राईवेट व्यापारी की तरफ से एप्रोच नहीं किया गया है कि गाड़ियों की दिक्कत आ रही है। अब मैम्बर साहेबान ने सरकार के नोटिस में यह बात लायी है तो सरकार स्पैशल ट्रेन की रियायत के लिए सैन्टर सरकार से जरूर रिक्वैस्ट करेगी।

Loss occurred on account of drought

***1430. Ch. Birrinder Singh**: Will the Minister for Revenue be pleased to state –

(a) the extent of damage caused to the Kharif Crop during the year 1979-80 on account of drought in the State; and

(b) whether the drought affected persons have been compensated for the loss referred to in part (a) above; if so, the details thereof?

राजस्व मंत्री (श्री शेर सिंह):

(क) 165 करोड़ रूपए।

(ख) यदपि फसल खरीफ की हानि के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया गया, परन्तु सूखा से प्रभावित व्यक्तियों को

काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अधीन दी गई सहायता के अतिरिक्त अन्य कई राहत कार्य आरमी किए गए हैं।

डा. मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी की सरकार के टाईम जिन किसानों की फसल ओलावृश्टि के कारण तबाह हो गई थी, उन किसानों को सहायता दी गई थी। क्या यह सरकार भी सूखे के कारण तबाह हुई फसलों के लिए कुछ सहायता किसानों को दैने पर विचार कर रही है? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: यह प्रदेश के जमींदारों के लिए एक बहुत अहम मसला है, इसको इतना लाईटली और हंसी मजाक में न लिया जायें।

चौ. शेर सिंह: सरकार ने हेल स्टौरग्ज के लिए जरूर रियायत दी थी लेकिन हरियाणा में 5 लाख एकड़ जमीन खराबे में आई हुई है, इसलिए इतनी सहायता दी जानी सम्भव नहीं है।

चौ. हुक्म सिंह: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने बताया है कि काम के बदले अनाज की स्कीम गांव में चल रही है और अन्य राहत कार्य भी चल रहे हैं। क्या मंत्री जी बताएंगे कि वे अन्य राहत के कार्य कौन–कौन से हैं?

चौ. शेर सिंह: सरकार ने लैण्ड टैक्स ओर आबयाने में माफी दी है। खराबा जहां पर 50 प्रतिशत से अधिक था वहां पर आबयाना में पूरी की पूरी माफी दी है। जहां पर 25 प्रतिशत से अधिक है परन्तु 50 प्रतिशत से अधिक नहीं है वहां पर 75 प्रतिशत

माफी दी है। जहां पर 25 प्रतिशत या इससे कम है वहां पर कोर्ठ रियायत नहीं दी गई। जहां पर हानि 50 प्रतिशत से अधिक थी वहां तकावी कर्जो की वसूली 6 मास के लिए मुल्तवी कर दी है और सहकारिता कर्जो को भी रि–शिडूयल किया गया है। स्पीकर साहब, सूखे से प्रभवित क्षेत्रों के एिल 5 लाख क्विन्टल भूसा खरीदने का निर्णय लिया गया है और यह भूसा 20 रूपये प्रति क्विन्टल के हिसाब से सबसीडाईज्ड रेट पर देने का फैसला किया गया है। फर्टीलाईपर की खरीद के लिए और तकावी के लिए तीन करोड़ रूपये दिए हैं तथा बीज के लिए 1.52 करोड़ रूपये दिए गए हैं।

चौ. बीरेन्द्र सिंह: मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहाता हूं कि क्या जिन किसानों ने अपनी फसल की बीजाई के लिए बीज डाले हैं, खाद डाला है और पानी दिया है, लेकिन फिर भी उनकी फसल खराब हो गई है तो क्या सरकार उन किसानों को भी कोई मुआवजा देने पर विचार कर रही है?

चौ. शेर सिंह: मुआवजा देने का कोई प्रस्ताव विचारधीन नहीं है।

Mr. Speaker: It is a very hypothetical question क्योंकि मुआवजा देना तो तभी सम्भव हो सकता है जब फसलों का इन्श्योरेंस कर दिया जाये।

चौ. उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, जिन किसानों के पास 4 किले जमीन है और उनकी चारों की चारों किलों की फसल खराब हो गई तो क्या उन चारों किलों को खराबे में शामिल करेंगे या गांव की परसैन्टेज निकाल कर उनकी सहायता की जायेगी?

चौ. शेर सिंह: अगर किसी किसान के चार के चार किले खराबे में आ गए हैं, तो उनको जरूर सहायता मिलेगी।

श्री अध्यक्ष: यह जा खराबा वर्क–आउट किया जाता है यह होल–बेसिज पर किया जाता है या इंडीवीज्वल बेसिज पर किया जाता है।

चौ. शेर सिंह: होल बेसिज व इंडीवीजुअल बेसिज दोनों पर किया जाता है।

चौ. संत कंवर: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने जो खराबा बताया है, वह 165 करोड़ रूपये का बताया है। यह जो खराबा निकालने के लिये एवरेज पैदावार ली जाती है, यह 10 मन प्रति एकड़ की पुरानी निर्धारित की हुई है। क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आज हरियाणा का किसान ज्यादा पैदावार करने लग गया है और 40–40 मन प्रति एकड़ पैदा करता है, ऐसी इन्सट्रक्शन्ज देगी कि आने वाले दिनों में खराबा की एवरेज 40 मन प्रति एकड़ के हिसाब से निकाली जाये?

चौ. शेर सिंह: स्पीकर साहब, इनकी यह बात दुरूस्त है, इस पर गौर किया जायेगा।

चौ. राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, यह जो जवाब मंत्री महोदय दे रहे हैं, उससे हम सन्तुश्ट नहीं हैं। इनके जवाब सैटिसफैक्टरी नहीं हैं, इसलिये इस सवाल पर हाफ एन आवर डिस्कशन हो जाये तो अच्छा रहेगा।

Mr. Speaker: I think the Hon. Minister has answered the questions quite satisfactorily and there is no need for it.

चौ. राम लाल वधवा: अध्यक्ष महोदय, सारे हरियाणा की जनता के लिये यह एक अहम प्रौब्लम है फारमर बिल्कुल तबाह हो चुका है .....(शोर व व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह: इस पर हाफ एनआवर डिस्कशन जरूर होनी चाहिए।

अपोजीशन बैंचिज की तरफ से आवाजें: जी हां, इस पर हाफ एन आवर डिस्कशन होनी चाहिए .....(शोर व व्यवधान)

चौ. राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, आपने खुद भी फरमाया है कि यह एक अहम मामला है। (शोर व व्यवधान) अब तो ट्रैज्री बैंचिज से भी डिमांड आ गयी है।

श्री सुरेन्द्र सिंह: यह जो फूड फार वर्क प्रोग्राम है, यह तो काफी लम्बे अर्से से चला आ रहा है, इस पर हाफ एन आवर डिस्कशन जरूर होनी चाहिए। (शोर व व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप पहले अपना सवाल पूछिए। (विध्न) It is a very important matter. You wanted to know the relief meansures the Government is taking. The Minister has already given the reply which, I think, is quite satisfactory.

श्री सुरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, कोई जवाब सैटिसफेक्टरी नहीं है। इनके जवाब से किसी की भी तसल्ली नहीं है।

Mr. Speaker: I beg to differ. I think, the Minister has answered the question quite satisfactorily, आप अपना सवाल पूछिए।

श्री सुरेन्द्र सिंह: मंत्री जी ने यह बताया है कि फूड फार वर्क प्रोग्राम तथा दूसरे राहत के कार्य ड्राउट अफैक्टिड एरियाज के अन्दर किये जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, पहले भी सूखा पड़ता रहा है और बाढ़ें वगैरह भी आती रही हैं। यह बात पहले कभी नहीं कहीं गयी थी कि सरकार मुआवजा नहीं देगी। (व्यवधान व शोर) जब भी अकाल पड़ता था, सरकार उन इलाकों के लोगों को मजदूरी देने के लिये कोई न कोई काम शुरू किया करती थी। (व्यवधान व शोर)

श्री अध्यक्षः यह तो मुआवजा देने की बात नहीं हुई, यह तो ड्राउट रिलीफ मैइयर्ज की बात है। (व्यवधान व शोर)

श्री सुरेन्द्र सिंहः नई सड़के बनाने का काम शुरू होते थे या नई नहरें खोदने के काम होते थे। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसे कोई प्रोजैक्ट शुरू करने का विचार रखती है?

चौ. शेर सिंहः अध्यक्ष महोदय, 4 करोड़ रूपया हमें भारत सरकार से उन इलाकों में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिये मिला है, जहां पर ड्राउट का अफैक्ट ज्यादा है। वह रूपया हमने सिंचाई विभाग को उस काम के लिए दे दिया है।

श्री अध्यक्षः मैं अपनी तरफ से भी गवर्नमैंट को यह सिफारिश करूंगा कि ड्राउट अफैक्टिड एरियाज में ड्राउट रिलीफ मैइयर्ज और फैमिन रिलीफ मैइयर्ज और तेजी से शुरू किये जायें तथा सैट्रल गवर्नमैंट को ऐप्रोच किया जाये कि वह हमें ज्यादा फन्डज दे ताकि हम जमीदारों के लिये और ज्यादा कुछ कर सकें।

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि सारे प्रान्त में बेहद सूखा पड़ा हुआ है और हम मैम्बर साहेबार की भावनाओं की कदर करते हैं। आप जानते हैं कि यदि हम मुआवजा देने की बात शुरू कर दें तो सारे का सारा बजट ही उसमें चला जायेगा। आजतक किसी भी सरकार ने (अकाल का) मुआविजा दिया नहीं है। जहां तक रिलीफ देने का

ताल्लुक है, सरकार ने ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने की कोशिश की है। जहां पर खराबा 50 प्रतिशत से ज्यादा हो गया है, वहां पर हमने आबियना और मालिय सारा माफ कर दिया है, बीज पर सबसिडी दी है, इसके साथ–साथ काम के बदले अनाज स्कीम पर भी काम करना तेज कर दिया है। खालें पक्की करने के साथ ही साथ जो कोआप्रेटिव लोन्ज हैं, वे सारे के सारे मुलतवी कर दिये हैं और हम कोशिश यह भी कर रहे हैं कि जहां पर चारा उपलब्ध नहीं है, वहां पर हम भूसा भिजवा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि सरकार पूरी तरह से जागरूक है। हम बजट के दायरे में रहते हुए जमींदारों की जितनी भी मदद कर सकते हैं, वह करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और किसी जगह से भी ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी कि फलां जगह यह सहायता नहीं मिली है। हमने यह आदेश भी जारी कर दिये हैं कि तकावी की वसूली उन इलाकों में नहीं की जायेगी जहां पर अकाल पड़ा हुआ है। (शोर व व्यवधान)

चौ. बीरेन्द्र सिंह: मंत्री महोदय ने बताया है कि जहां पर ज्यादा खराबा था, वहां पर ज्यादा रिलीफ दिया गया है। हमारे जीन्द डिस्ट्रिक्ट में दो सब–डिवीजन हैं एक तो सफीदों ओर एक नरवाना। सफीदों में जहां पर टयूबवैल्ज भी लगे हुए हैं और काफी आबपाशी हो सकती है वहां पर तो इन्होंने 146 में से 141 गांवों में खराबा दिखाया हुआ है लेकिन नरवाना सब–डिवजन में जहां पर कोई भी आबपाशी का साधन नहीं है, वहां वहां पर 136 में से

केवल 5 गांवों में खराबा दिखाया गया है, क्या मुख्यमंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस तरह की डिस्क्रिमीनेशन क्यों हो रहा है?

श्री अध्यक्ष: यह तो लोकल औफिशीयल्ज की वजह से हुआ होगा।

चौ. भजन लाल: स्पीकर साहब, इनकी भी यह बात ठीक है क्योंकि इनके सब–डीवीजन में यह जो सकता है कि केवल 5 गांव ही ऐसे हो जहां पर कि आधे से ज्यादा गावं में खराबा हुआ हो लेकिन दूसरे कई गांव ऐसे हो सकते हैं हैं जहां पर खराबा आधे से कम हिस्से में हुआ हो। हम पहले गांवों को इस तरह से गिनते थे कि जहां पर आधे से ज्यादा गांव में खराबा है, उनको हम खराबे वाले गांव में गिनते थे लेकिन अब हमने यह आदेश दिये हैं कि हरेक जमींदार के खेत पर जाकर यह देखा जाए कि वहां पर कितनी फसल खराब हुई है। अगर इसके नोटिस में ऐसी कोई बात है, तो यह हमारे नोटिस में लायें, हम बाकायदा उसकी जांच करवायेंगे और जो कोई भी दोशी पाया जायेगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।

चौ. सतबीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने 165 करोड़ रूपये का खराबा बताया है। जैसे इन्होंने एक किल्ले के अन्दर 10 मन का खराबा लिखा है, क्या यह 165 करोड़ रूपये

का 10 प्रतिशत यानी 16 करोड़ रूपया जमीदारों को रिलीफ देने के लिये तैयार हैं?

चौ. शेर सिंह: इसका तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

तारांकित प्रश्नों संख्या 1430 पर आधे घंटे की चर्चा के लिए मांग

आपोजीशन बैंचिज की तरफ से आवाजें: इस पर हाफ एन आवर डिस्कशन अलाऊ कीजिये।

चौ. राम लाल वधवा: इससे ज्यादा इम्पोर्टैन्ट सवाल हो नहीं सकता। सरकार जमींदारों को मुआवजा देने के लिए भी तैयार नहीं है। यह फूड फार वर्क प्रोग्राम तो नाम मात्र है। आप इस पर हाफ एन आवर डिस्क्शन अलाऊ कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष: आप लोग नोटिस दे दीजिये मैं इस पर विचार कर लूंगा।

तारांकित प्रश्नों संख्या 1430 (पुनरारम्भ)

चौ. उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय तो यहां पर उन इलाकों में रिलीफ देने की बात कर रहे हैं जहां पर सूखा पड़ा है। मैं इनको यह बताना चाहता हूं कि कई ऐसे गांव हैं जहां पर मवेशियों के लिये पीने का पानी भी खत्म हो गया है।

श्री अध्यक्षः वह तो आप इनको सैपरेट लिखकर बता दें।

चौ. उदय सिंह दलालः स्पीकर साहब, यह तो यहां पर यह कह रहे हैं कि हम वहां पर रिलीफ दे रहे हैं। (शोर व व्यवधान)

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, आप अपना सवाल पूछिए।

चौ. उदय सिंह दलालः स्पीकर साहब, मैं आपकी मार्फत सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि जिन गांवों में मवेशियों के लिये पाने का पानी बिल्कुल खत्म हो गया है क्योंकि जोहड़ सूख गये हैं, मवेशी या तो बीमार हो रहे हैं या फिर प्यासे मर रहे हैं, उसके लिये भी सरकार कोई प्रबन्ध करने के लिये तैयार है?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौ. मेहर सिंह राठी): जब भी गांव से कोई मवेशियों के लिये पानी न होने की दरख्वास्त आती है, तो हम फौरन जोहड़ मन्जूर कर देते हैं। (व्यवधान व शोर)

चौ. भजन लालः अध्यक्ष महोदय, जहां तक जोहड़ों में पानी डलवाने का ताल्लुक है, सरकार ने नीचे लैवल पर आदेश जारी किए हैं कि जहां कही से भी जोहड़ में पानी के एिल मांग आए उसमें सरकार से पूछने की आवश्यकता नहीं है। हर हालत में टैम्पोरेरी मोरी देकर जोहड़ भरवा दिए जाएं (व्यवधान)। स्पीकर साहब, मैं एक बात और बात दू कि ड्राउट आज से छः महीने

पहले से है और उस वक्त सैन्टर में चौ. चरण सिंह जी प्राईम मिनिस्टर थे। हमने उनसे बीस करोड़ रूपए की मांग की थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से चार करोड़ रूपया दिया था और आज यह कहते हैं कि यह करना चाहिए था, वह करना चाहिए था। उस समय इनको चाहिए था कि चौ. चरण सिंह से कहते कि हमें ज्यादा रूपया दिया जाए (व्यवधान व शोर) जिससे कि उस समय हम अधिक सहायता लोगों की कर सकते (व्यवधान) अब हम कोशिश करेंगे कि सैन्टर से ज्यादा पैसा लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: मेरा ख्याल है कि चौ. उदय सिह दलाल का बहुत जरूरी सवाल है कि जोहड़ों का पानी खत्म हो गया है अगर नहर वालों को आदेश दिया जाए कि उन जोहड़ो को पानी से भरा जाए तो ठीक रहेगा। इस बारे में श्री राठी साहब जवाब दे दें (शोर व व्यवधान)। अगर आप सवाल का जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं हैं तो आपकी मर्जी। ज्यादा शोर गुल मचाने से आप समझते हैं कि जोहड़ में ज्यादा पानी चला जाएगा तो यह ठीक नहीं है।

तारांकित प्रश्नों एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

Felling of trees in the Morni Hills

***1499. Dr. Mangal Sein**: Will the Minister of Revenue be pleased to state whether any conplaint against the felling to trees in the forests of Morni Hills in the State has

recently been received; if so, the contents thereof together with the action, if any, taken thereon?

राजस्व मंत्री (चौ. शेर सिंह): हां। पिछले तीस मास में पांच शिकायतें प्राप्त हुई थी। शिकायतें का विवरण तथा उन पर की गई कार्यवाही इस प्रकार है:–

1	बुंगा गांव के निवासियों ने यह शिकायत की कि श्री सुरज मनी, वन रक्षंक, की मिली भगत से 175–200 खैर के वृक्ष काटे गये हैं।	वन मंडल अधिकारी मोरनी ने मौके का निरीक्षण किया ओरयह पाया कि खैर के 72 वृक्ष अवैध रूप से काटे गये हैं। श्री सुरज मनी, वन रक्षक को निलम्बिल कर दिया है, आरोप पत्र जारी कर दिया है और जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया है। कर्मचारियों ने नुक्सान का पता शिकायत मिलने से पहले लगा लिया था।
2	टिबी गांव के निवासियों ने शिकायत की कि श्री शिव दयाल, वन रक्षक की मिली भगत से 4–5 ऊंट भोज खैर की लकड़ी उठाई गई है।	जांच उपरान्त शिकायत निराधार पाई गई है।
3	श्री गोबिन्द राम सुपुत्र श्री बनू राम निवासी गांव	यथोपरि

	आसरपाल ने यह शिकायत की कि गांव बलौटी में जंगल से चोरी से ऊंटों द्वारा लकड़ी ले जाई जाती है।	
4	गांव मन्डया के निवासियों ने शिकायत की कि सरकारी वनों से खैर की लकड़ी ऊंटों द्वारा उठाई जाती है।	यथोपरि
5	श्री बनारसी दास सुपुत्र श्री बालू राम निवासी मासूमपुर ने वन में अवैध चुराई तथा हानि की शिकायत की।	जांच उपरान्त शिकायत निराधार पाई गई है।

डा. मंगल सैन: मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या मोरनी की पहाड़ियों पर अवैधर काटने के इस मामले का ध्यान केन्द्रीय सरकार के नोटिस में आया था और क्या उन्होंने कोई अधिकारी यहां जांच के लिए भेजा था?

चौ. शेर सिंह: जी हां (व्यवधान)।

डा. मंगल सैन: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उस अधिकारी की जांच का परिणाम क्या था? क्या यह सच है कि उसका यह निश्कर्श था कि इसमें किसी बड़े आदमी का हाथ है? अगर यह सच है तो क्या उस आदमी के खिलाफ कार्यवाही करने के बारे में सरकार सोच रही है या उस मामले को हश–अप करने की कोशिश की जा रही है?

चौ. शेर सिंह: अध्यक्ष महोदय, ट्रिब्यून में समाचार छपा था कि मोरनी के जंगल काटे जा रहे हैं। केन्द्रीय सरकार ने श्री सोलंकी, डी.आई.जी., फौरेस्ट को इस बारे में जांच के लिए भेजा था। उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट भारत सरकार को दे दी थी और उस जांच रिपोर्ट की एक कापी हमारे पास आई थी। फौरेस्ट डिपार्टमैंट ने जो काम किया है मि. सोलंकी ने उसक बारे में अधिकतर सहमति प्रकट की है अगर आप इजाजत दें तो मैं पढ़कर सुना देता हूं।

डा. मंगल सैन: उन्होंने जो असहमति प्रकट की है उसको भी पढ़कर सुना दें।

चौ. शेर सिंह: स्पीकर साहब मैं पढ़कर सुना देता हूं वह इस प्रकार है–

नीलामी:	नीलामी में काफी हाजिरी थी और बोली में सख्त मुकाबला था। बोली की राशि बहुत ही

	अधिक थी।
पुनरोत्पादन के परिणामः	जिस क्षेत्र (कम्पार्टमैंट VI जोकि कम्पार्टमैंट V के साथ है) में कटाई हुई है, उसमें खैर का वृक्षारोपण किया गया है और बहुत ही अच्छी सफलता मिली है। कम्पार्टमैंट नं. V में पौधारोपण की सफलता 80 प्रतिशत है।
	खैर तथा विधि प्रजातियों की अग्रिम पैदावार (तीस सैन्टीमीटर लेफ्ट से नीचे) साफ कटाई के लिए मार्किग करते समय काटान से छोड़ दी गई है। क्षेत्र को वृक्षों से स्टाक करने के प्रयत्नों ने अच्छे परिणाम दिये हैं। मिट्टी नंगी नहीं रही है जिससे कि भूमि कटाव को कोई हानि हो। कम्पार्टमैट V में जिस वन–वर्धक पद्धति को प्रयोग में लाया गया है वह लाभदायक

	होगा। कम्पार्टमैंट v का 700 एकड़ क्षेत्र सफलतापूर्वक पौधों के भर दिया गया है। कम्पार्टमैंट v का वह भाग जिसमें वृक्षों की कटाई की गई है उसमें प्राकृतिक तथा कृत्रिम ढंग से भली भांति पुनः स्टाकिंग हो रही है।
वृक्षों की आवश्यकताएं	विभाग ने स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने का पर्याप्त प्रबन्ध किया है।

अध्यक्ष महोदय, जहां उन्होंने असहमति प्रकट की है, उसके बारे में कुछ टैक्नीकल सुझाव दिए हैं कि जहां साठ डिग्री का स्लोप है उसकी बजाए तीस डिग्री का स्लोप होना चाहिए। हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं। अगर यह उचित होगा तो देख लेंगे।

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, इन्होंने उनका सर्टिफिकेट तो पढ़कर सुना दिया और जहां उन्होंने असहमति प्रकट की है उसको दो शब्दों में कह दिया। इन्होंने बताया कि 2, 3, 4, 5 कम्पलेंटस हैं, उनकी जांच करने पर वे सही नहीं पाई

गई। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह जांच किस अधिकारी से कराई गई थी?

चौ. शेर सिंह: स्पीकर साहब डी.एफ.ओ. ने जांच की है।

डा. मंगल सैन: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इससे ऊपर के किसी अधिकारी से जांच कराने को सरकार तैयार है?

चौ. शेर सिंह: जी हां तैयार है। जिस अधिकारी के लिए डाक्टर साहब कहें उससे जांच करवा दी जाएगी।

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, अखबरों में इस डिपार्टमैंट को बुरी तरह से कंडेम किया है। मोरनी हिल्ज में तो सुरेन्द्र सिंह के पिता हरियाणा का सैक्रेटेरिएट बनाते–बनाते दिल्ली लोकसभा में चले गए और ये मोरंनी हिल्ज के पेड़ों को काट रहे हैं (शोर एवं व्यवधान)

मुख्य संसदीय सचिव (श्रीमती शांति देवी): स्पीकर साहब, इसमें सुरेन्द्र सिंह के पिता कहां से आ गए? (व्यवधान)

Discretionary Grants

***1559@Sh. Fateh Chand Vij, Master Shiv Parshad, Sh. Devi Dass**: Will the Minister for Transport be pleased to

state the amount of discretionary grants given by the Chief Minister and each Minister during the years 1977-78, 1978-79 and the period from 1.4.79 to 31.1.1980 and the amount given in each case together with the date, purpose and the names of places for which it was given?

Development Minister (Rao Ram Narain): The time and labour involved in preparing the answer to this question will be not commesurate with the benefits to be derived by honourable members.

श्री फतेह चन्द विज: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में यह कह कर टाल दिया है कि जवाब इकट्ठा करने में काफी समय लगेगा जिसका कि कोई लाभ नहीं होगा। स्पीकर साहब जो डिटेल हमने मांगी है वह तो इनकी सम्बन्धित ब्रांच से ही उपलब्ध हो सकती है। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि कौन–कौन सी जगहों से इन्होंने यह सूचना एकत्रित करनी है जिसके लिये काफी समय लगेगा?

श्री अध्यक्ष: विज साहब, आपका पूछने का मकसद क्या है? आया आप टोटल ग्राट के बारे में पूछना चाहते हैं या यह पूछना चाहते हैं कि किस–किस मंत्री ने कितनी–कितनी ग्रान्ट दी हैं?

श्री फतेह चन्द विज: स्पीकर साहब, हम यही जानना चाहते हैं कि कितनी–किनती ग्रान्अ किस–किस मिनिस्टर ने कहां–कहां दी हैं।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, अभी मिनिस्टर साहब ने यह सूचना इकट्ठी करने के लिये लेबर की बात की है। इनके पास हरेक की अलग–अलग डिटेल होती है और ये आसानी से बता सकते हैं, इसमें टाइम वेस्ट होने की क्या बात है? (शोर)

श्री अध्यक्ष: मैं आनरेबल मैम्बर से रिक्वैस्ट करूंगा कि वे किसी एक पर्टीकुलर मंत्री के बारे में पूछ सकते हैं लेकिन हर मंत्री ने कहां–कहां कितनी–कितनी ग्रान्ट दी है, यह बात बताना असम्भव है।

श्री हीरानन्द आर्य: स्पीकर साहब, यह तो सारा रिकार्ड इनके पास अवेलेबल होता है, आसानी से दे सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मेरे विचार में सारे मन्त्रियों की ग्रांट के बारे में कि उन्होंने कहां–कहां कितनी ग्रांट दी है, यह बताना असम्भव है। आपको किसी एक मंत्री के बारे में प्रश्न पूछना चाहिये।

चौ. राम लाल वधवा: मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ऐसे कौन–कौन से मंत्री हैं जिन्होंने मंत्री होते हुए डिसक्रिशनरी ग्रांट दी थी और अब वह ग्रांट इस सरकार क आने पर खत्म कर दी गई है?

@ Put by Sh. Fateh Chand Vij.

मुख्य मंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, जिस दिन हमारी सरकार का विलय कांग्रेस (आई) में हुआ था। (शोर एवं व्यवधान)

आवाजें: विलय नहीं, दल बदल कर गये थे। (शोर एवं व्यवधान)

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जब इनको पता लगा कि हम जा रहे हैं और इनसे इस्तीफे भी मांग लिये थे तो इन्होंने जाते–जाते पिछली डेटो में एक ही दिन में आधी से ज्यादा यानी 50–50 हजार रूपये की ग्रांटस दे दी और बाद में वह हमें कैसिल करनी पड़ी।

वैयक्तिक स्पश्टीकरण

डा. मंगल सैन

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, मेरा पर्सनल एक्सप्लेनेशन है। मेरे आदरणीय मित्र तो स्पीकर साहब नहीं कहूंगा

* * * *

श्री अध्यक्ष: यह रिकार्ड न किया जाए। There can be no personal explanation during the question hour. लेकिन फिर भी मैंने इसके बावजूद डा. मंगलसैन जी को बोलने का टाईम

दिया और उन्होंने परसनल एक्सप्लेनेशन देने की बजाये दूसरों पर एलीगेशन लगाने शुरू कर दिये। (शोर एवं व्यवधान)

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, वे जो भी कह रहे हैं, वह सरासर गलत कह रहे हैं। मुझे भी कुछ करने का हक हैं because I was one of the Ministers who resigned from his Cabinet.

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, क्वेश्चन आवर के दौरान पर्सनल एक्सप्लेनेशन या प्वांयट आफ आर्डर या पर्सनल एक्सप्लेनेशन देनी हो तो क्वैश्चन आवर के बाद उसको अवश्य टाइम दिया जाएगा ताकि वह अपनी बात कह लें लेकिन इसके बावजूद भी रूल्ज के खिलाफ जाकर, मैंने डाक्टर साहब को टाइम दिया कि वे पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे लें लेकिन उन्होंने बजाये पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने के दूसरो पर एलीगेशन लगाने शुरू कर दिये। (शोर एवं व्यवधान)

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, मेरी गुजारिश है..... (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: No point of order or personal explanation please.

वाक–आउट

डा. मंगल सैन: तो स्पीकर साहब, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं सिवाये।

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

(At this stage, Dr. Mangal Sein followed by other members of Janata Party, present in the House, staged a walk-out.)

श्री मूल चन्द जैन: स्पीकर साहब, मुझे भी एक दो मिनट बोलने के लिए चाहिये।

Mr. Speaker: After the question hour, Babuji, I will give you full opportunity.

तारांकित प्रश्नों एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

Dhansa Bund

*** 1555. Ch. Ude Singh Dalal**: Will the Minsiter for Irrigation and Power be pleased to state whether it is a fact that the Delhi Administration had given an undertaking to the Haryana Government in 1979 that the regulator of the Dhansu Bund would be extended to enable more flow of water out of it and, if so, the steps, if any, taken or proposed to be taken for the extension thereof?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौ. मेहर सिंह राठी):

हां।

इस वचन को जब नजफगढ़ ड्रेन तथा नजफगंढ अनुपूरक ड्रैनों के क्रमशः 40000 क्यूसिकस के लिये रिमोडल तथ 5000 क्यूसिक तक निर्माण हो जाने के बाद ही कार्यान्वित किया जा सकता है।

चौ. उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि बादली के अन्दर जो सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, हरियाणा सरकार उसको निकालने के लिये क्या प्रबन्ध करने जा रही है?

चौ. मेहर सिंह राठी: स्पीकर साहब, इस स्कीम को दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे पास भेजा था और हमने इस स्कीम को अपनी स्वीकृति देकर वापिस उन्हीं को ही भेज दिया है और उन्होंने आगे केन्द्रीय सरकार को भेज दिया है। आशा है कि इस स्कीम को जल्दी ही अमली जामा पहनाया जाएगा और यह काम शुरू हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर्ज, मैं अपनी तरफ से सरकार से कहूंगा कि इस प्वायंट को लेकर के जल्दी से जल्दी नजफगढ़ ड्रेन को चौड़ा करवाया जाए।

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): कोशिश करेंगे।

चौ. उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, मेरा सवाल था कि जो बादली के इलाके में बाढ़ के पानी का जमाव हो जाता हैं उसके निकालस का सरकार ने कया प्रबन्ध किया है?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, बाढ़ की रोकथाम के लिये हरियाणा सरकार बहुत जल्दी ही कदम उठा रही है। प्रान्त में 80 प्रतिशत बाढ़ के ऊपर काबू पा लिया गया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि नजफगढ़ ड्रेन को चौड़ा करने का मामला भारत सरकार के साथ टेक–अप करें और बहुत जल्दी ही इसके बारे में कोई फैसला हो जाएगा। सहमति आने पर इस स्कीम पर काम शुरू होगा।

चौ. उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, हमारी गवर्नमैंट तो कहती है कि यह खर्चा दिल्ली सरकार देगी और दिल्ली की सरकार कहती है कि हरियाणा सरकार देगी तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह झगड़ा कब तक ऐसे ही चलता रहेगा?

चौ. भजन लाल: स्पीकर साहब, मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस मामले को भारत सरकार के साथ टेक–अप कर रहे हैं। अगर भारत सरकार ने खर्चा करना होगा तो वह करेगी और अगर हरियाणा सरकार नले करना होगा तो हम करेंगे। जहां तक हमारी तरफ से इस काम के लिये खर्चा करने का ताल्लुक है इसके लिये प्राथमिकता दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष: इसमें कोई शक नहीं है कि इस सरकार ने बाढ़ की रोकथाम के लिये जो कार्यवाही की है वह बहुत सराहनीय है। साहबी नदी पर बांध बांधा गया और नजफगढ़ ड्रेन चौड़ी की जा रही है।

श्री बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, अभी मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि इस ड्रेन का काम अगर सैन्टर ने शुरू करना होगा तो वह करेगी और अगर हरियाणा ने शुरू करना होगा तो हरियाणा करेगा। आपने भी गवर्नमैंट को इस बारे में कहा और गवर्नमैंट ने विश्वास दिलाया है कि बहुत जल्दी काम शुरू करेंगे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब यही नहीं पता कि काम किसने शुरू करना है तो बहुत जल्दी काम कैसे शुरू हो जाएगा?

चौ. भजन लाल: स्पीकर साहब, हमारी टैरेटरी में हमने काम करना है और उनकी टैरेटरी में उन्होंने करना है।

चौ. संत कंवर: स्पीकर साहब, नजफगढ़ ड्रेन के साथ बिल्डिगें बन चुकी हैं इसलिये दिल्ली सरकार इस स्कीम को पास नहीं करेगी।

श्री अध्यक्ष: यह बड़ा हाइपोथैटिकल क्वैशचन है। जब दिल्ली सरकार ने कह दिया है कि हम नजफगढ़ ड्रेन को चौड़ा करेंगे तो बिल्डिगों के मामले पर भी वह विचार करेगी। दिल्ली सरकार का मामला आप यहां पर डिस्कस नहीं कर सकते।

श्री भले राम: मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब चौ. देवी लाल चीफ मिनिस्टर थे तो उस समय सभी एम.एल.एज. को आदेश किय गया था कि वे गांवों में बांधने के काम में सहायता करें। क्या राठी साहब आपने भी कोई टोकरी उठाई थी? (हंसी)

चौ. मेहर सिंह राठी: उस समय ये नुमाइशी वजीर थे और नुमाइश के तौर पर ही वह काम हो गया था। वैसे भले राम और मेरे को टोकरी दे दो, फिर देख लेना दोनों में से कौन ज्यादा मिट्टी गेरता हैं। (शोर)

श्री अध्यक्ष: राठी साहब, यहां तो अपने सभी दोस्त टोकरी गेरने के लिये तैयार हैं।(शोर)

Levelling of land lying along Jawahar Lal Nehru Canal in Gohana Constituency

***1544. Chaudhri Ganga Ram**: Will the Minister for Revenue be pleased to state –

(a) whether there is any scheme under consideration of the Govt. to get all the land lying along the Jawahar Lal Nehru Canal in Gohana Constituency levelled at Govt. expense; if so, the time by which it is likely to be levelled ; and

(b) if not, whether the lands of some farmers were levelled there by the Govt. ?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौ. मेहर सिंह राठी):

(क) नहीं। तथापि जिन किसानों की भूमि में नहर के निर्माण हेतू मिट्टी लेने से गड्ढे पड़ गए हैं उनकी भूमि को

सरकारी खर्च पर समतल किया जायेगा। यह कार्य अक्तूबर, 1980 तक पूर्ण होगा।

(ख) इस क्षेत्र में ऐसे गढ्ढो वाली 295 एकड़ भूमि समतल की गई है।

चौ. गंगा राम: स्पीकर साहब, मैंने इस सवाल में जो बात पूछी थी उसका जवाब मिनिस्टर ने नहीं दिया है। मैंने पूछा था कि किन–किन किसानों की जमीन लैवल की गई है और कौन कौन सी जमीन लैवल की गई है?

श्री अध्यक्ष: इसकी कोई खास आवश्यकता नहीं है।

चौ. गंगा राम: स्पीकर साहब, इसकी आवश्कता यह है कि .....

श्री अध्यक्ष: आपके सवाल में यह कही नहीं लिखा है कि उन किसानों के क्या नाम हैं और कितनी जमीन लेवल की गई है।

चौ. गंगा राम: मेरे सावाल के पार्ट (बी) में यह पूछा गया है कि "Whether the lands of some farmers were levelled there by the Govt."

श्री अध्यक्ष: आपका सवाल कई बार बदली हो लिया। आप शायद पुराना सवाल लिये बैठे हो। पिछली दफा आपके पास कागज नहीं पहुंचे थे। अब मैं आपको खुद वह दे देता हूं। (हंसी)

चौ. गंगा राम: मेरा पूछने का तात्पर्य यह था कि किन किसानों की जमीन को लेवल किया गया है * * * *

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहब ने जो कुछ ऊपर बोला है वह रिकार्ड न किया जाए।

चौ. हर स्वरूप बूरा: अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने बताया कि सरकारी खर्चे पर यह जमीन समतल करवा दी गई है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो मिट्टी ट्रकों में लाई गई, क्या वह साथ की जमीन से उठाई गई या कहीं ओर जगह से लाई गई। अगर साथ की जमीन से उठाई गई है तो क्या उन किसानों की मुआवजा दिया जाएगा जिनकी जमीनों में गड्ढे डल गये है?

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): स्पीकर साहब, जब एक जमीन को हम लैवल करने जा रहे हैं तो दूसरी जमीन में गडढे डालने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मिट्टी तो दूर से लानी पड़ती है जो 80–85 एकड़ जमीन लैवल करनी बाकी रहती है वह अक्तूबर, 1980 तक समतल कर दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष: अब सवालों का समय समाप्त होता है।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Reservations in Government Medical College, Rohtak

***1492. Capt. Mange Ram**: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether any seats for admission to the post graduate classes in the Government Medical College, Rohtak have been reserved for the Scheduled Castes; and

(b) of reply to part (a) above be in the negative whether there is any proposal under consideration of the Government to reserve seats for the Scheduled Castes as referred to in part (a) above?

Chief Minister (Chaudhri Bhajan Lal):

(a)&(b) State Government has since tentatively decided that it

*Not recorded as ordered by the Chair.

would be desired to make 20% reservation for Scheduled Castes and Backward Classes subject to the concurrence of Medical Council of India to which a reference has been made.

Science and Mathematics Teachers

***1431. Chaudhri Birinder Singh**: Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) the total number of sanctioned posts of Science and Mathematics teachers in the State;

(b) the total number of posts out of those referred to in part(a) above which have been filled up on regular basis and on adhoc basis, separately ; and

(c) whether regular teachers are not working on the above mentioned posts; if so, whether Government is considering to fill up these posts by regular appointments ?

Chief Minister (Chaudhri Bhajan Lal):

(a)	Science Masters/Mistresses		2537 Posts
	Mathematics Masters/Mistresses		1850 Posts
		Regular	Adhoc
(b)	Science Masters/Mistresses	1669	833
	Mathematics Masters/Mistresses	1232	606
(c)	Yes, Sir. Vigorous efforts are being made to fill up the posts by regular appointments.		

Adult Education Centres

***1500. Dr. Mangal Sein** : Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether any amount was allocated for the Adult Education Scheme in the State during the years 1977-78, 1978-79 and 1979-80, if so, the total amount thereof ; and

(b) the names of the places where the Adult Education Centres were opened during the period as referred to in part (a) above?

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

(क) जी हां, स्कीम के लिए कुछ आबंटित राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:–

क्रमांक	वर्श	बांटी गई राशि
		(रू. लाखों में)
1	1977–78	12.72
2	1978–79	59.16
3	1979–80	68.39
	कुल	140.27

(ख) वर्शवार केन्द्रो की संख्या नीचे दी जाती है:–

क्रमांक	वर्श	केन्द्रो की संख्या
1	1977—78	998
2	1978—79	2856
3	1979—80	3142

जिन स्थानों पर केन्द्र कार्य कर रहे हैं, उन स्थानों के नामों की विवरण सूची एकत्रित करके संकलित करने में जो समय और श्रम लगेगा, उसकी तुलना में इतना लाभ नहीं होगा।

Grants to Municipal Committees

***1560. Shri Fateh Chand Vij, Master Shiv Parshad, Shri Devi Dass**: Will the Minister for Local Government be pleased to state the names of Municipal Committees to which grants were given during the years 1977-78, 1978-79 and the period form 1-4-79 to 31-1-80 together with the amount thereof in each case and date on which it was given ?

स्थानीय शासन मंत्री (चौ. खुरशीद अहमद): एक स्टेटमैंट विधान सभा के पटल स्थान पर प्रस्तुत है।

स्टैटमैंट

वर्श	क्रम संख्या	नाम नगरपालिका	राशि	स्वीकृति की तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1977—78	1	रोहतक	70000	16.3.78	
	2	झज्जर	50000	16.3.78	
	3	बहादुरगढ़	30000	16.3.78	
	4	महम	20000	16.3.78	
	5	बेरी	20000	16.3.78	
	6	गोहाना	20000	16.3.78	
	7	फिरोजपुर	17000	16.3.78	
	8	तावडू	17000	16.3.78	
	9	नूह	17000	16.3.78	
	10	कल्यात	15000	16.3.78	
	11	सफीदों	12000	16.3.78	
	12	कैथल	15000	16.3.78	

	13	कालका	15000	16.3.78	
	14	पानीपत	30000	16.3.78	
	15	हांसी	15000	16.3.78	
	16	रतिया	10000	16.3.78	
	17	डबवाली	20000	16.3.78	
	18	कलांवाली	10000	16.3.78	
	19	कनीना	15000	16.3.78	
	20	चरखी दादरी	11000	16.3.78	
	21	बवानी खेड़ा	10000	16.3.78	
	22	रिवाड़ी	16000	16.3.78	
	23	महेन्द्रगढ़	15000	16.3.78	
1978—79	1	हिसार	30000	3.3.79	
	2	हांसी	25000	3.3.79	
	3	सिरसा	30000	3.3.79	

	4	रानियां	10000	3.3.79	
	5	कलांवाली	10000	3.3.79	
	6	भिवानी	30000	3.3.79	
	7	नारनौल	30000	3.3.79	
	8	महेन्द्रगढ़	10000	3.3.79	
	9	बावल	10000	3.3.79	
	10	फिरोजपुर झिरका	10000	3.3.79	
	11	होडल	10000	3.3.79	
	12	नूंह	10000	3.3.79	
	13	गोहाना	20000	3.3.79	
	14	झज्जर	30000	3.3.79	
	15	महम	15000	3.3.79	
	16	कलानौर	25000	3.3.79	
	17	करनाल	90000	3.3.79	
	18	नीलोखेडी	10000	3.3.79	

	19	पेहवा	20000	3.3.79	
	20	शाहबाद	20000	3.3.79	
	21	नरवाना	20000	3.3.79	
	22	कल्यात	10000	3.3.79	
	23	कालका	15000	3.3.79	
	24	ऐलनाबाद	10000	3.3.79	
	25	रोहतक	1000000	3.3.79	सड़कों के बनाने तथा नालों के बनाने तथा मुरम्मत और वर्शा के पानी के नालों की मुरम्मत इत्यादि के लिए।
	26	सिरसा	1000000	9.11.78	सड़कों के बनाने तथा नालों के

					बनाने तथा मुरम्मत और वर्शा के पानी के नालों की मुरम्मत इत्यादि के लिए।
	27	डबवाली	1000000	28.11.78	सड़कों के बनाने तथा नालों के बनाने तथा मुरम्मत और वर्शा के पानी के नालों की मुरम्मत इत्यादि के लिए।
	28	अम्बाला शहर	500000	28.11.78	विभिन्न विकास कार्यों के लिये।
1979–80 (1–4–79 से 31–1–80 तक)					

	1	फरीदाबाद	3500000	30.1.80	शहरी गन्दी बस्तियों के सुधार के लिये।
	2	हिसार	1000000	30.1.80	शहरी गन्दी बस्तियों के सुधार के लिये।
	3	नारनौल	500000	30.1.80	शहरी गन्दी बस्तियों के सुधार के लिये।

* यह राशि निकलवाई नहीं गई जैसा कि उपायुक्त सिरसा ने सूचित किया क्योंकि नगरपालिका ऐलनाबाद, पंचायत समिति में बदल दी गई थी।

Construction of roads by block Samiti and Zila Parishads

***1556 Chaudhri Ude Singh Dalal:** Will the Minister for Public Works (B&R) be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to take over those roads which at present are under the control of Zila

Parishads/Block Samitis together with time by which these are likely to be taken over?

लोक निर्माण मंत्री (कंवर राम पाल सिंह):

नवम्बर 1973 में जिला परिशदों के समाप्त हो जाने पर, जिला परिशदों की 140 मैटल्ड सड़कों को लोक निर्माण विभाग ने अपने अधीन ले लिया था। सरकार ने 53 ब्लाक समिति सड़कों का भी नवम्बर, 1979 में प्रान्तीयकरण किया है। जिला परिशद तथा पंचायत समितियों की बकाया सड़कों का प्रान्तीयकरण भी एक सप्ताह के भीतर कर दिया जायेगा।

Matching Grants

***1545 Chaudhri Ganga Ram** : Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state-

(a) the names of places in tehsil Gohana where Chaudhri Devi Lal, Ex-Chief Minister of Haryana declared to give matching grants together-with the amount thereof in each case;

(b) whether such declared matching grants have been given to the concerned villages;

(c) if so, the names of villages to which these grants have been given together with the amount given in each case; and

(d) if not, the reasons therefor ?

Development and Panchayat Minister (Rao Ram Narain) :

(a) The names of the villages are given in the enclosed list which is laid on the Table of the House.

(b) Not yet.

(c) In view of (b) above the question does not arise.

(d) The cases are being processed in accordance with the provisions of the Haryana Matching Grants for Development Work Rules 1979.

List

Sr. No.	Name of the village	Amount presented	Amount announced	Tehsil
1.	Rewara	5100	5100	Gohana
2.	Ahulana	1100	1100	-do-
3.	Butana	101000	101000	-do-
4.	Kohla	10000	10000	-do-
5.	Nooran Khera	1100	1100	-do-
6.	Jagsi	14756	29512	-do-
7.	Rukhi	2000	2000	-do-

8.	Ghilour Kalan	30000	60000	-do-
9.	Rithal	270000	540000	-do-
10.	Anwali (i) (ii)	280000 5100	560000 7000	-do- -do-
11.	Bhainswal(Mithan) Bhainswal (Bawla)	10000 10000	10000 10000	-do- -do-
12.	Khanpur Kalan	40000	40000	-do-
13.	Khanpur Khurd	10000	20000	-do-
14.	Baroda Thuthan	12000	12000	-do-
15.	Baroda Mor	8000	8000	-do-
16.	Ishpur Kheri	101	101	-do-
17.	Bhainswal	5100	5100	-do-

Suicides committed by the married women in the State

***1416 Chaudhri Har Swarup Bura** : Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the district-wise total number of suicides committed by the married women in the State during the period from July, 1977 to-date; and

(b) the total number of suicides committed out of those referred to in part (a) above because of inadequate

dowry having been brought by them and the demands of the in-laws or the husbands for bringing more dowry was not fulfilled ?

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल):

(अ)	भिवानी	40
	हिसार	92
	सोनीपत	89
	महेन्द्रगढ़	71
	गुड़गावां	14
	फरीदाबाद	19
	अम्बाला	10
	कुरूक्षेत्र	32
	रोहतक	
	सिरसा	
	जीन्द	
	करनाल	60
	राजकीय रेलवे	33

	पुलिस हरियाणा, अम्बाला छावनी	
	कुल	46
(ब)		10

Supply of water per head in the rural 7 & urban areas

***1462. Shri Hira Nand Arya** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether any norm for water supply per head in the rural and urban areas in the State has been fixed; if so the details thereof;

(b) the names of the villages where water at the rate of five gallons per head is being supplied; and

(c) the population of each village referred to in part (b) above at the time of the start of the water supply scheme there together with their present population ?

***Interim Reply**

"Mehar Singh Rathi D.O. No. 35/3/80-PHG(3)

Irrigation and Power Minister,

Haryana.

Dated March, 1980

My dear

I invite your attention to Starred Vidhan Sabha Question No. 1462 to be asked by Shri Hira Nand Arya, M.L.A. which is due for answer on the 6th March, 1980.

*Final reply appears as an Annexure to this Debate.

2. In this connection I would like to point out that while information in regard to part (a) of the question is available at the Head-quarters, parts (b) and (c) would require collection of information from the field agencies-specially the information required in the part (c) where the latest population figures of each village are to be supplied. In view of this position it will take atleast a month's time to collect this information. I have, however, directed the Department to collect it on top priority basis and this will be supplied to the Vidhan Sabha as soon as it becomes available. Accordingly, extension, as asked for, may be allowed.

Yours sincerely,

Sd/-

(Mehar Singh Rathi)

Col. Ram Singh, Speaker

Haryana Vidhan Sabha, Chandigarh."

Suspension of Tahsildars, Naib Tahsildars

***1452. Chaudhri Jagjit Singh Pohloo :** Will the Minister for Revenue be pleased to state-

(a) the district-wise total number of Tahsidars, Naib tahsildars, Kanungos and Patwaris suspended during the years 1977-78, 1978-79 and 1979-80 (upto 31st December, 1979) separately; and

(b) the district-wise number of officials out of those referred to in part (a) above re-instated so far separately?

Revenue Minister (Ch. Sher Singh): A statement is laid on the table of the House.

STATEMENT

Part (a) Tahsildars, Naib Tahsildars, Kanungos and Patwaris suspended.

		1977-78	1978-79	1979-80	
	Tahsildars		1		At the time of suspension the Tahsildar was

					working in Bhiwani District
	Naib Tahsildars,		1		At the time of suspension the Naib Tahsildar was working in Karnal District.
	Kanungos				
1	Bhiwani	1	1		
2	Ambala				
3	Kurukshetra		1		
4	Karnal		2	1	
5	Rohtak			1	
6	Sonepat				
7	Sirsa			1	
8	Gurgaon				
9	Jind				

10	Mohindergarh				
11	Hissar				
12	Faridabad				
	Patwaris				
1	Ambala		4	2	
2	Kurukshetra		8	5	
3	Karnal		11	2	
4	Rohtak		1		
5	Sonepat	1	3	1	
6	Sirsa	3	10	3	
7	Bhiwani	4		1	
8	Gurgaon	3	1		
9	Jind	3	1	3	
10	Mohindergarh	2	6	5	
11	Hissar		1	3	
12	Faridabad				

Part (b): Officials re-instated so far.

		1977-78	1978-79	1979-80

(i)	Tahsildar			
(ii)	Naib Tahsidar			

(iii) Kanungos and Patwaris re-instated so far.

Sr. No.	District	Kanungos	Patwaris
1	Ambala		4
2	Kurukshetra	1	6
3	Karnal	1	8
4	Rohtak		
5	Sonepat		1
6	Sirsa		9
7	Bhiwani	1	3
8	Gurgaon	1	2
9	Jind		2
10	Mohindergarh		9
11	Hissar		
12	Faridabad		

Demand/supply of Electricity in the State

***1441. Sh. Mool Chand Jain**: Will the Minister for Irrigation & Power be pleased to state –

(a) the total demand for electrical energy together-with its availability from various sources in the State during the years 1978-79 and 1979-80 to-date;

(b) the steps taken or proposed to be taken to meet the short-fall, if any;

(c) whether thermal Plants at Faridabad and Panipat are producing electricity to their installed capacity; if not, steps taken or proposed to be taken to improve their production; and

(d) the month-wise comparative percentage of electricity supplied to the various sector viz; Agriculture, Industrial and Domestic during the years as referred to in part (a) above?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चो. मेहर सिंह राठी):

(क)	
(ख)	
तथा	विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।
(ग)	

(घ)	

विवरण

(क) वर्श 1978–79 तथा 1979–80 (दिसम्बर 80 तक) के दौरान राज्य बिजली की कुल मांग के साथ साथ विभिन्न स्त्रोंतो द्वारा उपलब्ध बिजली निम्न प्रकार है:–

वर्श	उपलब्ध बिजली	बिजली की मांग
1978–79	30642 लाख यूनिट	35000 लाख यूनिट
1979–80	26760 लाख यूनिट	40000 लाख यूनिट

(ख) बिजली की कमी को पूरा करने के लिये अल्पावधि आधार पर उठाए गये पग निम्न प्रकार हैं:–

(i) राज्य के उत्पादित यूनिटों के निश्पादन में सुधार।

(ii) निर्माणाधीन उत्पादित यूनिटों की चालू करने की तारीख को पहले करना।

(iii) पड़ौसी राज्यों या केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों से उपलब्ध होने पर बिजली खरीदना।

(ग) फरीदाबाद के तीनों यूनिट प्रायः अपनी स्थापना क्षमता के अनुसार बिजली उत्पादन कर रहे हैं। पानीपत यूनिट–I इस समय 50 मैगावाट क्षमता पर उपलब्ध है ओर इसका उत्पादन लगभग इसी क्षमता पर है। जैसे यूनिट–II चालू होगा, इसकी क्षमता हाड्रोजन कुलिंग प्रणाली आरम्भ करने पर 110 मैगावाट तक बढ़ जायेगी और तब यह पूरी बिजली देने लगेगा।

(घ) वर्श 1978–79 तथा 1979–80 (दिसम्बर 80 तक) के दौरान कृशि औद्योगिक एवं घरेलू क्षेत्रों को दी जाने वाली बिजली की माहवार तुलनात्मक प्रतिशतता निम्न प्रकार हैः–

वर्श	कृशि	उद्योग	घरेलू
1978	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत
अप्रैल	31.6	55.1	7.8
मई	34.3	55.6	7.7
जून	33.2	52.5	7.9
जुलाई	29.2	54.3	9.1
अगस्त	27.4	55.3	9.2
सितम्बर	27.4	55.7	9.7

अक्तूबर	33.3	51.5	8.3
नवम्बर	36.1	50.1	7.8
दिसम्बर	37.4	49.5	7.3
जनवरी, 1979	35.8	50.9	7.5
फरवरी	34.4	50.8	8.5
मार्च	31.1	53.5	8.4
अप्रैल	34.2	52.7	7.3
मई	33.7	51.9	8.3
जून	31.0	54.2	8.2
जुलाई	28.9	55.6	8.9
अगस्त	34.5	51.0	8.4
सितम्बर	44.3	42.4	7.6
अक्तूबर	45.5	41.4	7.5
नवम्बर	46.7	40.7	7.2
दिसम्बर	44.9	42.4	7.3

Small Scale Industrial Units

***1447. Ch. Ram Lal Wadhwa**: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) the district-wise and year-wise number of small scale Industrial units established in the rural and urban areas of the State during the years 1977-78 to 1979-80 (to-date);

(b) the details of the facilities provided by the State Government to the industrial units referred to above; and

(c) the number of industrial units out of those mentioned in part (a) above, closed during the year 1977-78 to 1979-80 (to-date);

Chief Minister (Ch. Bhajan LaL):

(a) A statement (Annexure I) is placed on the Table of the House.

(b) A statement (Annexure II) is placed on the Table of the House.

(c) A statement (Annexure III) is placed on the Table of the House.

ANNEXURE-I

Sr. No.	District/Circle	1977-78			1978-79			1979-80		
		Urban Area	Rural Area	Total	Urban Area	Rural Area	Total	Urban Area	Rural Area	Total
1	Ambala	175	38	213	209	130	339	216	86	302
2	Bhiwani	35	24	59	38	4	72	41	92	133
3	Gurgaon	46	18	64	62	36	98	38	70	108
4	Faridabad	192	7	199	250	33	283	260	112	372
5	Hissar	30	40	70	76	150	226	69	13	199
6	Karnal	109	34	143	192	124	316	243	145	388
7	Kurukshetra	20	6	26	48	55	103	48	49	97
8	Jind	37	12	49	84	74	158	66	67	133
9	Mohindergarh	48	20	68	70	95	165	59	110	169

10	Rohtak	113	32	145	131	117	248	166	205	371
11	Sonepat	32	58	90	70	160	230	86	197	283
12	Sirsa	43	11	54	60	31	91	41	101	142
	Grand Total:-	880	300	1180	1290	1039	2329	1333	1364	2697

ANNEXURE II

Facilities provided by the State Government to the Small Scale Industrial Units.

(i) Capital Cash subsidy:

15% cash subsidy on fixed capital investment in notified backward areas of Bhiwani, Mohindergarh and parts of Hissar and Jind Districts.

(ii) Concessional Finance:

Institutional finance at a concessional rate of interest in backward districts of Hissar, Bhiwani, Mohindergar and Jind, Tehsil Naraingarh and Kalka of Ambala District and Sub-Tehsil Nahar of Rohtak District.

(iii) Financial Assistance:

The Haryana State Industrial Development Corporation participates in the equity capital of new private ventures utpo 10% of he equity base nd provides seed capital assistance upto Rs. 10 lakhs to all projects in backward areas. It also extends term loan facility upto Rs. 30 lakhs. Besides, the Haryana Financial Corporation provides loans upto Rs. 30 lakhs. It also assists the tiny units and small artisans of rural areas. Similarly loans upto Rs. 50000/- are advanced by the Directorate of Industries, Haryana, under the State Aid to Industries Act, 1935. Besides, a number of Banks provide loans to industrial units and they offer concessional rate for tiny and SSI units.

(iv) Subsidy for generating sets and for feasibility reports:

Subsidy of 20% to SSI units for the purchase of generating sets and 50 % subsidy on the cost of preparation of feasibility reports are supplied free of cost.

(v) Land subsidy:

Land subsidy is given to SSI units @ 755 of the amount which is in excess of the ceiling price fixed for the different areas of the State.

(vi) Provision of land for industry:

Haryana State Industrial Development Corporation, Town and Country Planning Department, Haryana Urban Development Authority develop land for industrial purposes. Developed plots and built up sheds at reasonable rates fixed by the State Government in Industrial Areas, Industrial Estates and Industrial Development Colonies are made available.

(vii) Raw material:

Raw materials are procured and distributed by the Haryana State Small Industries and Export Corporation through various depots of the Corporation opened all over the State.

(viii) Machinery on Hire Purchase basis:

Supply of imported and indigenous machinery by National small Industries Corporation on Hire Purchase basis

on very easy instalments on the recommendations of the Development.

(ix) Testing & Common facilities:

Testing and certification facilities to the SSI units are provided through a net work of quality Marketing Centres set up throughout the State.

(x) Price preference:

20% price preference to tiny units in rural areas and 15% to SSI units situated in backward areas is provided. Similarly 10% price preference for SSI units situated in non-backward areas is also provided.

(xi) Exemption from Electricity & Octrol duties;

Exemption from electricity duty, octroi duty, Sales, Purchase Tax are given for a period ranging from 2 years to 7 years.

(xii) Special Incentives for Rural Industries:

(a) 15% Investment subsidy on fixed capital investment of Rs. 1 lakh in all the rural areas of the State (for all new units).

(b) Exemption from the payment of stamp duty and registration charges required in the finalisation of equitable mortgages.

(c) Grant of interest subsidy on loans advanced by financial institutions to the extent of difference between the rate of 6% payable by the entrepreneur and the actual rate of

interest charged by the financial institutions so that the effective rate of interest payable is only 6%.

(xiii) Special Incentives for Non-resident Indians:

(a) Participation/underwriting of share capital in limited companies to any limit.

(b) Special preference in the matter of allotment of land. Fourth and fifth instalments waived provided the unit is set up by the allottee within 3 years from the date of allotment.

(c) Interest-free loan in lieu of inter-State Sales Tax and exemption from electricity duty for a period of 5 years all over the State irrespective of the capital investment.

(xiv) Assistance to the Educated unemployed:

(a) Free supply of project profiles.

(b) In-plant training with stipends.

(c) 10% Seed Money at 45 interest.

(d) Interest subsidy for the technically qualified entrepreneurs to reduce the effective rate of interest to 6%.

ANNEXURE-III

Statement showing the number of small scale industrial units deregistered during the years 1977-78 to 1979-80 upto January, 1980.

Sr. No.	Name of District/Circle	1977-78	1978-79	1979-80
1	Ambala		3	5
2	Bhiwani			
3	Gurgaon			1
4	Faridabad			
5	Hissar			
6	Karnal			1
7	Kurukshetra			
8	Jind	1		
9	Mohindergarh			
10	Rohtak	3	7	3
11	Sonepat	1		5
12	Sirsa			
	GRANT TOTAL:	5	10	15

Reasons for de-registration:-

The reasons for closure were dissolution of partnership, financial problems, lack of raw material and marketing avenues.

Sakta Khera Distributory

***1534. Sh. Mani Ram**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether there is any proposal under consideration of he Government to supply water by extending the Sakta Khera Distributory from R.D. No. 8080 to R.D. No. 15210 in Rori Circle of District Sirsa; if so, the time by which the said proposal is likely to materialise?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौ. मेहर सिंह राठी): हां। यह कार्य जून, 1980 में पूर्ण होने की संभावना है।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Enquiry Report on the affairs of M.D. University, Rohtak

330. Ch. Ude Singh Dalal: Will the Chief Minister be pleased to state whether the report of the Enquiry Commission headed by Sh. Gurnam Singh, a Judge of the Punjab and Haryana High Court appointed to enquiry into the affairs of the M.D. University, Rohtak has been received; if so, the time by which the said report is likely to be published?

प्रश्न सूची पर प्रश्नों की संख्या कम करना।

चौ. बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, पिछले तीन दिनों से सदन की कार्यवाही

10.00 बजे

च्ल रही है। क्वेश्चन आवर में जो क्वेश्चन की लिस्ट दी जाती है उसमें लगभग 20 क्वेश्चन होते हे। लेकिन क्वेश्चन आवर में इनमें से मुश्किल से छः सात या मैक्सिमम 8 क्वेश्चन्ज पर सप्लीमेन्टरी पूछने का मौका मैम्बर साहिबान को दिया जाता है। 20 क्वेश्चन की लिस्ट को 8 क्वेश्चन्ज तक रिडयूस किया जा रहा है। मेरे विचार के अनुसार कम से कम 12 क्वेश्चन्ज पर सप्लीमेटरी पूछे जाने चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन्ज पर मैम्बर्ज को सप्लीमेटरी पूछने का मौका मिल सके। रिटन रिप्लाइ तो मिनिस्टर साहब भेज देते हैं लेकिन सप्लीमेटरी बहुत कम क्वेश्चन्ज पर होती है ओर बाकी इम्पोर्टैंट क्वेश्चन्ज लैप्स हो जाते है। इसलिये कम से कम 12 क्वेश्चन्ज पर सप्लीमेटरी होने चाहिए।

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहब की बहुत अच्छी सुजैशन है, कल से ऐसा ही करेंगे। कल से 12 क्वेश्चन्ज की लिस्ट लेगे और सभी को टेक–अप करेंगे। (व्यवधान)

चौ. बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, अखबारों की रिपोर्टस से पता लगता है कि सैशन दो दिन और एक्सटैंड होगा, इसलिये पिछले तीन दिनों में जो क्वेश्चन्ज लैप्स हो गए है, उनको दोबारा टेक–अप किया जाए।

चौ. राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, क्वेश्चन लिस्ट में किसी मैम्बर का एक क्वेश्चन आता है, किसी के दो आते हैं ओर कई अपीजिशन के मैम्बर ऐसे हैं जिनका एक भी क्वेश्चन नहीं आता। मेरे सवाल क्वेश्चन लिस्ट के आखिर में रखे हुए है जिनकी बारी आती ही नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ऐसी बात नहीं है, मैं खुद चैक–अप करता हूं और पूरी कोशिश करता हूं कि अपोजीशन मैम्बर्ज के जो सवाल हैं, वे पीछे न रहने पास लेकिन फिर भी मैम्बर साहब का यह कहना कि उनके सवाल पहले अपने चाहिए, वाजिब नहीं। अगर इस किस्म का इल्जाम लगाया जाता हैं तो मैं समझता हूं कि मेरे सारी मेहनत जाया जाती है। मैं आपकी इस बात को कतई एक्सैप्ट नहीं करता। (व्यवधान)

चौ. राम लाल वधवा: कम से कम मैम्बर का एक सवाल तो जरूर आना चाहिए क्योंकि कुछेक के तो दो दो सवाल एक दिन की लिस्ट में आ जाते हैं। (व्यवधान)

Mr. Speaker: I do not accept your contention. It has been my endeavour और अपोजीशन के जो मैम्बर साहेबान हैं, मै उनको ज्यादा से ज्यादा अहमियत देता हूं, ट्रैजरी बैचिंज से ज्यादा टाईम देता हूं इसके बावजूद भी अगर आप कहते हैं कि आपके सवाल आखिर में छोड़ कर दिए जाते हैं, मैं आपकी इस बात से बिलकुल भी सहमत नहीं हूं।

श्री भले राम: हरिजनों की भलाई के लिए रैटिफिकेशन का बिल सदन में पास हो चुका है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह जीरो आवर में उठाने वाला प्वायंट नहीं है। इसके लिये आप सैपरेट नोटिस दीजिए। (व्यवधान)

औचित्य प्रश्न –

जिला हिसार के चौधरीवास गांव में हरिजन लड़के के कत्ल सम्बन्ध

श्री भलेराम: प्वायंट आफ आर्डर सर, स्पीकर साहब, सी. एस. साहब ने कहा था कि हरिजनों को पीटा नहीं जाएगा। (व्यवधान) स्पीकर साहब, जिला हिसार में चौधरीवास गावं है उसमें एक जमीदार हरिजन के लडके का, जिसका नाम महाबीर है, खेत में काम करवाने के लिए ले गए ओर जब उसने मजदूरी मांगी तो उसका बुरी तरह से कत्ल किया गया। (व्यवधान) (शोर) अगले रोज जब सरपंच वगैरह को खेत में ले गये तो उस गरीब हरिजन को कहा कि आपका लड़का चोट लने से मर गया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह किस तारीख का वाक्या ह।? (व्यवधान)

श्री भले राम: यह वाक्या 31 जनवरी को हुआ था।

श्री अध्यक्ष: (व्यवधान) 31 जनवरी को यह इन्सीडैंस हुआ है। क्या आपने इसका नोटिस दिया है? (व्यवधान)

चौ. गंगा राम: स्पीकर साहब, इस गवर्नमैंअ को अस्तीफा देना चाहिए ..... यह * * * * की गवर्नमैंट है। (शोर) * * * * इनके सिर पर .....(शोर)

Sh. Bhale Ram: On a point of order, Sir ..... (Interruptions) यह जरूरी मसला है।

* चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिए गये।

Mr. Speaker: No interruptions please. When I am on my feet. आप बैठ जाइए भलेराम जी। (व्यवधान) चौ. गंगा राम जी, आप हाउस में काफी डिस्टरबैंस कर रहे हैं और आपको काफी लैटिच्यूड मिल रहा है। (व्यवधान) आप डिसिप्लन के अन्दर रहें, थोड़ा बहुत हंसी मजाकन तो टौलरेट किया जा सकात है, लेकिन इस तरह की बात टौलरेट नहीं की जा सकती। (व्यवधान)

Local Government Minister (Ch. Khurshid Ahmed): This should be the final point of order from Sh. Ganga Ram.

श्री अध्यक्ष: चौ. भले राम जी, यह 31 जनवरी की बात है। आपके पास सफिशिएंट टाईम था, आप मुझे नोटिस दे सकते थे। (व्यवधान)

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब,, यह सी.एम. साहब के हलके का मामला है। (व्यवधान)

श्री भले राम: वहां पर हरिजन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। (व्यवधान)

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोयय, जिस गांव का चौ. भले राम जी ने जिक्र किया, यह मेरे हलके का गांव है और जिस हरिजन का कत्ल हुआ है वह हमेशा मेरा स्पोर्टर रहा है। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि जो आदमी इस जुर्म में शामिल हैं, उसका नोटिस लिया जाएगा और सख्त से सख्त ऐक्शन लिया जाएगा। वह आदमी जिसने जुर्म किया है उनकी गिरफतारी हो चुकी है। (व्यवधान) किसी के साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी और जिस आदमी ने यह गुनाह करने की कोशिश की, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। (व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव –

हथनीकुण्ड बैरेज के निर्माण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के मध्य 1974 का समझौता लागू करने सम्बन्धी

Mr. Speaker: Hon. Members, I have received a notice of adjournment from Ch. Har Swarup Bura, regarding implementation of 1974 Agreement between the U.P. and Haryana Governments in connection with the construction of Hathnikud barrage मैंने इसको डिस–अलाउ कर दिया है, वह बिना पर कि बजट सैशन के दौरान मैम्बर साहब को इस विशय पर बात करने का काफी मौका मिलेगा और उस वकत वे इसका

जिक्र कर सकते है। However, I have admitted a Call Attention Motion, on the request of the hon. Member, which will be taken up in one of the subsequent sittings of the House.

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव –

बिजली की कमी की वजह से रेतीले और पिछड़ै इलाकों में फसलों की तबाही होने सम्बन्धी

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मुझे सर्वश्री हीराचन्द आर्य और रणसिंह मान एम.एल.एज. की तरफ से बिजली की कमी की वजह से रेतीले और पिछड़े इलाकों में फसलों की तबाही होने के बारे में काल अटैन्शन मोशन का नोटिस मिला है। मैं इसको मन्जूर करता हूं, माननीय सदस्य नोटिस को पढ़ दें।

श्री रण सिंह मानः इस सम्मानित सदन का ध्यान एक आवश्यक लोक महत्त्व के विशय की ओर दिलाना चाहते हैं कि बिजली की कमी के कारण रेतीले तथा पिछड़े क्षेत्रों में फसलें बर्बादी के कगार पर पहुंच चुकी है।

यह सदन इस बात से परिचित है कि वर्श 1979–80 के दौरान सारे राज्य में भयंकर सूखा पड़ा था। सूखे की भयंकरता रेतीले तथा पिछड़े क्षेत्रों में दूसरे स्थानों से कहीं अधिक थी। इसके बावजूद टयूबवैलों को 48 घंटों में से 9 घंटे बिजली दी गई। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि रेतीले इलाकों में

कुएं बहुत गहरे हैं जमीन नमी को अधिक देर तक रोक नहीं सकती। इसलिये फसलों को अधिक पानी देने की आवश्यकता पड़ती हैं और उत्पादन की ज्यादा लागत के परिणामस्वरूप सभी किसान ऋणी हैं।

रबी फसल की बिजाई के समय बिजली की सप्लाई से इलाके के लोगों मं य आशा बन्ध गई थी कि ये सूखे की क्षति को पूरा कर लेंगे। साथ ही 7 फरवरी को बिजली व सिंचाई मंत्री के इस आश्वासन से कि इस क्षेत्र की विशेश हालतों के कारण बिजली देने के बारे में सहानुभूतिपूर्वक गौर करेंगे किसानों ने सुख की सांस ली थी परन्तु यह बहुत खेद की बात है कि बिजली की सप्लाई अभी तक बढ़ाई नही गई। इस तरह से जो किसान पहले ही ऋणी हैं पूरी तरह बर्बाद होने जा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न स्थानों पर धरना देने के कारण स्थिति बहुत विस्फोटक होने जा रही है।

इसलिये हमारा सरकार से नम्र निवेदन है कि उनकी विशेश परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रेतीले तथा पिछड़े क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई को तुरन्त बढ़ा कर दुगना कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: मामनीय सदस्य ने अपना काल अटैनशन नोटिस पढ़ दिया है। सिंचाई तथा बिजली मंत्री इसका जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौ. मेहर सिंह राठी): अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब मैं कल दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

वक्तव्य –

खाद्य तथा पूर्ति मंत्री द्वारा आवश्यक वस्तुओं अर्थात मिट्टी का तेल, चीनी, सीमेंट वनस्पति–घी आदि की कमी सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष: कल खादय एवं पूर्ति मंत्री जी ने बूरा साहब के काल अटैनशन नोटिस नम्बर 2 का जवाब आज देने के लिए कहा था। कृपया वह अपनी स्टेटमैंट दें।

खाद्य एवं पूर्ति मंत्री (चौ. गजराज बहादुर नागर): अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के लिए मिट्टी के तेल की महावारी ऐलोकेशन लगभग 6000 किलोलीटर की है। सर्दी के महीनों में मिट्टी के तेल की मांग बढ़ जाती है। इसके अलावा साफट कोक में कमी की वजह से मिट्टी के तेल की मांग और भी ज्यादा हो गई है। इस कमी की वजह से पिछले दो तीन महीनों में शिकायतें आई है। भारत सरकार से वक्तन फक्तन मिट्टी के तेल की एलोकेशन को 6000 किलो लीटर से 100000 किलो लीटर बढ़ाने के लिये दरख्वास्त की गई है। हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्री जी से मिलकर तेल का कोटा बढ़ाने

का वायदा लिया है। यह अन्दाजा लगाया जाता है कि मिट्टी के तेल की कमी जल्दी ही दूर हो जायेगी। मैं खुद भी पैट्रोलियम मंत्री जी से इस सिलसिलें में लिया हूं और उन्होंने सप्लाई बढ़ाने का वायदा किया हैं राज्य में मिट्टी के तेल 5 लीटर हफलावार जारी किया जाता है। जिला हूकमरान मिट्टी के तेल की तकसीम फिक्स दामों पर करवाने के लिये निगरानी रख रहे हैं ओर जब कोई ब्लैक मार्किट का केस या ज्यादा दाम चार्ज करने का उनके नोटिस में आता है, जरूरी कार्यवाही जल्दी ही की जाती है। मिट्टी के तेल को 6 रूपए फी लीटर की दर से बेचने की कोर्ठ रिपोर्ट नहीं है। भारत सरमार ने 17.12.79 से चीनी की तकसीम पर लेवी शुगर सप्लाई (कंट्रोल) आर्डर, 1979 के तहत कंट्रोल किया है। सरकार चीनी की मिलों की पैदावार का 65 प्रतिशत कंट्रोल रेट पर लेकर पब्लिक को फेयर प्राइस शाप्स से तकसीम करवाती है। हरयिाणा राज्य का चीनी का कोटा 4917.9 टन महावारी हे और इसे आम पब्लिक में 400 ग्राम फीक्स के हिसाब से तकसीम करवाया जा रहा है। यह कोटा जिन दिनों चीनी का कंट्रोल नहीं था उसकी खपत की बिना पर फिक्स किया गया है, बाकी 35 प्रतिशत चीनी की पैदावार पर कोई कंट्रोल नहीं है। मुल्क में चीनी की पैदावार में कमी की वजह से फ्री सेल चीनी की कीमत बढ़कर लगभग 6 रूपए फी किलोग्राम हो गई है। इस वक्त हरियाणा राज्य में 4285 फेयर प्राइस शाप्स हैं जिनमें 939 शहरी ईलाके में और 3346 देहाती ईलाकों में हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि 65 प्रतिशत मिलों की पैदावार लेवी के हिस्सा की

कंट्रोल रेट पर ली जाती है और बाकी 35 प्रतिशत चीनी मिलों के जरिये खुली मार्किट में बेची जाती है और कोई खरीदार अपने कोटा से ज्यादा चीनी खरीदना चाहे तो अपनी जरूरीयात लोकल मार्किट से खरीद कर सकता है। चीनी की खुली मार्किट की कीमत में ज्यादती को रोकने के लिए भारत सरकार ने चीनी का स्टाक करने की हद में 26.2.80 से कमी कर दी है जिसकी तफसील मुन्दर्जा जेल है।

उन शहरों और कस्बों जिनकी आबादी एक लाख और ज्यादा हो लेकिन 5 लाख से कम हो उनके लिये 250 क्विंटल और एक लाख से कम आबादी वाले कस्बों के लिये 100 क्विंटल। इसके अलावा खाण्डसारी रखने की हद की 500 क्विंटल कर दी गई है। भारत सरकार ने 17.12.79 का शूगर मूवमैंट रिस्ट्रिकशन आर्डर, 1979 लागू किया है जिसके तहत एक राज्य से दूसरे राज्य में चीनी ले जाने की पाबन्दी लगाई गई है।

हरियाणा राज्य का तिमाही कोटा 168300 टन सीमेंट का है। कई फैक्टरियों के बन्द हो जाने की वजह से सीमेंट की पैदावार में कमी हो गई है। ये फैक्टरियां बिजली और कोयले की कटौती की वजह से बन्द हुई हैं। पिछले क्वार्टर में कोटा में 5 प्रतिशत की कमी की गई थी और 20 प्रतिशत की इस क्वार्टर में (जनवरी से मार्च 80) की गई है। पैदावार में भारी कमी होने की वजह से सीमेंट की आमदन में भी बहुत कमी आई है खासकर राजस्थान की फैक्टरियों की एलोकेशन में राजय में तरकियात की

वजह से सीमेंट की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है और दुनिया के बैंक से इमदादी प्रोजैक्टस को अन्जाम करने या पूरा करने का काम भी राज्रू सरकार ने शुरू कर दिया हैं। मुन्दर्जा बाला बजुहात से कुछ महीनों से राज्य में सीमेंट की भारी कमी महसूस की जा रही है फिर भी सीमेंट कंट्रोलर भारत सरकार से तालमेल रखा जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा क्वान्टिटी में सीमेंट उठाया जाये। भारत सरकार से दरखास्त की गई है कि दो लाख टन सीमेंट की कम से कम एलोकेशन की जाये ताकि राज्य की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके। जिसके लिए भारत सरकार अभी तक रजामन्द नहीं हुई है। हमने अीाी तक 5000 टन इम्पोर्टिड सीमेंट की एडीशनल ऐलोकेशन फरवरी, 1980 में हासिल की है। यह सीमेंट सरकारी महकमों को जोकि दुनिया के बैंक की इमदादी प्रौजैक्टस मुकम्मल कर रहे हैं, को एलोकेट किया है। सीमेंट की तिमाही ऐलौकेशन को सरकारी महकमों, पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज, लोकल बाडीज, इंडस्ट्रीज और पब्लिक में तकसीम किया गया है। पब्लिक सेल के लिए आमतौर पर तिमाही एलोकेशन का 45 प्रतिशत हिस्सा तकसीम किया जाता है। यह सीमेंट के लाईसैन्सदारों के जरिये से तकसीम किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इसकी निगरानी रखते हैं। सीमेंट परमिटों के जरिये जो कि सब–डिविजनल मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्अ फूड एण्ड सप्लाई कंट्रोलर, ब्लाक डिवल्पमैंट आफिसर बगैरह बगैरह जारी करते हैं, बेचा जाता है। कम से कम 60 प्रतिशत कोटा देहाती

इलाकों में तकसीम किया जाता है। सीमेंट की 40 रूपए फी बोरी बेचने के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है।

राज्य में वनस्पति घी की कीमत और तकसीम पर कोई कंट्रोल नहीं है। यह खुली मार्किट में मिल जाता है। खाने के तेल, देसी ऐडीबल आयल की कीमत और तकसीम पर कोई कंट्रोल नहीं है। इनकी कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने आर. बी.डी. पाम आयल और रैपसीड आयल और सोयाबीन आयल इम्पोर्ट किया है। यह राज्य सरकारों को उनकी मांग के मुताबिक एलोकेट किये जाते हैं। हरियाणा में यह तेल कनफैड के जरिये से लाये जाते हैं और सुपर बाजार और कोआप्रेटिव स्टोरों के जरिये से बेचे जाते हैं। इन इम्पोर्टिड खाने के तेलों की कोई ज्यादा मांग नहीं है। इन तेलों के परचून का भाव मुन्दर्जा जेल है।

आर.बी.डी. पाम आयल 8 रूपए 25 पैसे फी किलो।

रिफाइन्ड रैप सीड आयल 8 रूपए 50 पैसे फी किलो।

मुन्दर्जा बाला हालात की वजह से कोआर्डिनेशन कमेटी बनाने ी जोकि डिस्ट्रीब्यूशन की निगरानी करे, कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद।

चौ. हर स्वरूप बूराः अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से मंत्री महोदय ने कल मेरे काल अटेन्शन नोटिस का एक लम्बा चौड़ा जवाब दिया था उसी तरह से आज दिया है। जवाब देने के बाद मंत्री महोदय कहते हैं कि हमें कोठ ईस कम्पलेंट नहीं दी गई।

अध्यक्ष महोदय, इस मामले में एक गांव में एक सरपंच को सस्पैंड किया गया। मैं उस आदमी का नाम बता सकता हूं लेकिन इस सरकार ने उस सरपंच को बहाल कर दिया है। लोग शिकायत करते ह। तो उनकी शिकायतों पर कोई अमल नहीं होता है। (शोर) अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से कीमतें बढ़ती जा रही है उस पर मंत्री महोदय ने कहा कि कोआर्डिनेशन कमेटी की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष: बूरा साहब, जो मंत्री जी ने स्टेटमैंट दी है उसके जवाब में आप दो सवाल पूछ सकते हैं। डिस्कशन के लिए मैं समय नहीं दूंगा।

चौ. हरस्वरूप बूरा: अध्यक्ष महोदय, कोआर्डिनेशन कमेटी की बहुत सख्त जरूरत है। अगर मंत्री महोदय के पास कोआर्डिनेशन कमेटी बनाने के लिये समय नहीं है तो मुझे बनाने की इजाजत दें। मैं हाउस में चैलेंज करता हूं और वायदा करता हूं कि किसी भी आदमी के साथ ज्यादती नहीं होगी लेकिन इस सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है। (शोर)

कामरेड शंकर लाल: * * * *

श्री अध्यक्ष: शंकर लाल जी आप बैठ जाईए।

कामरेड शंकर लाल: * * * *

Mr. Speaker: Nothing is to be recoreded.

एक सदस्य: कामरेड साहब, बोलने की इजाजत तो ले लो।

श्री अध्यक्ष: ये इजाजत से ऊपर हैं। (हंसी)

कामरेड शंकर लाल: * * * *

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष: शंकर लाल जी आप बैठ जाइए, आपको बजट पर बोलने के लिए दुगुना टाईम दे दूंगा।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, यह समस्या केवल विरोधी दल की नहीं है .....

श्री अध्यक्ष: आर्य साहब, नियम यह है कि जिस माननीय सदस्य की मोशन हो वही दो सवाल पूछ सकते हैं। कल सुशमा जी को भी मैंने इसी वजह से सवाल पूछने नहीं नहीं दिया था।

श्री हीरा नन्द आर्य: उन्होंने बाद में पूछ लिया था।

श्री अध्यक्ष: अच्छी बात, एक सवाल आप पूछ लीजिए।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, यह केवल विरोधी पक्ष का सवाल नहीं है, यह तो हर नागरिक का सवाल हैं। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस मामले को कंट्रोल में रखने के लिये जन समितियां बनाई जाएं जिनमें सरकारी पक्ष

के लोग भी हों और विरोधी पक्ष के लोग भी हो, जो यह देखे कि किसी लैवल पर धपलाबाजी तो नहीं है। (विघ्न)

चौ. हरस्वरूप बूरा: हमारा काम तो सरकार के नोटिस में बात लाना है। सरकार की इसमें ज्यादा जिम्मेवारी है।

Mr. Speaker: I think, you have brought it to the notice of the Government in a very forceful manner.

चौ. गजराज बहादुर नागर: स्पीकर साहब, जितना भी हमारा डिस्ट्रिब्यूशन सिस्अम है और जितनी ऐसैन्शियल कौमोडिटीज हैं, इन सबके ऊपर काउन्टर चैक्स हैं। केवल एक डिपार्टमैंट इसके लिये जिम्मेवार नहीं है। (विघ्न) इस वक्त अकेला फूड एण्ड सप्लाइज डिपार्टमैंट डिस्ट्रिब्यूशन का काम नहीं कर रहा है। इसके अन्दर कान्फैड, कोआप्रेटिव्ज, डिप्टी कमिश्नर्ज, कमिश्नर्ज, एस.डी. एम्ज., अनेकों दूसरे औफिशियल्ज और वेरियस कमेटीज आदि इनवाल्वड हैं। इन सबके होते हुए मैं किसी कमेटी की कोई आवश्यकता नहीं समझता। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, मैं एक मसले पर सैंस औफ दी हाउस लेना चाहता हूं। आज प्राइवेट मैम्बर्ज बिजनस का दिन है। सिर्फ एक रैजोल्यूशन हमारे पास आया है जिसकी डिसकशन पर शायद घंटा या सवा घंटा लगेगा। अगर मैम्बर साहेबान चाहें तो बाकी टाईम गवर्नर साहब के ऐड्रैस की डिसकशन पर लगाया जा सकता है। अगर आप यह नहीं चाहते तो रैजोल्यूशन पर डिसकशन खत्म होने के बाद हाउस ऐडजर्न हो जाएगा।

आवाजें: गवर्नर साहब के ऐड्रैस पर डिस्कशन होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: तो फिर ऐसा करेंगे कि यह रैजोल्यूशन डिसकस होने के बाद आधे घंटे के लिए हाउस ऐडजर्न कर लेंगे और उसके बाद जो टाईम बचेगा उसमें गवर्नन साहब के ऐड्रैस पर डिसकशन होगी।

आवाजें: ठीक है जी।

चौ. राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मुझे आपके सेक्रिटेरिएट की तरफ से यह सूचना मिली है कि मेरा काल अटैन्शन मोशन ऐडमिट हो गई है लेकिन वह हाउस के सामने नहीं आ रही है।

श्री अध्यक्ष: एक दिन में एक ही काल अटैन्शन मोशन आती है। अगर आपकी मोशन ऐडमिट हुई है तो वह जरूर हाउस में आएगी।

गैर–सरकार संकल्प –

पंचायती–राज संस्थाओं के स्वस्थ विकास के लिए सभी पहलुओं से शक्तियों का विकेन्द्रीकरण सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष: अब श्री मूल चन्द जैन अपना रैजोल्यूशन मूव करें।

(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)

श्री मूल चन्द जैन:(संभालका): उपाध्यक्ष महोदय, मै। इस सदन की सेवा में यह प्रस्ताव पेश करता हूं –

कि यह सदन राज्य सरकार से सिफारिश करता है कि पंचायती–राज संस्थाओं के बारे में अशोक मेहता समिति द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए राज्य में पंचायती–राज संस्थाओं के स्वस्थ विकास के लिये सभी पहलूओं से शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि यह सदन राज्य सरकार से सिफारिश करता हे कि पंचायती–राज संस्थाओं के बारे में अशोक मेहता समिति द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए राज्य में पंचायती–राज संस्थाओं के स्वस्थ विकास के लिए सभी पहलुओं से शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया जाए।

श्री मूल चन्द जैन: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव पार्टी लाइन्ज से बाबस्ता नहीं है और मैं बोलते हुए भी पार्टी लाइन्ज से हटकर ही अपने विचार रखूंगा। अलबता, कहीं–कही अगर कुछ कहना भी पड़ा तो रूलिंग पार्टी से मैं क्षमा

चाहूगा। सवाल यह है कि इस प्रस्ताव की जरूरत क्यों पड़ी? अभी स्पीकर साहब ने इस रैजोल्यूशन के बारे में जो बात ही, उससे यह जाहिर हुआ कि शयद इस प्रस्ताव की अहमियत नहीं है और इसे घंटे भर में या सवा घंटे भर में डिसपोज औफ किया जा सकता है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं समझता हूं कि प्रजा राज के विकास के लिए और देहाती जनता को इस बात के काबिल बनाने के लिए कि विकास के कामों में दिलचस्पी लेकर अपने काम को वे खुद संभाल सकें यह प्रस्ताव बहुत ही जरूरी है और इस पर अमल और भी जरूरी है। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष: नो इंट्रप्शन प्लीज।

श्री मूल चन्द जैन: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं रूलिंग ग्रुप का ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारे यहां हरियाणा में पंचायतों के चुनाव सन् 1978 में हुए। पंचायतों के चुनाव के बाद पंचायत समितियों के चुनाव होने थे लेकिन वे चुनाव अभी तक नहीं हुए। कारण क्या है? चुनाव इसलिए नहीं हुए क्योंकि पंचायत समितियां कांग्रेसी राज के जमाने से सुपरसीडिड हैं। (विघ्न) सन् 1973 से सुपरसीडिड हैं जबकि इस स्टेट में कांग्रेसी राज था। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहब, पंचायत समितियां की सुपरसैशन के बाद तमाम अधिकार बी.डी.ओज. को मिल गए और कहीं–कहीं ऐडमिनिस्ट्रेटर्ज भी मुकर्रर हो गए। कहीं एस.डी. एम. ऐडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर हो गया और कहीं कोई और मुकर्रर हो गया। बराबर सात आठ वश्र से वही परिस्थिति चली आ रही है।

क्या यह देहाती जनता के साथ अन्याय नहीं है कि सन् 1961 के कानून के तहत जो अधिकार देहात के लोगों को दिए गए थे वे छीन कर सरकारी कर्मचारियों को दे दिए गए। बहाना क्या किया? कहा कि साहब हिन्द सरकार ने जनता पार्टी का राज अपने पर एक कमेटी बिठाई जो पंचायती राज सिस्टम के बारे में अपनी रिपोर्ट देगी। डिप्टी स्पीकर साहब, उस कमेटी का नाम अशोक मेहता कमेटी था। सन् 1977 के किसी महीने में वह कमेटी मुकर्रर की गई और सन् 1978 में उसने अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दी। (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदय, इत्तुाक से मेरा जन्म भी देहात में हुआ है इसलिए देहात के मामलों में मेरी भी काफी दिलचस्पी है। जब यह विभाग ठाकुर बीरसिंह जी के पास था तब भी मैं उनसे मिलता रहा हूं और उनसे इस विशय में विचार–विमर्श करता रहा हूं और अब जब से राव राम नारायण जी आये हैं उनसे भी मेरी इस विशय में बातचीत हुई है लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूं परनाला वहीं का वहीं पड़ रहा है और इस बारे में कोई कानून का नया मसौदा नही बनाया जा रहा है। आजकल बजट सैशन है और यह सैशन 20–25 दिन तक चलना है। अभी तक पंचायती राज में सुधार करने के बारे में हमारे सामने कोई बिल नहीं आया तो मैंने यह जरूरी समझा कि हाउस की तवज्जोह इस ओर दिलाऊं।

इस प्रस्ताव को लाने का एक दूसरा कारण यह है कि कुद लोग इस बिल को लाने में इन्ट्रैस्टिड नहीं हैं अगर इन्ट्रैस्टिड

होते तो इसके लाने में देरी क्यों होती। इस देरी में मुझे एक गलत धारणा नजर आती है वह यह है कि जो लोग मसौदा बनाते हैं प्रोसैस करते हैं वे शायद यह समझते हैं कि देहात के लोगौं पर एतबार न किया जाये और इस बे–एतबारी के कारण ही देहात के लोगों को अधिकार नहीं देना चाहते हैं। अशोक मेहता कमेटी ने सिफारिश की है कि देहात की पंचायतों को माली अख्तियारात और दिये जायें और इनके साथ जो कर्मचारी अटैचड हैं उन पर एक्शन लैने के भी अधिकार दिये जायें। इसलिए पंचायत समितियां, ब्लाक समितयां या जिला परिशदें फिर से गठित की जानी चाहिए हमारी स्टेट में पहले थ्री टायर सिस्टम था वही फिर से लागू होना चाहिए। उस सिस्टम के अनुसार हर संस्था को अलग–अलग अधिकार मिलें। मेरी यह धारणा है कि इस सिस्टम को लागू न होने देने में कुछ पोलिटिकल लीडर भी शामिल हैं और साथ में नौकरशाही भी है। पोलिटीकल लोगों का यह विचार है कि ये अधिकार जिला परिशदों को न मिलें क्योंकि इन संस्थाओं में जो इलैक्टिड मैम्बर्ज होंगे चेयरमैन आदि उनकी कहीं दूसरी जगह पर ट्रांसफर नहीं हो सकेगी लेकिन आफिसर्ज पोलिटीकल लोगों के कहने से काम नहीं करें तो उनका ट्रांसफर कर देंगे और अपनी मर्जी से जो काम करवाना चाहें करवा लेंगे। अगर किसी कलैक्टर ने पोलिटीकल आदमी की बात नहीं मानी तो उसका ट्रांसफर करवा दिया और दूसरे से अपनी इच्छानुसार काम करवा लिया। इन संस्थाओं को अधिकार न देने में न केवल ब्यौरोक्रेसी का हाथ मालूम होता है बल्कि पोलिटीकल लोगों का

भी मालूम देता है। मैं तो यह समझता हूं यह बिल्कुल गलत बात है। देहात के लोगों में दो सैक्शन हैं एक सैक्शन यह डिमान्ड करता है कि अख्तियारात दिये जायें दूसरा सैक्शन चाहता है कि न दिये जायें। लेकिन मेरी हाउस से गुजारिश है कि उनको जल्द से जल्द सभी अधिकार दिये जाने चाहिएं।

ठाकुर बीर सिंह जी के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि इस सरकार के पास अपनी कुर्सी बनाचने के टाईम के अलावा जो टाईम बचता है उसमें तो इस महत्वपूर्ण कानून के बारे में विचार कर लेना चाहिए और जल्द से जल्द हाउस में पेश करना चाहिए।

सहकारिता तथा योजना मंत्री (ठाकुर बीर सिंह): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं बाबू मूल चन्द जैन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं। वैसे तो वे बड़े सीनियर मैम्बर हैं और काफी समझदार हैं फिर भी बता दूं ये सारी बातें क्लीयर हो चुकी है। जिस वक्त मैं डिवैल्पमेंट मिनिस्टर था मैंने इस बारे में उनसे कई दफा बात की थी और अशोक मेहता कमेटी ने जो सिफारिशात की थीं उन पर एक महीने के भीतर ही विचार कर लिय गया था। अब उसको कानून की भी शक्ल दी जा चुकी है। अब कुछ बातें फिर विचार करने के लिए कैबिनेट में आयी हैं और जो कुछ बाबू जी बातें कर रहे हैं उससे तो कहीं ज्यादा आगे हम गये हुए हैं। अशोक मेहता कमेटी ने जो सिफारिशात की है वे तो हमने मानी हैं बल्कि हम तो उससे भी आगे हैं।

श्री मूल चन्द जैन: जिन नतीजों पर हमारी सरकार पहुंची है अगर उनको वे हाउस में सरकूलेट कर देते तो हम उन पर अपनी राय दे सकते थे कि जो सरकार ने फैसले किये हैं वे देहात के भाइयों पर एतबार किये जाने वाले फैसले है या जैसे पहले जमाने में बे–एतबार चल रहा था वैसे हैं। जब तक हमारे सामने कोई रिपोर्ट न आये तब तक हम उस बारे में क्या विचार दे सकते हैं। जैसा ठाकुर बीर सिंह जी ने फरमाया है उसका मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने यह भी कहा है कि कैबिनेट में फिर से विचार करने के लिए इसको मुल्तवी किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि यह मामला और ज्यादा दिनों तक चल सकात है और बिल के आने में कुछ और समय लग सकता है। क्या सरकार हाउस को इस बात का आश्वासन देगी कि इस कानून में पावर्ज को डि–सैन्ट्रेलाइज्ड किया गया है? क्या जिला परिशद फिर से बनायी जायेंगी और ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों को अधिकार दिये जायेगे? यह चीज जाउस में तफसील से बतायी जानी चाहिए क्योंकि अशोक मेहता कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसके अन्दर टू टायर सिस्टम है। पिछले दिनों जब मुरार जी भाई प्रधान मंत्री होते थे तो उन्होंने तमाम चीफ मिनिस्टर्ज की कान्फ्रेन्स बुलाई थी। इस कान्फ्रेन्स में अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट पर भी विचार किया गया था। मुख्य मंत्रियों के भिन्न–भिन्न विचार थे। कुछ मुख्यमंत्री तो टू टायर सिस्टम चाहते थे और कुछ थ्री टायर सिस्टम चाहते थे। हरियाणा में पहले थ्री टायर सिस्टम था। पंचायत समिति, ब्लाक समिति और फिर जिला परिशद् होती थी।

मैं चाहता हूं और मुझे विश्वास भी है कि हरियाणा में जिला परिशद् जरूर बनायी जानी चाहिए और उनको उचित अधिकार भी दिये जाने चाहिए।

एक बात पर मैं और जोर देना चाहूंगा कि जो सरकारी कर्मचारी इन संस्थाओं में हों उन पर भी कन्ट्रोल उन्हीं संस्थाओं का होना चाहिए। चाहे कोई ग्राम पंचायत, ब्लाक समिति के काम रने वाला कर्मचारी हो या पहले के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के टाईम के कर्मचारी हों उन पर एक्शन लेने का अधिकार उन्हीं संस्थाओं को होना चाहिए। जैसे अब हालात हैं कि किसी पटवारी के खिलाफ कोई एक्शन लेना हो तो डी.सी. के सिवाए कोई एक्शन नहीं ले सकता। ग्राम सचिव पर भी पंचायत को कोई एक्शन लेने का अधिकार नहीं हैं और भी देहातों के कितने ही कर्मचारी हैं जिन पर पंचायत एक्शन नहीं ले सकती। पंचायत जो भी प्रस्ताव पास करके भेजती है उसकी रद्दी कागज के बराबर भी कद्र नहीं है। ठाकुर बीर सिंह जी ने यही कहूंगा कि पावर्ज का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। हम लोग देहात से आये हैं और देहात में ही पैदा हुए हैं। हमारे में से चन्द लोग ही शहरों में पैदा हुए हैं बाकी तो सभी को देहात की हालत मालूम है। देहात में पैदा हुआ सारी स्टेट को रन कर सकता है, स्टेट का चीफ मिनिस्टर बन सकता है तो हम उन देहात के भाइयों पर क्यों शक करते हैं कि वे ठीक तरह काम नही कर पायेंगे। जो लोग गलत कार्यवाही करते है उनके खिलाफ एक्शन लें। आज के दिन यह हालत है कि अगर

पंचायत कोइ डिवैल्पमेंट का काम करना चाहती है या किया है तो उसका बिल पास करवाने के एिल ग्राम सचित के दस्तखत होते हैं, फिर बी.डी.ओं के दस्तखत होंगे तब जाकर वह बिल पास होगा। हालत यहां तक है कि सरपंच को बिल पास करवाने के लिए पंचायत अफसर और दूसरे लोगों को घूस देनी पड़ती है। जब विकास के काम पंचायत करती है तो उसको बिल पास करवाने की क्या आवश्यकता है। ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि उसका पैसा कोआपरेटिव बैंक में हो ओर वहां से वह सीधे तौर पर निकलवा ले। मेरे कहने का मतलब यह है कि अब तक लूली–लंगड़ी पंचायत समितियां रही है, इनको मजबूत करने के लिए अशोक मेहता कमेटी बनी थी ताकि उन संस्थाओं को फिर से जीवित किया जा सकें। इस बात पर डेढ़ वर्श से हमारी स्टेट में विचार हो रहा है लेकिन अभी तक इस बारे में कोई फैसला नहीं हो पाया है। इसी हाउस में सबको मालूम है कि जिला परिशद और पंचायत समितियां 7 वर्श से सुपरसीड की हुई हैं, उनको बहाल करने के बारे में सरकार ने कोई विचार नहीं किया। इसी प्रकार से हमारी म्यूनिसिपल कमेटियां और मार्किअ कमेटियां भी सुपरसीड की हुई है। मार्किट कमेटियों में इलैक्टिड मैम्बर्ज को न लगा कर नोमिनेटिड लगाये जाने का विचार सरकार कर रही है। क्या हमारी यह मौजूदा सरकार यह समझती है कि पंचायत समितियों और म्यूनिस्पिल कमेटियों के चुनाव न करवाये जायें। इस प्रकार से प्रजातन्त्र राज ठीक तरह से नहीं चल सकता। प्रजा राज में स्वस्थ्य मान्यताओं का होना बहुत जरूरी है। म्यूनिस्पिल कमेअियां ब्रिटिश

राज में भी कायम थीं। उस समय वे बहुत ज्याद काम किया करती थीं परन्तु अब चाहे म्यूनिस्पिल कमेटी हो या मार्किट कमेटी हो सब जगह पर एडमिनिस्ट्रेटर लगाये हुए हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकारी कर्मचारी तो दूध के धोये हुए समझे जाते हैं और जनता के चुने हुए नुमायन्दे बहुत गलत आदमी समझे जाते हैं। यह सोचने का ढंग बड़ा गलत है। मै। इस सरकार से उम्मीद करूंगा कि इस तानाशाही पालिसी को छोड़कर जितनी जल्दी हो सके कानून का मसौदा हाउस में लाया जाये। मैं एक प्वायंट और भी कहना चाहता हूं। अब चूल्हा टैक्स के अलावा ग्राम पंचायत को कोई भी टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है। सरकार जो मालिया इकट्ठा करती है वह अपने पास जमा कर लेती है। सरकार की मर्जी है कि वह उनको ट्रांसफर करे या न चाहे तो न करें। हमारी स्टेट ही हिन्दुस्तान में ऐसी है जहां सारे का सारा मालिया स्टेट में चला जाता है। हिन्दुस्तान के अन्दर और कोई स्टेट ऐसी नहीं है जो सारे का सारा मालिया अपने पास ही रखती हैं। इन स्टेटों में कई स्टेटें ऐसी हैं जहां पर सारे का सारा मालिया पंचायतों को ट्रांसफर कर दिया जाता है।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौ. मेहर सिंह राठी): सरपंचों ने तो पंचायतों के सारे वृक्ष बेच दिए हैं।

श्री मूल चन्द जैन: जिन सरपंचों ने पंचायतों के वृक्ष बेचे हैं तो मैं उनके हक में नहीं हूं। यदि सरपंच की बजाय कोई मिनिस्अर ही वृक्ष बेचे तो फिर कैसे काम चलेगा? आज सरपंच को

दरखत बेचने का अधिकार होना चाहिए लेकिन गलत तरीके से नहीं। ग्राम पंचायतों को इस काबिल बनाया जाना चाहिए कि उनकी आमदनी के साधन बढ़ें। हमारी जो पंचायत समितियां हैं या जिला परिशद हैं उन पंचायतों को कुछ टैक्स लगाने का अधिकार दें। इसके साथ–साथ सरकारी कर्मचारियों पर एक्शन लेने का अधिकार भी पंचायत को मिलना चाहिए। पंचायत समिति या ब्लाक समिति की तरफ से कोई प्रस्ताव पास करके सरकार के पास भेजा जाये तो उस पर जरूर गौर किया जाये। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य चौ. प्रताप सिंह ठाकरान, पदासीन हुए)। इस प्रस्ताव को यों ही समझ कर न छोड़ दिया जाये। इन शब्दों के साथ यह प्रस्ताव जो मैंने हाउस के सामने विचार करने के लिए पेश किया है, पास करें। मुझे आशा है कि सदन इसे सर्व सम्मति से पास करेगा।

चौ. उदय सिंह दलाल (बादली): चेयरमैन साहब, जैन साहब ने जो प्रस्ताव पंचायती राज सिस्टम चालू रखने के लिए हाउस के सामने पेश किया है मैं उसकी ताईद करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जो प्रस्ताव इन्होंने पेश किया है यह बिल्कुल दुरूस्त है। इस प्रस्ताव के बारे में मैं दो–चार बातें हाउस के सामने रखना चाहता हूं। यह पंचायती राज किस मकसद के लिए चलाया गया था बताना बहुत जरूरी है। पंचायती राज का मकसद यह था कि गांवों में लीडरशिप लाने के लिए, गांवों के लोगों की सूझ–बूझ के लिए और गांवों में जो झूठे मुकदमें बनते हैं या

झगड़े होते हैं उनको गांव के लोगौं के द्वारा ही निपटाने के लिए यह सिस्टम लागू किया गया था। गांवों के अन्दर कम से कम मुकदमेबाजी हो और गांवों का सिस्टम खराब न हो इसलिए इसे लागू किया गया था। सरकार को तो दूसरे कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती है। जब जुडि ायरी और एग्जैक्टिव इकट्ठी थी तो उनका समय गांवों के झगड़ों में न लगे, इस मकसद के लिए यह पंचायती राज सिस्टम लागू किया था लेकिन पंचायती राज सिस्टम चालू रखने के लिए न सिकी डी.सी. से को–आप्रेशन मिला यानी पुलिस के सिपाही से लेकर आई.जी. तक किसी का भी को–आप्रेशन नहीं मिला। जो आफिसर गांवों में जाते हैं, वे सरपंच को बुलाते हैं। गावों के अन्दर चाहे कोई कुत्तों को मारने वाले जायें या फैमिली प्लानिंग वाले जायें या और कोई जाये, सभी सरपंच को बुलवाते हैं। सारी की सारी सरकारी मशीनरी ने उसके घर खाने का अड्डा बनाया हुआ है। यहीं तक यह बात सीमित नहीं रही, बढ़ते–बढ़ते चुनाव के अन्दर भी सरपंच की दखलान्दाजी मानी जाने लगी। मौजूदा सरकार ने तो यह किया कि जो सरपंच सरकार के खिलाफ हो उसे सस्पैंड करो। मेरे नोटिस में कई सरपंच के वाके हैं जहां हाई कोर्ट में रिट की हुई है। मेरे दोस्त राव राम नारायण जी को पता है कि कई सरपंच तो जबरदस्ती सस्पैंड किए हुए हैं। जब वे हाई कोर्ट में जाते हैं तो उनके सस्पेन्शन के आर्डर वापस ले लिए जाते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद दुबारा सस्पैंड कर दिए जाते हैं फिर वे दुबारा हाई कोर्ट में गए तो फिर उनके आर्डर वापस ले लिए। सरपंचय तो जनता

के चुने हुए नुमायन्दे है। पंचायत का सारे का सारा काम उनके मत से होना चाहिए। जहां पर कोई भी गबन करता है चाहे वह ब्लाक समिति का मैम्बर हो या पंचायत समिति का मैम्बर हो उसके खिलाफ जरूर एक्शन होना चाहिए। सरपंच के तो बहुत छोटे–छोटे गबन होते हैं। मैं आपको एक ऐसे फैक्टरी वाले को बता सकता हूं जिन्होंने बहुत ज्यादा टैक्सों की चोरी की हुई है। यदि आप एक फैक्टरी वाले को पकड़ ले तो जितने ये पंचायतों के गबन होते हैं सारे पूरे हो जायेंगे क्योंकि फैक्टरी वाले सैल्ज टैक्स की बहुत बड़ी मात्रा में चोरी करते हैं। मैं किसी दखल–अन्दाजी में नहीं पड़ता। पंचायती राज के मुताबिक तो पंचायतों को उनकी आमदनी में 10 फीसदी मिलाकर मिलना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार ने पंचायतों के अन्दर जितने भी पहाड़ थे, जितनी भी यमुना की रेती थी या मवेशियों के मेले थे उन सभी चीजों की आदमनी अपने कब्जे में ले ली है। जो पंचायतों की आदमनी होती है तो उसी पैसे को सरकार अपने कब्जे में ले लेती है। फिर उस पंचायत का काम कैसे चलेगा? पहले जितने भी मवेशियों के मेले होते थे या रेत की खानें होती थी इन सब पर ब्लाक समिति का कन्ट्रोल होता था लेकिन अब सब बी.डी.ओं. के नीचे कर दिए गए हैं। कोई उनकी चैकिंग नहीं होती है चाहे वे कितना ही सरकार का पैसा खर्च करें। 12–12 साल से एक ही आफिसर वहां पर बैठा हुआ है। अगर किसी तरीके से उसका ट्रान्सफर हो जाये तो सिफारिश करवा कर फिर वहीं लग जाता है। अगर पंचायती राज लागू हो जाये तो यह बात नहीं चल सकती। चेयरमैन साहब, मैं

आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। किसी गांव में एक सास थी। वह एक बार अपने पीहर चली गयी। जो उनके घर में गाय थी, वह उसके हाथड़ थी। जब वह चली गयी तो बहु ने सोचा कि चलो तू ही निकाल कर देख ले। लेकिन उस गाय ने लातें मारनी शुरू कर दीं। उस बहू ने किसी हाली को जो अभी शादीशुदा नहीं था, बड़े प्यार से यह कहा कि देवर जी, इस गाय का दूध तो जरा निकाल दो। वह दूध निकालने लगा तो गाय ने उसको भी लातों और सिंगों से मारना शुरू कर दिया। उस बहू को रहम आ गया कि यह बेचारा तो ख्वामखाह ही मैंने मरवा दिया, वह दौड़ कर अपनी सासु की घाघरी उठा लायी और उस हाली के ऊपर डालने लगी ताकि गाय यह समझे कि उसकी सासु ही उसका दूध निकाल रही है। उस हाली ने जो काफी मार खा चुका था, गुस्से में आकर यह कहा कि अब तो मुझे मरने दो, घाघरी डालने की जरूरत नहीं है। जो कुछ होगा देखा जायगा। इसलिये मैं मंत्री महोदय ने यह गुजारिश करूंगा कि इस पंचायती राज पर घाघरी न डालें, या तो इसको बिल्कुल ही मरने दें या फिर इसके ढ़ाचे को ठीक करें। अगर हम इस ढांचे को ठीक करना चाहते हैं तो जिला परिशदें व पंचायत समितियों को ठीक तरीके से बनायें। उनको पूरे अख्तियारात दें ताकि वे अपना काम आजादी के साथ कर सकें। मैं तो सरकार से यह भी कहूंगा कि इस एक्ट में ही तरमीम कर दी जाये ताकि उनको पूर अख्तियारात मिल सकें। मैं यह समझता हूं कि राव साहब यह काम अवश्य करेंगे। वे बुजुर्ग हैं और काफी सियाने हैं, (व्यवधान) अच्छा काम किसी के भी टाईम पर हो जाये,

हो जाना चाहिये (व्यवधान) तेरे बाप ने तो जिला परिशदें और पंचायत समितियां तोड़ दी थी। यह कोई अच्छी बात नहीं। अच्छा काम चाहे कोई सरकार करें उसका नाम होता है, यदि कोई सरकार बुरा काम करती है तो वह बदनाम होती है मैं समझता हूं कि इस पंचायती राज के अख्तियारात बढ़ाये जायेंगे। इसको ऐसे खूबसूरत ढंग से बनाया जायेगा कि यह अफसरशाही के शिकंजे से निकल जाये ओर आजादी के साथ काम कर सकें (व्यवधान व शोर) मैं यह कहना चाहता हूं कि जब मिनिस्टरों के ऊपर कोई चैंकिंग नहीं, तो इन बेचारों पर क्यों? (व्यवधान व शोर) चेयरमैंन साहब, मैं, राव साहब और ठाकुर बीर सिंह जी एक साथ कमेटी में थे। इसके लिये कोई न कोई एक्ट में ऐसी अमैंडमैंट लायी जाये ताकि प्रजातन्त्र बहाल हो सके। हम सारे के सारे ही जब चुंन कर आये तो जनता पार्टी में थे और हमने जनता से यह वायदा किया था कि प्रजातन्त्र को बहाल करेंगे, इसलिये प्रजातन्त्र को बहाल करने के लिये पंचायत समितियों के और जिला परिशदों के इलैक्शन करवाये जायें। गुजरात में मैं आपको बताता हूं। कि वहां पर कैसा सिस्टम है। जैसे करनाल एक जिला है, मान लीजिये उसके लिये एक करोड़ रूपये का बजट है। तो यह पैसा चेयरमैंन, पंचायत समिति को अलाट हो जाता है। वही इसके खर्च की योजना बनाती है कि कितना पैसा सड़कों पर खर्च होना है, कितना स्कूलों पर खर्च होना है, कितना कहां–कहां पर खर्च होना है और वह खर्च करता है। हमीर जो अफसरशाही है, उसको यह सूट नहीं करता, प्रजातन्त्र का तकाजा तो यही हे कि उनको भी

आजादी होनी चाहिए। अब देखिये, मार्किट कमेटियां थीं, वह भी पंचायती राज का एक हिस्सा हैं क्योंकि मार्किट कमेटियों के मैम्बर सरपंचों और पंचों द्वारा चुने जाते हैं। वे उनका कन्ट्रोल करते हैं। गांव की 36 जातों के आदमी उसमें होते हैं। चाहे किसी भी सरकार का राज हो, जो चापलूस आदमी होते हैं, जो गले में हार डालने वाले आदमी होते हैं, वे अपना नाम नौमीनेट करवा लेते हैं। न तो उसका कोई गांव से ताल्लुक , न उसका पंचायत से ताल्लुक, न ब्लाक से ताल्लुक लेकिन वह वहां पर नौमीनेट हो जाते हैं। यह गलत बात है। इतना ही तो वे करते हैं कि जब कोई वजीर वगैरा वहां पर आता है तो उसके स्वागत के लिये बाजें–गाजें और झंडे–वंडे लगवा देते हैं। ऐसा ही एक आमी बहादुरगढ़ में लगा हुआ है। जब भी कोई वजीर वहां पर जाता है तो उसका स्वागत करने के लिये वे लोग आगे आ जाते हैं। अब तो सारे ही बावले हो रहे हैं। अब तो इन्होंने यह कर दिया है कि बी.डी.ओं. भी भागे फिरते हैं कि गेट बनाओं, झन्डियां लगवाओं और दूसरी सब चीजों का प्रबन्ध करो, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। हमारे लिये यह कितनी शर्म की बात है कि 32 साल की आजादी के बाद भी हमारी सरकार एक भी गांव में हमारी बहिनों और बेटियों के लिये टट्टी–पेशाब की जगह नहीं बना सकी है। (व्यवधान) किसी मिनिस्टर का या उसके रिश्तेदार का एक आध ही कोई ऐसा गांव होगा जहां पर इसके लिये कोई प्रबन्ध होगा लेकिन आम तौर पर ज्यादातर गांवों में हमारी बहिनों और बेटियों को खुले में ही बैठना पड़ता है। पंचायतों का यह सिस्टम इसलिये

बनाया गया था ताकि यह वहां के लोगों की सुख–सुविधा के लिये लैटरीन्ज बनोय, स्कूल बनाये, सड़के बनाये और दूसरे जरूरी काम करवाये। लेकिन इस सिस्टम को ऐसा बना दिया गया है कि यह कोई काम नहीं कर सकता। इस राज में तो जो अफसरगाही चाहती है, जो उसको सूट करता है, वही होता है। जिसको चाहा ग्रान्ट दिला दी, जिसको चाहा लोन दिला दिया। चेयरमैन साहब, अगर यह पंचायती राज बहाल कर दिया जाये तो वहां पर अफसरों की पूछ नहीं रहेंगी। वहां के एम.एल.एज. की पूछ नहीं रहेंगी। उनकी मनमानी नहीं चलेगी। जब कोई पंचायत समिति होगी, कोई जिला परिशद होगी तो इससे सरकार का काम भी हल्का होगा। तरक्की के काम ज्यादा हो सकेंगे। आप देखें आज से 50 साल पहले किसी गांव से शामलात तौर पर कोई दरख्वास्त नहीं आती थी कि हमारे गांव में स्कूल अपग्रेड कर दो, हमारे गांव में अस्पताल बना दो, या हमारे गावं में सड़के बना दी। यह सब पंचायती राज सिस्टम की करामात है। अगर सरकार की तरफ से इसको पूरी पावर्ज दे दी जायें तो लोग गांवों की तरक्की के लिये और ज्यादा काम करेंगे बशर्ते कि सरकार का भी इसमें कोआप्रेशन मिले। सरकार की तरफ से कोई दखल–अन्दाजी न हो। सरकार की दखल अन्दाजी सिर्फ इतनी हो कि जब कोई गलत काम होने के बारे में लिखित रूप से शिकायत आये, उसका सबूत हो, उसकी इन्क्वायरी हो, यदि इन्क्वायरी में यह शिकायत सही पायी जाये तो कन्सर्न्ड आदमी के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। मैं आपको एक पंचायत की बात बताऊं। उस पंचायत के 8 मैम्बर हैं। सरपंच

सस्पैंड हो गया है। उस पंचायत के 7 मैम्बर तो यह चाहते है कि चार्ज उसी को मिले और इसके लिये उन्होंने डी.सी. को अपना लिखकर हल्फिया ब्यान भी दे दिया है लेकिन एक वजीर और एक एम.एल.ए. यह चाहात हे कि चार्ज उसको न मिले। देखिये यहां तक तो दखलअन्दाजी है। मैं आपको ऐसे–ऐसे केसिज बता सकता हूं कि जिनमें 60–70 हजार यपये का गबन किया हुआ है। बी.डी. ओ. ने इंक्वायरी कम्पलोट कर लो, डायरैक्टर ने इन्कवायरी कम्पलीट कर ली, लेकिन आज तक उस पर कोई ऐक्शन नहीं लिया गया है। इसलिये मैं तो यह चाहूंगा कि इस एक्ट में ही तरमीम कर दी जाये और पंचायती राज सिस्टम को पूरे अख्तियारात दे दिये जायें ओर ठीक तरीके से उनको काम करने दें, तभी गांव के भले के लिये कोई काम हो सकते हैं। जनता पार्टी ने चुनाव के समय यह वायदा किया था कि हम पंचायती राज को बहाल करेंगे, चुनाव प्रणाली को बहाल करेंगे, इलैक्शन सिस्टम को बहाल करेंगे, इसलिये मेरा कहना यह है कि इस चुनाव प्रणाली को बहाल किया जाये। अब तो आपकी भाग–दौड़ खत्म हो गयी है, अब तो भाग–दौड से आप निपट लिये इसलिये अब तो आप यह काम कर लें। चेयरमैन साहब, आप यह सुन कर हैरान होंगे कि कोआप्रेटिव इंस्टीच्यूशन्ज के अभी जो चुनाव हुए हैं उनमें 10 तो चुनाव से डायरैक्टर बन गये और 5 सरकार ने बना दिये। अब उसमें चेयरमैन कोन बनेगा? चेयरमैन बनाने के लिये भी मिनिस्टर साहब का टेलीफोन चला जाता है और जिनको वह चाहते है हैं, वही चेयरमैन बन जाता है। जब आप यही चाहते हैं

कि आपका अपना आदमी ही चेयरमैन बने, तो फिर या तो उसको नौमीनेट कर दें या फिर डैमोक्रेटिक ढंग से जिस आदमी के साथ ज्यादा आदमी हों, बनने दें। जो आपके औफीशियल मैम्बर्ज हैं, वे तो प्रोसीडिंग्ज वगैरा की निगरानी करने के लिये होने चाहियें। चेयरमैन साहब, जो आदमी एम.डी. और ए.आर. की मदद से चेयरमैन बनेगा, वह उन पर क्या निगरानी रखेगा? वे कहेंगे कि कल तो चेयरमैन बनाया है और आज हमारी जवाबतलबी करता है?

11.00 बजे

चेयरमैन साहब, मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव हर चीज के होने चाहिए। मैम्बर भी वोट द्वारा चुने जाएं, चेयरमैन भी वोट द्वारा चुने जाए। कमेटी के चुनाव हों, समिति के चुनाव हों और जिला परिशद के चुनाव हों, सबके चुनाव जनता द्वारा होने चाहिएं। चेयरमैन साहब, यह वक्त रह जाता है, बात रह जाती है। इस दुनिया में सबको एक दिन जाना है। ऐसा न हो कि आने वाली सन्तानें यह कहें कि हमारे बुजुर्गो ने कितना गल्त काम किया। आखिर में चेयरमैन साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का टाईम दिया।

श्रीमती सुशमा स्वराज (अम्बाला छावनी): सभापति महोदय, मैं बाबू मूल चन्द जैन को बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने एक अहम प्रस्ताव सदन के सामने चर्चा के लिए रखा है। सभापति महोदय, मेरी इच्छा थी कि जैन साहब ने अशोक मेहता

कमेटी की जिन सिफारिशात का अपने प्रस्ताव में जिक्र किया है उन सिफारिशात को सदन के सामने पढ़ते ताकि इस सदन के सदस्यों को जानकारी होती कि वे सिफारिशात को सदन के सामने पढ़ते ताकि इस सदन के सदस्यों को जानकारी होती कि वे सिफारशात क्या हैं और उस जानकारी को मदेनजर रखते हुए सदस्य अपने विचार रखते ताकि सइ प्रस्ताव पर की जाने वाली चर्चा और सजीव बन पड़ती लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सभापति जी मैंने बहुत कोशिश की कि कहीं से मुझे रिपोर्ट मिल जाए और उसको मैं सदन के सामने रख सकूं और उसको मदेनजर रखते हुए इस सदन में चर्चा कर सकूं। लेकिन मुझे खेद है कि विधान सभा का जो पुस्तकालय है उसमें भी यह अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हो सकी। सभापति महोदय, जहां तक पंचायती राज का सवाल है, मैं कहना चाहूंगी कि हमारे देश में लोकतन्त्र पद्धति को अपनाया गया है और आप जानते हैं कि लोकतन्त्र का ढांचा तभी मजबूत हो सकता है जबकि लोकतन्त्र की प्रक्रिया को नीचे से अपनाया जाए। हर सिस्टम के नीचे चुनाव की प्रक्रिया को अपनाया जाए और गांवों के अन्दर इस चुनाव प्रक्रिया की जानकारी दी जाए तभी विधान सभाओं में तथा लोकसभा में अच्छे आदमी पहुंच सकेंगे। लेकिन सभापति महोदय, मुझे अफसोस है कि आज इस देश में दो तरह के चिन्तन चल रहे हैं। एक स्कूल आफ थीट वह चल रहा है जो पंचायती राज संस्थाओं को बिल्कुल समाप्त करना चाहता है। आज चौ.रिजक राम जी यहां पर बैठे नहीं है। उनसे अकसर बातचीत होती रहती

है। उनका विचार है कि पंचायती राज हमारे यहां बिल्कुल सफल नहीं हो सकता है और इसके पीछे यह दलील देते हैं कि पंचायती राज के चुनाव बहुत मंहगे हैं, पार्टीबाजी गांवों के अन्दर पंचायती राज चुनावों के कारण बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले गांवों के अन्दर 36 जातियां थीं और सब मिलकर रहा करते थे लेकिन इन चुनावों के कारण गांवों के अन्दर लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ये लोग कहते हैं कि पंचायती राज सिस्टम ने हिन्दुस्तान के गांवों की सभ्यता को हिला दिया है। सभापति महोदय ये लोग वही हैं जो एक तरफ तो कहते हैं कि भारत के अन्दर लोकतन्त्र बढ़े और इस देश में प्रजातन्त्र रहना चाहिए और दूसरी तरफ पंचायती राज सिस्टम को समाप्त करना चाहते हैं। किसी ने कहा है –

जमहूर के ठेकेदारों को यह राजे हकीकत बतला दो

परवाने के जलने से पहले खुद शम्मां को जलना पड़ता है।

सभापति महोदय, आगर इस देश में जमहूरियत को जिन्दा रखना है तो इस तरह की छोटी–मोटी कुर्बानी करनी पड़ेगी। जब तक कुर्बानी नहीं दी जाए तब तक किसी देश में लोकतन्त्र मजबूत नहीं हो सकता है। जब कोई देश कोई पद्धति अपनाता है तो कुछ कुर्बानी तो करनी ही पड़ेगी। सभापति महोदय, सबसे पहले महात्मा गांधी ने इस देश में पंचायती राज

की वकालत की थी क्योंकि वे समझते थे कि अगर इस देश में प्रजातन्त्र को जिन्दा रखना है तो पंचायती राज सिस्टम को अपनाना पड़ेगा। इस सिस्टम को अपनाए बिना प्रजातन्त्र तथा लोकतंत्र चल नहीं पाएगा। नीचे के लोगों को, गांव के लोगों को इस चुनाव प्रणाली से अवगत कराया जाएगा तभी हमारी लोकसभा तथा असैम्बली काम कर पाएंगी। इसके पश्चात इस देश के महान समाजवादी चिन्तक डा. राम मनोहर लोहिया ने चौखम्बा राज्य का विचार यिदा। उन्होंने चार सीढ़ियां बनाई पंचायत, जिला परिशद, राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार। सभापति महोदय, पंचायतें हर देश की लोकतन्त्र की नींच होती हैं। जब छोटे–छोटे गांवों के लोग बैठकर पंचायत के लिये लोगों को चुनेंगे, उनको चुनाव प्रक्रिया समझायी जाएगी, उनके अन्दर जन चेतना आएगी और उनका समाज के प्रति क्या कर्त्तव्य है, इस चीज का पता चलेगा और तभी हमारे देश के अन्दर प्रजातन्त्र मजबूत होगा। सभापति महोदय, 1952 से पहले जब तक पंचायतों के चुनाव नहीं हुए थे, हरिजन बस्तियों में स्वर्ण जाति के लोग जाते नहीं थे। हर गांव में एक हरिजन बगड़ बना हुआ था। स्वर्ण जाति का आदमी उस बगड़ में जाता नहीं था। उनकी चारपाई पर कोई स्वर्ण जाति का आदमी बैठता नहीं था, उनके हाथ का छुआ हुआ पानी कोई स्वर्ण जाति का आदमी नहीं पीता था। आंकड़े इस बात को साबित करते हैं कि जब पंचायतों के चुनाव हुए तब स्वर्ण जाति के लोग उन हरिजन बगड़ में गए। जब सरपचों के चुनाव हुए तो सबसे पहले स्पर्ण जाति के लोग हरिजन बगड़ में गए। उनकी चारपाई पर

जाकर बैठे, उनसे कहा कि हमें पानी पिलाओं। उस दिन ही स्वर्ण जाति के लोगों को प्यास लगी थी क्योंकि उन्हें पता था कि हरिजनों के पास राय का अधिकार है और हरिजनों के पास वह अधिकार लोकतान्त्रिक अधिकार है। सभापति महोदय, यह जो छुआछूत समाप्त हुई उसका कारण केवल यही था कि पंचायती राज सिस्टम को लागू किया गया और हरिजनों को पंचायती राज के माध्यम से एक अधिकार प्राप्त हुआ। जो लोग यह दलील देते हैं कि पंचायती राज सिस्टम में चुनाव बहुत मंहगा पड़ता है और इससे गांवों के अन्दर झगड़े बढ़े हैं, वे यह भूल जाते हैं कि इस सिस्टम से देश के अन्दर कितनी बड़ी क्रान्ति आई है इससे देश में छूआछूत कम हुई है। सभापति महोदय, जो लोग पंचायती राज सिस्टम को खर्चीला, उसे गांवों के अन्दर मेल मिलाप खत्म होने की बात करते हैं वे इस देश से लोकतन्त्र को समाप्त करने की साजिश कर रहे हैं। मैं कहना चाहती हूं कि ऐसे लोगों की इस साजिश को पनपने नहीं देना चाहिए। उनकी यह विचारधारा कहीं कामयाब न हो जाए। इसलिये मैं चाहूगी कि यह सदन सर्वसम्मति से सरकार से सिफारिश करे कि वह पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करे। अभी ठाकुर बीर सिंह ने कहा कि हम लोग अशोक मेहता कमेटी की सिफारिशों से और आगे जाकर विचार करने जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि राज्य सरकार इस बारे में सोच रही हैं लेकिन मुझे शक हैं कि हमारी सरकार इन सिफारिशों के बारे में सोच रही है। होता यह है कि मैम्बर्ज कोई प्रस्ताव लाते हैं उसके बारे में एक सब–कमेटी बन जाती है, एक कमेटी बन जाती है फिर

एक कैबिनेट कमेटी बन जाती है और यह काम यूं लम्बा होता जाता है। लेकिन जिस सरकार की इच्छा शक्ति होती है, जिस सरकार की कुछ करने की विल होती है वह सरकार कुछ करके दिखा देती है। सभापति महोदय, मैं पश्चिमी बंगाल का उदाहरण देना चाहती हूं। वहां पर पंचायती राज सिस्टम में बहुत सुधार आया है। उन्होंने थ्री टायर सिस्टम अपनाया है और उन्होंने चुनाव के लिए एक तिथि निर्धारित कर दी। एक ही दिन उन्होंने तीन डिब्बे रख दिए, एक काला डिब्बा, एक पीला डिब्बा और एक हरा डिब्बा और एक ही दिन में तमाम पश्यिमी बंगाल में चुनाव हो गया। मैं केवल इतना कहना चाहती हूं कि जिन सरकारों में किसी काम को करने की विल पावर आ जाए वे पूरी शक्ति से उस काम को कर देती हैं और यह बात पश्चिमी बंगाल में देखी जा सकती है जहां पर पंचायत समिति, ब्लाक समिति और जिला परिशद का चुनाव एक दिन में ही करा लिया और हमारे मंत्री कह रहे हैं कि हमारी सरकार अशोक मेहता कमेटी की सिफारिशों से ऊपर जाकर विचार कर रही हैं। सभापति महोदय, मैंने अखबारों में पढ़ा है कि मार्किट कमेटियों के चुनाव समाप्त कर दिए हैं और केवल इसलिये कि चुनाव मंहगे हैं। सभापति महोदय, कहावत है कि पूत के पांव तो पालने में दिखाई दे जाते हैं। हमारे यहां तो नगरपालिकाओं के चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं, तो मुझे कैसे यकीन हो कि यह सरकार पंचायती राज को मजबूत करेगी। मेरा कहना है कि तमाम की तमाम पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराकर इनको सरकार अधिकारियों से मुक्त किया जाए। हम तो यह देखते हैं कि इन

संस्थाओं के अन्दर सरकारी हस्ताक्षेप ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सभापति महोदय, एक तरफ तो मार्किट कमेटियों के चुनाव समाप्त कर दिए हैं और दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि हम पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ाया देंगे। इसलिये मैं कहना चाहती हूं कि जो भी आश्वासन मंत्री महोदय दें, वह आश्वासन केवल कागजी आश्वासन बनकर न रह जाए। इसलिये मैं चाहती हूं कि सरकार की ओर से इस प्रस्ताव को वापिस लेने की बात न की जाए बल्कि सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास करके सरकार से कहा जाए कि यह सदन सर्वसम्मति से राज्य सरकार से सिफारिश करता है कि पंचायती राज संस्थाओं को इस प्रान्त में सुदृढ़ किया जाए और ऐसा करना लोकतन्त्र को मजबूत करने में एक बड़ा भारी योगदान होगा।

चौ. हरस्वरूप बूरा (महम): चेयरमैन साहब, सदन में बाबू मूल चन्द जैन जी ने जो यह प्रस्ताव पेश किया है, मैंन उसकी पुरजोर ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं और अपने कुछ शब्दों के साथ इस प्रस्ताव के अन्दर इजाफा करना चाहता हूं कि पंचायती राज जो है, यह एक तरह से लोकल सैल्फ गवर्नमैंट की यूनिट माना जाता है और इसके कुछ विशेश आब्जैकटिब्ज हैं, जिनकी हमारे पूज्य पिता महात्मा गांधी जी ने वकालत भी की थी। उन्होंने कहा था कि देहातों के अन्दर लोगों की बहबूदी, उनकी तरक्की तब हो सकती है जब पंचायती राज को वहां पर अच्छे और स्वच्छ ढंग से चलाया जाए और उसमें किसी प्रकार की

कोताही न आए। लेकिन सभापति महोदय पंचायती राज बनने के बाद एक एक दिन गुजरता गया, लोगों के इंट्रैस्ट बढ़ते चले गये और हुआ यह कि हमारा पंचायती राज का जो ओल्ड सिस्टम था, उसको हमने भुला दिया और उसको और जटिल बना दिया गया। चेयरमैन साहब, आज अगर हकीकत में पचायती राज के ध्येय की तरफ जाएं तो मैं कह सकता हूं कि जो स्पिरिट पहले पंचायती राज की थी, वह आज कोसों दूर चली गई है। चेयरमैन साहब, जिस परपज के लिये पंचायती राज की स्थापना की गई थी, आज पंचायती राज उस स्पिरिट में अपना काम करने में असमर्थ है। उसमें आज पोलिटिक्स की इतनी इंटरफियरैन्स हो गई है कि एक पंच और सरपंच पोलिटिकल आदमियों की मर्जी के बिना काम करते हैं तो उनका जीना हराम कर दिया जाता है, उनको सस्पैंड करवाया जाता हैं। फिर बाद में उनको कहा जाता है कि आप हमारी मदद करो आपको बहाल करवा देंगे। हर लिहाज से उन बेचारों पर दबाव डाला जाता है। जो लोग ऐसा करते हैं चेयरमैन साहब, उनको अपने दिलो दिमाग पर हाथ रखकर देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं? चेयरमैन साहब, आपको पता है कि जिस तरह से एक पोलिटीकल आदमी चुनकर आता है, उसी प्रकार से एक पंच या सरपंच का चुनाव भी होता है। अगर इन लोगों को सस्पैन्ड करने की किसी के पास पावर हो तो पोलिटीकल आदमियों को यह पता लग जाये कि पंचों और सरपंचों को सस्पैंड करने का क्या हशर होता है पर इन बातों की तरफ कोई

ध्यान नहीं देता। चेयरमैन साहब, पंचायती राज सिस्टम नाकामयाब होने के कई कारण हैं।

चेयरमैन साहब, पहला कारण यह है कि पावर्ज को डिसैन्ट्रेलाईज नहीं किया जा रहा है। सरकार को चाहिए कि पावर्ज को डिसैन्ट्रेलाईज करे ताकि जिस परपज के लिये यह पंचायती राज इंस्टीटयूशन बनायी गई है वह परपजफुली काम कर सके। जब तक वैसटिड इंट्रैस्ट को राक नहीं जाएगा और जब तक इस पोलिटीकल इन्टरफियरैन्स को समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक यह पंचायती राज सिस्टम कभी भी नहीं पनप सकेगा।

चेयरमैन साहब, बहुत से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमारे पंचायती राज का एक ऐसा रूप बन गया है कि लोगों के दिलों में पंचायती राज के लिये कोई सम्मान नहीं रहा है। आम तौर पर कहा जाता है कि गांव की पंचायतों में पंच और सरपंच पंचायत का पैसा ठीक ढंग से इस्तेमान नहीं करते जिसके कारण यह सिस्टम फेल हुआ है। चेयरमैन साहब, हकीकत यह नहीं है दरअसल हकीकत इसके पीछे और है और वह है पार्टी बाजी। यह एक बड़ा भारी कारण है। इससे अगला कारण पोलिटीकल डिफैक्शन हैं यह एक बहुत बड़ी बीमारी है और इस डिफैक्शन की बीमारी से पंचायती राज भी नहीं बच पाया है, वहां पर भी लोगों को लाभ लालच दिये जाते हैं। हरिजन भाईयों पर खूब दबाव डाला जाता है और जो आदमी डोमीनेट करता है, उसको जीतने

की कोशिश की जाती है। अतः यह डिफैक्शन की बीमारी वहां भी जाने से नहीं बच पाई।

चेयरमैन साहब, दूसरा कारण यह है कि जिससे पंचायती राज पनप नहीं रहा है कि उनके पास फण्डज की कमी होती है। किसी पंचायत के पास आमदनी के कोई साधन नहीं होते। बहुत सी ऐसी पंचायतें हैं, जिनके पास जमीनें हैं और बहुत सी ऐसी पंचायतें हैं, जिनके पास कोई जमीन नहीं है। मेरी सरकार से गुजारिश है कि जिन पंचायतों के आदमनी के कोई साधन न हों उनको ग्रान्टस दी जाए। जिनका सोर्स आफ इंकम कुछ नहीं है, सरकार उनकी हर प्रकार से मदद करें।

चेयरमैन साहब, एक और कारण मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो भाई पंच या सरपंच चुनकर जाते हैं उनको रूल्ज एण्ड रैगुलेशन्ज का कुछ भी पता नहीं होता। इसलिये सरकार को चाहिए कि साल या छः महीनें में एक रिफ्रेशर कोर्स शुरू किया जाए जिसमें पंचों और सरपंचो को पंचायतों के रोजमर्रा के कामों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाए। पंचायत एक्ट जो है, उसके जो रूल्ज एण्ड रैगुलेशन्ज हैं उनसे उनको अवगत कराया जाए ताकि वे अपनी पंचायतों का कार्य सुचारू रूप से चला सके। चेयरमैन साहब, एक और सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण पंचायतों का काम काज सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। इसकी ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए वह है लिटीगेशन का। पहले हमारा सिस्टम अच्छा था। अगर किसी

गांव में कोई इंसीडैन्ट हो जाता था तो वहां पर पांच भाई बैठकर फैसला कर लेते थे। वे ही देखते थे कि किसका गुनाह है और उनको सबूत देने वाले का भी पता होता था कि सबूत देने वाला कौन है। चेयरमैन साहब, आप कोर्ट में देखिए। सुबह से शाम तक पंचायतों के खिलाफ इक्रोचमैंट के केसिज, रौंग पोजैशन के केसिज और ऐम्बेजलमेंट के केसिज रोज देखने को मिलते हैं। यहां तक कि झूठी रसीदें भी बनाई जाती हैं और जो लोग ताईद करते हैं, दूसरी तरफ गवाह बनकर आते हैं और फिर केस बनाने के लिये गवाह को विन ओवर करने की कोशिश करते हैं और इस तरह से सारे का सारा पैसा यू ही बेकार जा रहा है और अगर यही पैसा पंचायतों की भलाई के लिये और डिवैल्पमैंट के लिये लगाया जाए तो अच्छी बात होगी। इसलिये पंचों सरपंचों के पास पावर्ज होनी चाहिएं कि वे स्वयं ही ऐसे झगड़ों को वही पर निपटा लिया करें। इसके लिये मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। एक भाई के ऊपर तीन बोतल शराब का केस बन जाता है, उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है और हजारों रूपया वकीलों को यूं ही चला जाता है। मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि पंचायतों के पास ऐसी पावर्ज होनी चाहिए ताकि वे इस तरह के छोटे–छोटे मुकदमों का अपने आप ही अपने लेवल पर निपटारा कर सकें और साथ ही साथ पंचायतों को यह पावर्ज भी होनी चाहिए कि अगर कोई विटनैस न आये तो उनको सम्मन करने की पावर्ज भी होनी चाहिए।

चेयरमैन साहब, आखिर में मैं यही बात कहना चाहता हूं कि अब सवाल हमारे सामने यह है कि एक तो ओल्ड सिस्टम था जो कि बहुत ही सादा और कम खर्चे वाला था और उस सिस्टम मे तहत न्याय भी बहुत जल्द मिलता था। क्या उस सिस्टम को हम दोबारा अपनाएं या जो सिस्टम आज चल रहा है इसको अपनाएं? आज का सिस्टम बहुत मंहगा है ओर इसमें न्याय मिलने की गुंजायश ही नहीं है। इसीलिये सरकार से मेरी प्रार्थना है कि अशोका मेहता कमेटी की जो रिकमैंडेशंज हैं उनको जल्दी लागू करवाया जाए ताकि इस सिस्टम में जो कमियां है, वे दूर हो सकें। चेयरमैन साहब, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि कुछ केसिज में ऐसा होता है जिसमें सरपंच बगैर बी.डी.ओ. की इजाजत से कुछ नहीं कर सकता। ऐस केसिज में अगर तो सरपंच बी.डी.ओं. को कुछ दक्षिणा दे दे तब तो काम हो जाता है वरना नहीं होता। अब जैसे पैसे निकलवावने का काम है जब तक बी.डी.ओं. के दस्तखत न हो, सरपंच पैसे नहीं निकलवा सकता। ऐसी पावर सारी सरपंच के पास होनी चाहिए और बी.डी.ओं. का काम तो सुपरवीजन का होना चाहिए। अगर कोई सरपंच गड़बड़ करता है तो बी.डी.ओं. को उसकी सुपरवीजन कर सकता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि सारी पावर्ज सरपंच के पास ही होनी चाहिए। चेयरमैन साहब, आखिर में एक बात और कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आप ओर हम लोग एम.एल.एज. हैं और लोगों का काम करने के लिये आते जाते हैं तो हमें बसिज में किराया नहीं देना पड़ता। इसी तरह से सरपंचों को भी पंचायत के काम से

डिस्ट्रिक्ट हैडक्वाटर्ज पर जाना पड़ता है मैं चाहता हूं कि जिस तरह से हमें आइडैटिटी कार्ड दिये हुए हैं उन्हें भी दिए जाएं ताकि वे भी बसों में बिना किराया दिये पंचायतों का काम करवा सकें। इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि ब्लाक समितियों के चुनाव बहुत जल्द करवाएं जाएं। ऐसा न करने से बहुत धांधले बाजी हो रही है। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

चौ. रिजक राम (राई): चेयरमैन साहब, जो प्रस्ताव बाबू मूल चन्द जैन जी कि तरफ से यहां पेश हुआ है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। चेयरमैन साहब, सन् 1952 में कम्यूनिटी प्रोजैक्ट सिस्टम लागू हुआ। वह स्कीम देहात के उत्थान के लिये और किसान और मजदूरों की मदद करने के लिये शुरू हुई थी। उस वक्त इस बात पर एम्फेसिज था कि इस कम्यूनिटी प्रोजैक्ट के जरिये जो स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है जैसे ब्लाक में जो प्रोजैक्ट अफसर है वह जरायत का भी एक्सपर्ट हो और इंडस्टरी का भी एक्सपर्ट हो। उसके बाद ग्राम सेवक आते है। यह सारा ढांचा इस ख्याल से बनाया गया था कि जो लोगों की प्रोबलम्ज हैं, उनको हल करने में ये कामयाब होंगे। उसके बाद देश में थ्री टायर सिस्टम लागू हुआ। पंचायत के ऊपर ब्लाक और ब्लाक के ऊपर जिला परिशद। इसको नाम दिया गया ग्रास रूट डैमोक्रेसी। उस समय पंडित जवाहर लाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और मिस्टर डे पंचायत मिनिस्टर थे। उस समय बड़ा भारी प्रचार हुआ

कि यह जो सिस्टम लागू हुआ है इससे देहात की काया पलट हो जाएगी। कोई मसला ऐसा नहीं रहेगा जिसका समाधान न हो सके। वह कहते थे कि देहात में जो ग्राम सेवक बैठा है वह किसान की समस्याओं की जानकीर हासिल करनके ब्लाक तक पहुंचाएगा और ब्लाक ऊपर अफसरान तक पहुंचा कर उनका जल्दी समाधान करवाएंगे। लेकिन उसके बाद सन् 1957में सैंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई जिसने यह देखना था कि यह तजर्बा कहां तक कामयाब होता है। उस कमेटी को रिपोर्ट छपी और उस रिपोर्ट में यह था कि पंचायती राज का जो सिस्टम है वह बिल्कुल असफल रहा है इससे लोगों को और सरकार का जो उम्मीदें थी वह पूरा नहीं हो सकेंगी। उसके बाद इस बारें में बहुत सुझाव आते रहे। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें सवाल देहात के पिछड़ेपन का नहीं है सवाल इस चीज का है कि देहात की गरीबी ओर पिछड़ापन किन तरीकों से दूर हो सकता है। आया पंचायती राज उसमें कोई ममद दे सकात है या नहीं। पिछले 28 सालों के तजर्बे को देखकर मैं तो ऐसा महसूस करता हूं कि देहात की जो आपस की तालमेल की जिन्दगी थी उसे खराब करने में जहां कुछ और कारण बने, वहां यह पंचायत भी उसका एक कारण है। पंचायत की वजह से जात बिरादरी के नाम पर पार्टीबाजी पेदा हुई और आपस में खंचतान पैदा हुई। अगर हम पुराने इतिहास को पढ़े तो उस समय भी पंचायतें थीं लेकिन वे पंचायतें चुनी नहीं जाती थीं। पहले तो यह होता था कि अपनी जुबान के व्यवहार से जो आदममी देहात में प्रतिश्ठा हालिल कर

लेता था वह पंच माना जाता था और सारा गांव उसका आदर करता था। उस समय कभी किसी चुनाव की आवश्यकता नहीं पड़ती थी लेकिन जैसे ही यह चुनाव आए देहात में इतना फासीजम पैदा हो गया कि जिस दिन से पंचायत के इलैक्शन की तारीख मुकर्रर होती है उस दिन से लेकर साल डेढ़ साल तक मुकदमेबाजी चलती रहती है। यही नहीं बल्कि मुकदमेबाजी खत्म ही नहीं होती। चेयरमैन साहब, पंचायत एक्ट 1952 में पास किया गया था। इसके बाद इस एक्ट में कम से कम 20 दफा अमैंडमैंट की जा चुकी है। अमैंडमैंट के जरिए कभी पंचायत क इलैक्शन डायरैक्ट किये जाते हैं, कभी इनडायरैक्ट करवाये जाते हैं सरपंच के चुनाव कई बार इनडायरैक्ट करवा कर देखे लेकिन इससे झगड़े ही पैदा हुए। ग्राम पंचायत में चार–पाचं पंच होते हैं अगर सरपंच उनको खाने पीने का मौका नहीं देता तो ये चार–पांच मैम्बर इसके विरूद्ध हो जाते हैं और कहते हैं कि इस सरपंच को हटाओ, हम इसको नहीं रखना चाहते। अगर सरपंच का चुनाव डायरैक्ट किया जाए तो चुनाव के बाद सारे पंच एक तरफ और सरंपच दूसरी तरफ हो जाते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि पंचायत का सारा काम ठप्प हो जाता है। आप हरियाणा और पंजाब में देख लें, कितने ही गांव ऐसे हैं जिनमें सरपंच माइनौरिटी में है, अगर किसी सरपंच के साथ कोई होगा तो एक–आध मैम्बर हो हो सकता है, लेकिन ज्यादातर देखने में आया हे कि कोई सरपंच का साथ नहीं देता। डायरैक्ट इलैक्शन होने से पंच अलग बैठते है लेकिन सरपंच को हटा नहीं सकते। आपने

देखा होगा, कितनी बार असैम्बली में पंचों–सरपचों द्वरा हिसाब किताब में हेरा–फेरी करने की बात आई। हिसाब किताब कभी सरपंच को सौंपा गया, कभी ग्राम सचिव को अख्तियारात दिए गए कि वह रूपए का हिसाब किताब रखेगा। चेयरमैन साहब, हिसाब किताब चाहे ग्राम सचिव को दिया गया चाहे सरपंच को दिया गया, असलीयत यह है कि ये दोनों ही पैसा खाते रहे और इसमें बी.डी.ओ. का हिस्सा भी निकल जाता है। चेयरमैन साहब, हरियाणा के गांवों में जिन पंचायतों की साल भर की आमदनी एक लाख या दो लाख है, या वे पंचायतों जिनको 10 लाख या 20 लाख रूपया जमीन के मुआवजे का मिला है, जैसे मूरथल का गांव है, इनका बीस का बीस लाख रूपया सरपंच, बी.डी.ओं. और दूसरे अफसरान, आपस में मिलकर थोड़े ही दिनों में साफ कर गए। आज कोई पंचायत ऐसी नहीं जिसको आमदनी है, जिसके पास पैसा है और इसके साथ ही साथ कोई सरपंच ऐसा नहीं जिसने पंचायत के पैसे का गबन न किया हो। सारा रूपया बी.डी.ओ. ओर ग्राम सचित मिलकर खाते रहे। चेयरमैन साहब, ताज्जुब की बात यह है कि गांव में पंचायतों के पंच, ब्लाक समिति का चुनाव करते हैं और ब्लाक समिति के चेयरमैन के मातहत बी.डी.ओं. है जिसकी तन्खाह पर चेयरमैन दस्तखत करता है। जो सरपंच हैं, अगर उनके खिलाफ कोई केस हो तो उसकी तककीकात बी.डी.ओ. करता है। जिन ब्लाक समितियों के मैम्बर्ज, पंच और सरपंच बन जाएं और जिन ब्लाक समितियों के तहत बी.डी.ओं. है, वह बी.डी. औ. अगर पंच ओर सरपंच की इन्क्वायरी करता है तो इसका

मतलब यह है कि पंच और सरपंच, बेशक ब्लाक समिति के मैम्बर हैं, अल्टीमेटली बी.डी.ओ. के हुक्म पर चलते हैं। चेयरमैन साहब, गांवों में जिन प्रोजैक्टस के अधीन काम चल रहे हैं, चाहे वे जरायत के काम हो, सरकार ने बैंको के कर्जे लेकर, देहातों में काम शुरू किए हुए हैं, इस ख्यात से कि देहात के लोगों की मसायल, उनकी समस्याएं हल हों। इसीलिये देहातों में जरायत के सैक्रेटरी लगा रखे हैं ताकि वे जनता की समस्याओं को ऊपर तक पहुंचा सकें और ऊपर के लेवल पर जो स्कीमें बन रही हैं, उनकी जानकारी हासिल करके देहातों तक पहुंचाएं और लोगों को बताएं कि तुमने इन योजनाओं के मुताबिक काम करना है।

श्री सभापति: आप वाइंड अप करें।

चौ. रिजक राम: अभी खत्म करता हूं जी। आप, चेयरमैन साहब, हरियाणा में जाकर देख लें, कोई सचिव ऐसा नहीं मिलेगा जिसने आज तक किसी गांव की समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल की हो और ऊपर तक पहुंचाई हो या ऊपर की हिदायतें नीचे गांव के लोगों तक पहुंचाई हों। जहां तक मैं समझता हूं, ऊपर की हिदायतों के बारे में ग्राम सचिव और बी.डी. ओ. को खुद भी मालूम नहीं होता। कोई मिसाल ऐसी नहीं मिलेगी जिसमैं ग्राम सचिव और बी.डी.ओ. को ऊपर की हिदायतें मालूम हो और उसने उन हिदायतों को नीचे के लेवल पर पहुंचाकर लोगों से अमलदरामद करवाया हो। ग्राम सचिव सुबह से शाम तक ताश खेलते हैं, उनके जिम्मे कोई काम नहीं है। अगर कोई

काम है तो वह यह है कि पंचायत का सैक्रेटरी होने के नाते, पंचायत की कार्यवाही लिखेन के लिए उसको बुला लेते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि गांवों की समस्याओं को हल करने के लिए जो पंचायती ढांचा बनाया गया था वह विफल हो गया। इसका प्रभाव यह हुआ कि गांव में हमेशा ही इलैक्शन होने लगे। चेयरमैन साहब, देहातों में कोआप्रेटिव के चुनाव होते हैं आपको मालूम होगा कि इन चुनावों से देहातों का जो आपस में तालमेल था वह हमेशा के लिए खत्म हो गया और पार्टी–बाजी पैदा कर दी। चेयरमैन साहब, सरपंच के अन्डर काबिल आदमी हों, चाहे दूसरे आदमी हों, उनको तो देहात के बारें में कुछ पता नहीं। मिस्टर 'डे' से मेरी बात हुई थी। मैंने उनसे कहा कि अगर आप देहातों का कल्याण करना चाहते है तो पंचायतें खत्म करें, इससे लोगों को अभी तक कोई फायदा हासिल नहीं हुआ है और न ही निकट भविश्य में कोई फायदा होने वाला है। ये पंचायतें गांवों में पार्टीबाजी पैदा कर रही हैं। उनको मेरी बात पर यकीन नहीं आया। सब लोगों ने कहा कि पंचायतों के जरिए देहातों में पार्टीबाजी पैदा हो गई है, यह बात सुनकर वे हैरान रह गए थे क्योंकि वे पंचायती राज के जन्मदाता थे। चेयरमैन साहबख मैं राव राम नारायण जी से गुजारिश करूंगा, उनको देहात का काफी तजुर्बा है, वे बतौर आफिसर बतौर एम.एल.ए. और बतौर मिनिस्टर देहातों की नब्ज जानते हैं, इनसे कहूंगा कि इसकी जांच पड़ताल करें ताकि देहातों को खराब करने के लिए जो एजेंसी बनी हुई है, हिम्मत करके उसको सक्रैप–अप करें, पंचायतों को खत्म करें या

कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाएं जिससे पंचायतों में हारमोनी बनी रहे और काम ठीक तरह से हो।

श्री सभापति: अब मिनिस्टर साहब बोलेंगे।

श्री जय नारायण वर्मा: चेयरमैन साहब, मुझे 5 मिनट बोलने दें (व्यवधान)

श्री सभापति: आप कृपा करके बैठ जाइए। इस साइड से काफी मैम्बर बोल चुके हैं। (व्यवधान)

श्री जय नारायण वर्मा: इधर से केवल तीन मैम्बर बोले हैं, मैं दो मिनट बोलना चाहता हूं। (व्यवधान) मैं फालतू समय नहीं लूंगा।

समय की एलोकेशन के बारे में चर्चा

Sh. Baldev Tayal: Mr. Chairman, I beg to bring to your kind notice that today's whole day is meant for this non-official resolution and the House is to continue till 1.30 P.M. There is ample time and I would request your indulgence not to close the discussion but to grant time to the Hon'ble Members who still wish to speak on this resolution.

Mr. Chairman: Only one hour was allotted for discussion on this resolution.

Sh. Baldev Tayal: No. Sir, full day was meant for this resolution. (Interruptions)

Sh. Surrender Singh: The Hon'ble Minister concerned may be asked to reply now. (Interruptions)

Sh. Baldev Tayal: Mr. Chairman, kindly allow mem to submit. The condition was that if any time was left from this business, only then the discussion on the Governor's Address was to be resumed. The condition was not that the time for this resolution will be cut short. It was assumed at that time that since the discussion on this resolution was not going to take ample time, the remaining time should be utilised for the debate on the Governor's Address.

Mr. Chairman: For this, I will have to take the sense of the House again.

श्री सुरेन्द्र सिंह: चेयरमैन साहब, हाउस की राय लेकर ही तय किया गया था। (व्यवधान) इस रैजोल्यूशन के लिए एक घंटा रखा गया था और बाकी समय में गवर्नर एड्रैस पर विचार होगा। (व्यवधान)

Sh. Baldev Tayal: You may kindly look to Rule 39 of the Rules of Producedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly. According to this Rule, no devisation in the allocation of time order can be made except on the oral request of the Leader of the House, otherwise the report or the advice of the Business Advisory Committee is final. No oral request has been made by the Leader of the House for variation in the allocation of time order. I would

request you kindly to go through this Rule and let this resolution be discussed further when several members are still kiee to speak on it.

श्री सभापति: हाउस की जै सैंस है that is supreme and once the sense of the House has been taken, we are bound by the same. Now I would request the Hon'ble Minister to speak. (Interruptions)

Sh. Baldev Tayal: Mr. Chairman, I will take one minute of yours and draw your attention to Rule 39 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly which reads as under:-

"No variation in the Allocation of Time Order shall be made except on the request of the Leader of the House who shall notify orally to the House that there is, general agreement for such variation, and such variation shall be enforced by the Speaker after taking the sense of the House."

The condition for variation in the allocation of time order under this Rule is that the Leader of the House must make an oral request for it. No such request has ever been made by the Leader of the House. Hence no variation can be made in the allocation of time order.

Mr. Chairman: What variation? (Interrutions) The sense of the House has been taken to resume discussion on the Governor's Address.

श्रीमती सुशमा स्वराज: चेयरमैन साहब, मैं इसे ज्यादा क्लीयर कर दूं। आज का दिन गैर–सरकारी विधेयकों के लिए था।

बिजनैस एडवाजरी कमेटी ने आज का दिन गैर–सरकारी विधेयक के लिए रखा था। अगर इसमें कोई बेरिएशन होनी है तो इसके लिए दो कंडीशन हैं। आपने कहा कि सैंस आफ दि हाउस ले ली गई। लेकिन दो कंडीशन हैं जो फुलफिल करनी चाहिए सैंस आफ दि हाउस लेने से पहले लीडर आफ दि हाउस खड़े होकर रिक्वैस्ट करेंगे। उसके बाद उस रिक्वैस्ट को अध्यक्ष महोदय कंसीडर करेंगे। उसके बाद हाउस को पुट करेंगे और सैंस आफ दि हाउस ली जाएगी। सैंस आफ दी हाउस लैने का यह प्रोसीजर है। इसमें ऐसा है कि लीडर आफ दि हाउस औरली रिक्वैस्ट करेंगे। यहां पर एक कंडीशन तो फुलफिल की गई कि स्पीकर महोदय ने अपने आप सैंस आफ दि हाउस ले ली but no request was made by the Leader of the House. This is one thing. सभापति महोदय, दूसरी चीज इसमें यह है कि सैंस आफ दी हाउस लेने के पीछे एक मूल धारणा यह था जैसा कि बाबू मूल चन्द ने कहा कि यह संकल्प, यह प्रस्ताव जो आज यहां आया है अध्यक्ष महोदय को यह इतना छोटा और इतना इनसिगनिफिकैन्ट सा लगा कि उन्होंने समझा कि एक घंटे के अन्दर–अन्दर इस पर बहस समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बाकी समय का क्या किया जाए? उन्होंने साचा कि बाकी समय अगर हाउस चाहे तो गवर्नर ऐड्रैस के लिए यूटीलाइज कर ले या छुट्टी कर दें। लेकिन अब जब सारे सदस्यों ने इस पर चर्चा सुनी तो सारे सदस्यों की यह मंशा हुई कि हम भी बहस में पार्टिसीपेट करें, हम भी बहस में हिस्सा लें और इसलिए आपने देखा कि सदन के माननीय सदस्या खड़े होकर

आपसे यह इलतजा कर रहे हैं कि उनको समय दिया जाए यानी सैंस आफ दि हाउस बदल गई। इसलिए मैं आपसे यह चाहती हूं कि जितने लोग चाहते हैं उनको आप समय दें इसके बाद जो समय बच जाएगा वह गवर्नन ऐड्रैस के लिए हो जाये। (व्यवधान)

Mr. Speaker: Alright. Now Sh. Jai Narain Verma may please speak for a few minutes.

गैर–सरकारी संकल्प (पुनरारम्भ)

श्री जय नारायण वर्मा (बरवाला): सभापति महोदय, आज आपके इनके प्रैस्टेज का सवाल न मान कर मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। सभापति महोदय, इस गरिमामय सदन के सामने एक बात हमारे माननीय बुजुर्ग चौ. रिजक राम जी ने कही कि पंचायती राज सिस्टम ने इस देश में नुक्सान किया है। मैं इस सदन का ध्यान हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय गणराज्य की तरफ ले जाना चाहता हूं। यह एक बहुत महान देश है। इस देश में अपनी राज्य व्यवस्था को एक व्यक्ति से लेकर जनता तक पहुंचाने के लिए हम अनादिकाल से प्रयत्न कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि गणराज्य की भूमिका में सारे विश्व को अगर कुछ सिखा सकता है तो वह हिम्मत भारत की है। इतना ही नहीं माननीय सदस्य चौ. रिजक राम जी ने जो कहा ये चीजें एक मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त की है। हर बड़ा आदमी अपने से नीचे वालों को दबाने के लिए असल

मुद्दे को टालना चाहता है। सभापति महोदय, अंग्रज कहा करते थे कि काला हिन्दुतानी राज चलाने के काबिल नहीं है परन्तु मैं गर्व और दावे के साथ कह सकात हूं कि भारत ने विश्व में सबसे बड़ा गणतन्त्र बना कर सारे विश्व को एक सबूत दिया है। राजा–महाराजा भी यही कहा करते थे कि यह कमीन है, यह छोटा है, यह क्षत्री है, यह ब्राह्मण है, इनको व्यवस्था करनी नहीं आती, इनको अपना घर देखना नहीं आता, ये समाज को और राज को क्या चला लेंगे। इसलिए सभापति महोदय मैं माननीय सदस्य के विरोध या कंट्रोवर्सी में न जाते हुए एक बात साथ कर देना चाहता हूं कि हमने जन्म से लेकर आज तक जो प्रोसैस किया है वह यह है किया है कि हम ऊपर से नीचे तक जाना सीखे है और नीचे तक जा रहे हैं। यह नहीं होना चाहिए कि विपक्ष की तरफ से प्रस्ताव आया है तो केवल उस भावना से हम उस प्रोसैस को उलआ चलाने की कोशिश करें। यह मुझे अच्छा नहीं लगा। हम इस बात को मानते है। कि हमारे पंचायती राज सिस्टम में कमी हो सकती है। उसमें जो कमी है वह सिस्टम में नहीं है बल्कि कमी उस सिस्टम के अमल में हो सकती है और ऊपर से निर्देशन देने वालों की कमी रह सकती है। इस सदन के सदस्य आये दिन यह सूनते हैं, अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि इस सदन का डेकोरम बनाएं और इसकी गरिमा को बनाए रखें। यदि यहां हाउस में माननीय सदस्यों के बारे में कोई टिप्पणी आ सकती है तो फिर गांवों के सरपंचों के बारे में कोई टिप्पणी करे तो कोई खास बात नहीं है। इसलिए सभापति महोदय, मूल बात यह है कि हम

विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं। अगर राज्य को एक हाथ से लेकर अन्य हाथों तक पहुंचाना चाहते हैं और राज्य में सब लोगों को भागीदार बनाना चाहते हैं तो उस प्रोसैस पर हमें जाना होगा। उस प्रोसैस पर जाने के अलावा कोई दूसरा आल्अरनेटिव नहीं है। सभापति महोदय, मुझे याद है कि बलवंत राजय महता कमेटी पर आधारित एक अध्ययन दली बनाया गया था। उस दल में महात्मा गांधी और लोकनायक श्री जय प्रकाश नारायण तथा सर्वोदय सिद्धान्तों में आस्था रखने वाले नेताओं को और समाज शास्त्रियों को शामिल किया गया था। इस दल ने कहा कि हम हिन्दुस्तान में राज्य का विकेन्द्रीकरण करके पंचायतों तक पहुंचाना चाहते हैं। सदन के माननीय सदस्यों को याद होगा कि संयुक्त पंजाब में मुख्यमंत्री स्वर्गीय सरदार प्रताप सिंह कैरों हुआ करते थे। उन्होंने 1957 में पंजाब के गांव–गांव के अन्दर पंचायती राज सिस्टम के सम्बन्ध में सरपंचों और पंचो को ट्रेनिंग का कार्यक्रम रखा था। आज जरूरत इस बात की है कि इस पंचायती राज पद्धति को अगर बीच में बिगाड़ने की कोशिश की गई है तो इसका मतलब यह नहीं है कि मूल बात को छोड़ करके उन कमियों को दुरूस्त करने की कोशिश न की जाए। अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट एक बार पहले भी आई थी। तीन चार बातों को इसमें लिया गया है। हम इस बात को स्पश्ट तौर पर जानते हैं, हममें एक एक आदमी जानता है, कि राज्य के भागीदार जब हम लोगों को बनाना चाहते है। तो इससे राज्य का काम अच्छा चलेगा। सभापति महोदय, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी इस बात पर जोर दिया है ओर

मैं भी कहना चाहता हूं कि गांवों की जो समस्याएं हैं, देश की जो समस्याएं हैं, चाहे वे सामाजिक हैं, राजनीतिक हैं, धार्मिक हैं या आर्थिक हैं, उन समस्याओं का समाधान जितनी खूबसूरती के साथ नीचे के स्तर पर हो सकता है उतना लोकसभा या विधान सभा में बैठकर नहीं हो सकता। आज पंचायतें इस कमी के बारे में बार–बार जिक्र करती हैं कि सरपंचो और पंचों को क्या अधिकार दिए गए हैं? एक पंच या सरपंच को, जो कि जनता के चुने हुए नुमायंदे होते हैं, यदि कोई अधिकार न हो और सरकारी कर्मचारियों को उनका अफसर बना दिया जाए तो फिर वे उनके पीछे ही लगे रहेंगे और ग्राम की भलाई का कोई काम नहीं कर सकेंगे।

चेयरमैन साहब, आर्थिक श्रोत की बात भी अशोक मेहता कमेटी ने कही है। इस समिति का कहना है कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिशद् के अपने रिसार्सिज होने चाहिएं। राज्य सरकार के पास पैसा कहां से आता है? लोगों से ही तो आता है। लेकिन आज ज्यादातर लोगों को इस बात का अहसास नहीं है। गांव की एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूं। गांव से अगर कोई सरकार की नाली उठा ले जाए तो कहा जाता है कि सरकारी माल है जाने दो परन्तु अगर कहा जाए कि गांव का माल है और गांव के चन्दे से खरीदा गया है तो उसके ऊपर निगरानी रखी जाती है और फौरन चैकिंग होती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर नीचे के लैवल पर लोगों को

ऐडमिनिस्ट्रेशन के काम काज के साथ ऐसोशिएट किया जाएगा तो आज जो सरकारी पैसे का मिसयूज होता है वह बच सकता है। इस बारे मैं अशोक मेहता कमेटी ने स्पश्ट तौर पर कहा है कि गांव के चूल्हा टैक्स का पैसा, गांव के लैंड का पैसा, गांव के मेले आदि से इकट्ठा किया गया पैसा पंचायत के पास ही रहना चाहिए। कहने का मतलब यह कि राजनीतिक श्रोत के विकेन्द्रीकरण के साथ–साथ आर्थिक श्रोत का भी विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। (विघ्न) आज प्रशासन में क्या है? हमने देखा कि अभी पंचायतों के चुनाव हुए। लेकिन बाद में लोगों की तरफ से ऐप्लीकेशन्ज आई कि हमारी पांच गांव की इकट्ठी पंचायत बनी थी परन्तु अब हामरी पंचायत को अलग किया जाए। पंचायत अलग हो गई लेकिन चुनाव नहीं हुए क्योंकि कहा गया कि जो बन गए सो बन गए बाकी को मनोनीत कर देंगे। (विघ्न) चेयरमैन साहब, चौ. रिजक राम जी की तरफ से यह बात यहां कही गई कि इस चुनाव पद्धति ने गांव में जात पाव के नाम से आपसी विवाद खड़े कर दिए हैं लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि विवाद कहां नहीं है? विवाद तो यहां पर भी ट्रैजरी बैंचिज और विपक्षी बैंचिज में है। इसके लिए तो हमें आपस में सामाजिक सामंजस्य, सोशल हारमनी पैदा करनी पड़ेगी। चेयरमैन, इस बारे में चूंकि मेरे काफी साथियों ने बहुत से सुझाव दिए हैं इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। लेकिन एक बात फिर कहूंगा कि पंचायतो के पास अगर अपने रिसोर्सिज होंगे, अपना पैसा होगा तो उसके खर्च में मितव्ययता आएगी। इसके बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए। इसके

साथ ही मैं यह बात भी फिर कहूंगा कि प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण के बारे में भी हमें सच्चे दिल से सोचना चाहिए। सरपंच गांव के चार हजार लोगों का चुना हुआ प्रतिनिधिन होता है लेकिन गांव के पटवारी, गांव के ग्राम सेवक, गांव में इंजैक्शन लगाने वाले हैलि विजिटर के सामने वह इस तरह से पेश होता है जिस तरह से तहसीलदार के सामने एक साधारण आदमी पेश होता है जबकि होना यह चाहिए कि सरकारी कर्मचारी, चाहे वह कोई भी हो, उसकी सलाह के लिए होना चाहिए उस पर हकूमत करने के लिए नहीं। तो मैं ज्यादा न कहते हुए केवल इतना अर्ज करना चाहता हूं कि अगर हम काम करने के तरीके की कमियों को सामने रख कर मूल सिद्धान्त से भागना चाहें तो यह समाज हमें भागने नहीं देंगा।

श्री मूल चन्द मंगला (पलवल): आदरणीय चेयरमैन साहब, अभी अभी बाबू मूल चन्द जैन जी ने जो प्रस्ताव रखा है कि पंचायतों को और शक्तियां दी जानी चाहिए और अशोक मेहता समिति ने जो रिपोर्ट दी है वह लागू होनी चाहिए, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। चौ. रिजक राम जी ने इस सम्बन्ध में कुछ बातें कही हैं। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम में कुछ कमियां हो सकती हैं लेकिन उन कमियों को दूर करना भी तो हमारा फर्ज है। चेयरमैन साहब, 80 परसैंट जनता देहातों में बसती है। अगर हमने स्वतन्त्रता का लाभ सारी जनता तक पहुंचाना है तो आवश्यक हागा कि हम देहात की जनता को

जागरूक करें। (विघ्न) पंचायती राज में कमियों का मूल कारण वास्तव में देहात में शिक्षा की कमी है। अगर पंच और सरपंच आदि शिक्षित हों तो कमियां अपने आप दूर हो जाएंगी लेकिन यदि यह कहा जाए कि जब गांव में शिक्षा का प्रसार हो जाएगा तब पंचायतों को ज्यादा शक्तियां दी जाएंगी यह बात ठीक नहीं है। यह बात तो साईड बाई साईड हो जानी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो देहात में जो शिक्षित लोग हैं, वे आगे आएंगे और दूसरे साथियों को जागरूक करेंगे।

चेयरमैन साहब, अपने बुजुर्ग नेता चौ. रिजक राम जी ने यह भी कहा कि गांव में झगड़े बहुत बढ़ गए हैं लेकिन मैं पूछता हूं कि झगड़े कहां नहीं है? झगड़े तो म्यूनिसिपैलिटी में भी हैं, असैम्बली मैं भी हैं और पार्लियामैंट में भी हैं। (विघ्न) चेयरमैन साहब, मैं तो समझता हूं कि आज जिन गावों के अन्दर बिजली भी है और सड़कें भी हैं, वह पंचायती राज की देन के ही कारण है। अगर हम पंचायतों, को इग्नोर करेंगे तो जिन गांवों के अन्दर आज बिजली पहुंची है और सड़कें बनी हैं वे आने वाले समय में नहीं रहेगी और दूसरे गांवों में जागरूकता नहीं आ सकती। अगर हमने सही मायने में इस देश को ऊंचा उठाना है तो गांवों में रहने वाली 80 फीसदी जनता को ऊपर उठाना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो देश तरक्की नहीं कर सकेगा। इसलिए पंचायती राज होना चाहिए। पंचायती राज लागू हो जाए

12.00 बजे

तो गांवों में जो गरीब गर्व रहता है जिसको हरिजन कहते है वह भी ऊपर उठ सकेगा। हरिजनों के न उठने का कारण ही यह था कि गांव में पंचायती राज नहीं रहा था। जब अशोक मेहता कमेटी ने सिफारिश की है तो पंचायती राज अवश्य लागू किया जाना चाहिए। देश की उन्नति के लिए यह बड़ा आवश्यक है और इसके लिए पंचायतों के अन्दर जो कमियां हैं उनको दूर किया जाना चाहिए।

चौ. हुक्त सिंह (दादरी): चेयरमैन साहब, जो प्रस्ताव बाबू मूल चन्द जैन जी ने रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी ठाकुर बीर सिंह जी ने बताया है कि अशोक मेहता कमेटी ने जो सिफारशात की हैं उससे तो हम आगे करने जा रहे हैं। यदि वे उससे आगे हैं तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं लेकिन आज पोजीशन यह है कि पंचायत सिस्टम फेल हो चुका है। गांवों में काम के बदले अनाज की जो स्कीम चालू की गयी है उससे गावों में बड़ी उन्नति हो रही है लेकिन बहुत सी पंचायतेां के आमदनी के साधन नहीं है इस कारण से उनकी कोई फायदा नहीं हो रहा है। आजकल गांवों में काम के बदले अनाज से जो कच्ची सड़कें बनायी जा रही हैं उनकी मिट्टी बारिश होने पर बह जाती है इसलिए पंचायतों के पास साधन होने चाहिए ताकि वे उनको दुबारा भी ठीक करा सकें। बहुत सी पंचायतें ऐसी भी हैं जिनके पास चूल्हा टैक्स की आमदनी के सिवाए कोई दूसरी आमदनी नहीं है। कुछ पंचायतों को जमीनों से भी आमदनी है

लेकिन उनसे भी गांवों के डिवैल्पमैंट के काम पूरो नहीं हो पाते हैं और न ही पंचायतों को ग्रान्ट वगैरह मिलती है इससे उनके काम पूरे नहीं हो पाते हैं। इसलिए पंचायतों के आमदनी के साधन बढ़ायें जायें ताकि वे अपने गांवों के डिवैल्पमैंट के काम कर सकें।

एक बात मैं और भी अर्ज करना चाहता हूं कि पंचायतों का सारा काम डिप्टी कमीश्नार के नीचे जे ए.जी.ए. होता है, वह करता है। उसके पास पंचायतों के काम के अलावा और भी बहुत काम होते हैं इसलिए पंचायतों के काम के लिए एक अलग से डिस्ट्रिक्ट लैवल पर आई.ए.एस. आफिसर लगाया जाये ताकि पंचायतों का काम सुचारू रूप से चल सके। ए.जी.ए. पंचायतों के सारे काम को न देख सकता है ओर न ही चैक कर सकता है। मेहता कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दिया जाये तो हरियाणा प्रदेश के गांवों की उन्नति होगी और जो भ्रश्टाचार का बोलबाला है, यह भी खत्म होगा। चेयरमैन साहब, यदि कहीं पंचायत का काम चालू होता है तो उसका एस्टीमेंटस बनवाने के लिए ओवरसीयर के पीछे–पीछे भागना पड़ता है। एस्टीमेटस बनाने के लिए वह पैसे मांगता है और जब तक ओवरसीयर एस्टीमेंटस न बनाये तब तक काम चालू नहीं होता है इसलिए इन सभी चीजों में सुधार लाने के लिए जल्दी से जल्दी अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया जाये।

श्रीमती डा. कमला वर्मा (यमुना नगर): सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए टाईम

दिया। बाबू मूल चन्द जी ने जो हाउस के सम्मुख प्रस्ताव रखा हैं, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। मैं यह मान कर चलती हूं कि गांव की समृद्धि में ही देश की समृद्धि हैं। मैं यह भी मान कर चलती हूं कि जब तक हरियाणा में पंचायती राज लागू नहीं होगा तब तक हरियाणा के गांवों की उन्नति नहीं हो सकती। मैंने गांवों में जाकर देखा है, वहां पर उनकी दशा देख कर दु:ख होता है। अगर यहां पंचायती राज सिस्टम के माध्यम से गांव के सुधार की जिम्मेदारी सरपंच और पंचों के कन्धों पर आती है, चाहे गांवों में सड़क बनाने का काम हो, नाली बनाने का काम हो या हस्पताल बनाने का काम हो अगर सभी विकास कार्यो की जिम्मेदारी पंचायत के लोगों के कन्धों पर आती है तेा गांवों की काफी उन्नति हो सकती है।

मैं चौ. रिजक राम जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि पंचायत के जो चुनाव होते हैं उससे ग्रुपबाजी आती है। क्या हम लोग जो अपनी कांस्टीच्युएंसी से विधायक चुनकर आते हैं हमारे अन्दर पार्टीबाजी नहीं आती है? जब कोई भी विधायक यहां पर चुनकर आता है तो उसके दिमाग में एक ही बात होती है कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ काम करूं। उस विधायक को पता हेाता है कि वह केवल पांच वर्श के लिए चुन कर आयाहै यदि मैं अपनी कांस्टीच्युएंसी के लोगों के लिए काम नहीं करूंगा तो मेरे इलाके के लोग मेरा सम्मान नहीं करेंगे और आने वाले समय में मुझे आगे नहीं आने देंगे। मैं तो यह कहूंगी कि ग्रुपबाजी तो

एक प्रकार से लोकतन्त्र की कड़ी मानी जाती है। यदि मुकाबला करने वाला कोई न हो तो तानाशाही आ जाये औरकाम करने की कुशलात व रूचि भी समाप्त हो जाए। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।) महात्मा गांधी ने इसी लिए 65 करोड़ जनता के लिए लोकतन्त्र प्रणाली को अपनाया था। लोकतन्त्र को जीवित रखने के लिए नीचे के स्तर तक इस देश के लोगों में जागरूकता आनी चाहिए। जब तक गांवों के लोगों को यह भी नहीं पता हो कि उसके अधिकार क्या हैं तो वह अपने लिए गांव के और देश के लिए क्या कर सकता है। अगर लोकतन्त्र को जीवित रखना है तो पंचायती राज्य और पंचायतों को अधिक अधिकार मिलने चाहिए। महात्मा गांधी जी ने पंचायत राज को इसीलिए महत्व दिया था। श्री जय प्रकाश नारायण जी ने भी यह बात कही थी कि जब तक गांवो के अन्दर पंचायत को सत्ता नहीं दी जायेगी या सत्ता का विकेन्द्रीकरण जब तक नहीं किया जाता, तब तक लोकतन्त्र जीवित नहीं रह सकता। साथ ही जिन नगरपालिकाओं के चुनाव स्थगित किये गय हैं, वे होने चाहिएं। इसी प्रकार से मार्किट कमेटियां के चुनाव भी होने चाहिए। अगर यही हालत रही तो तानाशाही बढ़ेगी और एक बहुत बड़े वृक्ष के रूप में फैल जायेगी। तानाशाही को समाप्त करने के लिए और लोकतन्त्र को जीवित रखने के लिए हमारा कर्त्तव्य है कि पंचायती राज को महत्व दें। गांवों में पंचायतें फिर ब्लॉक समिति और फिर जिला परिशद् होनी चाहिए। इस थ्री टायर सिस्टम को अपना कर चुनाव कराये जायें लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सारी गांवों की सत्ता

पटवारी और बी.डी.ओ. के हाथ में हैं, वह जैसा चाहे उन लोगों को नचा सकता है। पटवारी मनमाने पैसे लेकर गिरदावरी करता है तो बेचारा पंच या सरपंच देखता रह जाता है। इन चुने हुए नुमांइदों को सदा नौकरशाही का ही सहारा लेना पड़ता है। पंचायत कोई भी आर्थिक विकास का काम अपनी इच्छानुसार नहीं कर सकती हैं मेरा यह सुझाव है कि सरपंच के हाथ में कुछ सत्ता होनी चाहिए ताकि वह गांवों की भलाई केलिए कुछ पैसा खर्च करना चाहे तो कर सके। उसको सीमेंट, मिट्टी का तेल या कर्जा लेना हो तो बी.डी.ओ. के दफ्तर में हर समय चक्कर काटने पड़ते हैं। बिना पैसे दिये उन गरीब गांवों के आदमियों का कोई भी काम नहीं होता है। वह हमेशा बी.डी.ओ. और एस.डी.एम. के चक्कर काटता रहता है। अगर उस सरपंच के हाथ में कुछ पैसा हो तो वह लोकतांत्रिक ढंग से गांवों की भलाई के लिए काम कर सकता है।

मैं फिर दुबारा यह अर्ज करना चाहती हूं कि चौ. रिजक राम जी ने जो यह कहा कि गांवों में ग्रुपबाजी है और पंचायतेां के चुनाव से वह बढ़ती ही जाती है जिसके कारण गांवों का पिछड़ापन दूर नहीं होता है। मैं बीस नहीं हजारों गांव गिना सकती हूं जिन में पंचायतों ने पअने गांव में स्कूल, सड़कें और हस्पताल बनाये हैं जो उनकी कार्यक्षमात के द्योतक हैं। पंचायतों के सरपंच ऐसे अच्छे प्रस्ताव लिखकर लाते हैं कि हमारे गांवों में हस्पताल होना चाहिए या पीने के पानी का प्रबन्ध होना चाहिए।

यह कहना कि जो सरपंच चुनकर आता है वह जिम्मेदारी नहीं लेता, यह गलत बात है। गांवों में कई बार छोटी–छोटी बातों के लिए झगड़ा हो जाता है तो वहां की पंचायत ही उसको सुलझा सकती है ताकि गांवों का पैसा गावों में ही रहे। पहले भी यही होता था कि छोटे–छोटे झगड़ों को गावों के सरपंच ही सुलझा लेते थे इसलिए पंचायत राज को यह कहना कि सइस ग्रुपबाजी और पिछड़ापन दूर नहीं हो सकेगा, यह गलत बात है। महात्मा गांधी जी लोकतन्त्र में सुधार लाने केलिए यह चाहते थे कि हर छोटे से छोटे व्यक्ति को अपने वोट का ज्ञान होना चाहिए।

इसलिए अशोक मेहता कमेटी ने जो सुझाव दिये हैं वे हमारे प्रदेश में लागू होने चाहिए और मूलचन्द जैन जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करती हूं ताकि इस देश से तानाशाही खत्म हो और लोकतन्त्र सुदृढ़ किया जा सके।

कामरेड शंकर लाल (सिरसा): स्पीकर साहब, किसी प्रजातन्त्र देश की बुनियाद चार खम्भों पर होती है। ये चार खम्भे हैं, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिशद और प्रान्त की विधान सभाएं। जब तक देश के अन्दर ये चारों खम्भे नहीं होंगे तब तक सही प्रजातन्त्र नहीं माना जायेगा। ये चारों खम्भे तभी पनप सकते हैं जब कि इस देश के अन्दर जो आमदनी होती है वह इन चार हिस्सों में बंटे। इस समय यह होता है कि सरकार की टैक्स के जरिए, माल के जरिए जो आमदनी होती है वह सरकार के ही खजाने में जमा होती है। मेरा कहना यह है कि उस

आमदनी का चौथा हिस्सा ग्राम पचांयत को मिलना चाहिए ताकि उस ग्राम पंचायत का सरंपच भी अपने गांव की तरक्की केलिए काम कर सके। सरपंच अपने ढंग की योजना बना कर अपने गांव का विकास कर सके। मगर आज ऐसा नहीं होता है। इस समय पंचायत को गांव की जमीन की नीलामी और चूल्हे टैक्स से ही थोड़ी सी आमदनी होती है। सारे देश की आमदनी का चार हिस्सों में बांट कर अगर हम चलें तो इस देश का बहुत विकास किया जा सकता है। यानी ग्राम पंचायत को पूरे अधिकार दे दिए जायें जैसे कि राजस्थान में होता है। स्पीकर साहब, वहां पर पटवारी गिरदावरी करता है और सरपंच तसदीक करता है। जिस तरीके से सरपंच गिरदावरी करायेगा पटववारी उसी तरीके से गिरदावरी करेगा और उसी ढंग से फर्द वगैरह देगा लेकिन आज सरपंच पटवारी के सामने ऐसा खड़ा रहता है जैसे आफिसर के सामने चपड़ासी खड़ा होता है। सरपंच की पोजीशन प्रजातन्त्र के अन्दर यानी स्वतन्त्र भारत के अन्दर वह नहीं मानी जाती जो जनता के चुने हुए नुमायन्दे की होती है। स्पीकर साहब, मेरा कहना तो यह है कि आज सरपंच को पूरे अधिकार दिए जाने चाहिए ताकि वह अपने गांव के कार्यो को अच्छी तरह से कर सकें। अध्यक्ष महोदय, सरपंच जो फैसला देते हैं वे अदालातें में माने नहीं जाते। आज सरपंच को नाम मात्र के अधिकार हैं। सरपंच गांव के काम के लिए जब एस.डी.ओ या डिप्टी कमिश्नर के पास जाता है तो सारी बातें अपनी ठीक प्रकार से उनको नहीं बता सकता बल्कि वह पंचायत के कार्य जनता के चुने हुए नुमायन्दों

जैसे एम.एल.एज. या एम.पीज. सरकारी लोगों द्वारा ही एस.डी.ओ. या डी.सी. से करवाता है। सरपंच की कोई बात नहीं सुनता। जहां तक हमारे अफसरों का सवाल है उनका भी व्यवहार सरपंचों के साथ ठीक नहीं होता। सरकारी आफिसर पंचायत के चुने हुए मैम्बरों की कोई बात नहीं मानते। हरिजन मैम्बरों के साथ तो बहुत ही गलत ढंग से व्यवहार होता है। जब गांवों के अन्दर कोई सरकारी आफिसर जाता है तो हरिजन मैम्बर को तो यहां तक कहा जाता है कि कुर्सी उठा ला, सरपंच को बुला लाओ, पानी ले आओ। स्पीकर साहब, पंचायत का मैम्बर चाहे हरिजन हो या कोई जागीरदार हो सब, के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। इस अन्तर को सरकार द्वारा सख्ती से निपटाया जाना चाहिए।

मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि आज हरियाणा के अन्दर जितने भी गांवों में जागीरदार होते हैं, वही गांव के चौधरी होते हैं। जागीरदार चाहे किसी भी बिरादरी के हों, उन्हीं के हाथ में गांव की सत्ता होती है। जब तक इन लोगों से सख्ती के साथ निपटा नहीं जायेगा तब तक जो गरीब व्यक्ति हैं जिनके ऊपर उनका बोझा है, वह नहीं हटेगा। हमारे आफिसर्ज को भी इस बात को सोचना चाहिए। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि बाबू मूलचन्द जैन जी ने जो प्रस्ताव सदन में रखा है वह पास होना चाहिए। गांवों के विकास के लिए मैंने चार खम्भे बताये हैं जब तक ये मजबूत नहीं होंगे तब तक कोई काम ठीक प्रकार से नहीं होगा। स्पीकर साहब, मैं यहां पर यह भी बताना चाहता हूं

कि इस देश के एक महान नेता डा. राम मनोहर लोहिया हुए हैं जो कि बहुत हजी प्रजातांत्रिक व समाजवादी नेता थे। उन्होंने यह बात कही थी कि जब तक ये चार खम्भे मजबूत नहीं होंगे तब तक प्रजातांत्रिक प्रणाली ठीक प्रकार से नहीं चल सकती। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार की आमदनी में से गांवों का भी आदमनी का हिस्सा मिलना चाहिए। अभी मेरे दोस्त ने कहा था कि सरपंच को अपने गांव से लेकर शहर तक बस का पास मिलना चाहिए ताकि वह अपने गांव के कार्य के लिए तहसील में या जिले के डी. सी. साहब से मिल सके। यहा पास सिर्फ सरपंच के लिए होना चाहिए ताकि वह अपने विकास के कार्य ठीक ढंग से कर सके।

इसके अतिरिक्त मेरा एक दूसरा और सुझाव है कि डिप्टी कमिश्नर, और एस.पी. को यह हिदायत दी जानी चाहिए कि जब कोई सरपंच किसी कार्य के लिए उनके पास जाये तो उन्हें उनके कार्यालय के अन्दर कुर्सी मिले और वह उनके सामने चपड़ासी की तरह न खड़ा रहे। उसे पूरी इज्जत मिलनी चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। यह मेरी रिक्वैस्ट है। अब मैं पुनः सदन से यह अनुरोध करता हूं कि जो प्रस्ताव बाबू मूलचन्द जैन जी ने रखा है, इसको सर्वसम्मति से पास करें।

श्री अध्यक्ष: अब मैं मंत्री जी से रिक्वैस्ट करूंगा कि वे इस प्रस्ताव के ऊपर अपनला जवाब दें।

सहकारिता तथा योजना मंत्री (ठाकुर बीर सिंह): स्पीकर साहब, वैसे तो इस प्रस्ताव का जवाब राव राम नारायण जी देंगे। मैं तो हैसियत से खड़ा हुआ हूं कि जो सुझाव बाबू मूल चन्द जैन जी ने दिए हैं उनका जवाब दे सकूं। उन्होंने कुछ अच्छे सुझाव भी दिए हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी का मैं चेयरमैन था। उस कमेटी ने अशोक मेहता कमेटी की जो सिफारिशात थीं, उन पर गौर करना था कि कौन सी बातें हमाररी स्टेट को सूट करती हैं। बाबू मूल चन्द जैन जी ने जो प्रस्ताव हाऊस के सामने रखा है, मैं नहीं समझता यह प्रस्ताव इन्होंने सिसीयरली रखा है या आम आदमी को खुश करने के लिए रखा है। मैं एक दो बातें हाऊस के सामने रखना चाहता हूं। स्पीकर साहब जिस प्रकार से सुबह चौ. उदय सिंह दलाल जी ने एक मिसाल दी थी, मैं भी इस बारे में एक मिसाल देना चाहता हूं। दो आदमी जो आपस में दोस्त थे, वे कहीं जा रहे थे। उनमें से एक ने दूसरे से यह कहा कि मैं तेरे मन की बात जानता हूं। वह कहने लगा कि तू मेरे मन की बात कैसे जान सकता है? वह कहने लगा कि जानता हूं, यकीन नहीं तो शर्त लगा ले। शर्त मुकर्रर हो गयी। वह कहने लगे कि इस बात का फैसला कौन करेगा कि जो बात मैं बताऊंगा, वह आपके मन की है या नहीं है। वह कहने लगे कि चलो बादशाह के पास चलते हैं। वह दोनो व्यक्ति बादशाह के पास चले गये। उस समय अकबर बादशाह हुआ करते थे और उनके कोर्ठ पुत्र नहीं था। वह बादशाह के सामने जाकर यह कहने लगा कि बता तेरे मन में क्या यह बात नहीं है

कि बादशाह का कोई पुत्र हो, वह बड़ा होकर बादशाह का नाम रोशन करे और इस खानदान का चिराग रोशन रखे। अब अगर वह इन्कार करता है तो उसको यह पता था कि बादशाह उसके फांसी लगवा देगा। बेचारे को जबरदसती हां करनी पड़ी। वह बोला ठीक है। मेरे मन में यही बात है। स्पीकर साहब, यह जो सिस्टम है, इससे दूसरी तरफ तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यह जो प्रस्ताव बाबू मूल चन्द जी ने रखा है, यह दरअसल वे जान–बूझकर लेकर आये हैं ताकि चीप पापुलैरिटी हासिल कर सकें (व्यवधान) एक कमेटी इस बारे में बनी थी, बाबू मूल चन्द जी जो उस वक्त फाईनैन्स मिनिस्टर हुआ करते थे, वे भी उसके मैम्बर थे। मुझे जहां तक याद है जितनी भी मैंने उस कमेटी की मीटिंग्ज बुलाई, उनमें न तो बाबू मूल चन्द जी खुद आये और न ही इन्होंने कोई सुझाव दिये। आज यह कहते हैं कि अशोक मेहता कमेटी ने यह–यह रिकामैंडेशन्ज की हैं। अगर इनकी इस बारे में कोई दिलचस्पी होती तो यह उस कमेटी की मीटिग्ज में जरूर आते। लेकिन मीटिंग में आना तो दर–किनार, इनकी तरफ से कोई सुझाव भी नहीं आया। इन्होंने उस कमेटी की रिपोर्ट को भी पढ़ नहीं है, अगर पढ़ा होता तो शायद ये यहां पर यह रैज्योलूशन न लाते क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी। मैं तो यही सुझाव बाबू मूल चन्द जैन जी को दूंगा कि वे अपने इस रैज्योलूशन को वापिस ले लें।

एक आवाज: उसकी रिपोर्ट तो हमें मिली नहीं?

Mr. Speaker: Has that report been circulated?

Thakar Bir Singh: No Sir. He can seen it. It is official report. (Interruptions). वह रिपोर्ट छप कर तैयार हो गयी है लेकिन अभी सरकुलेट नहीं हुई है। मैं बाबू मूल चन्द जी से यह कहना चाहूंगा कि वे उसे कम से कम पढ़ तो लें। (व्यवधान व शोर) इनको क्या पता है कि सरकार उसमें कितनी दिलचस्पी ले रही है? (व्यवधान व शोर) यह चाहते तो ये कमेटी की मीटिंग में बड़ी आसानी से आ सकते थे क्योंकि इनका दफतर मेरे दफतर से नजदीक ही था। (व्यवधान व शोर) इनकी दिलचस्पी तो सिर्फ रैज्योलूशन मूव करने की थी।

श्री मूल चन्द जैन: क्या ठाकुर साहब इस बात से भी इन्कार करेंगे कि मैंने उनसे इस बारे में पर्सनली बात की है और राव राम नारायण जी को चिट्ठी भी लिखी है? अगर मेरी इस बारे में दिलचस्पी न होती तो मैं क्यों पर्सनली बात करता और चिट्ठी लिखता? (व्यवधान व शोर)

ठाकुर बीर सिंह: स्पीकर साहब, मेरी यह बात कि यह उस कमेटभ में मैम्बर थे, 100 प्रतिशत करते हैं।

श्री मूल चन्द जैन: यह गलत बात कहते हैं कि मैंने उस कमेटी की कोई मीटिंग अटैंड नहीं की। उसकी प्रासीडिंग्ज हाउस में पेश करें। पता लग जायेगा। (व्यवधान व शोर)

ठाकुर बीर सिंह: चौ. रिजक राम जी ने और बहिन सुशमा जी ने भी इस बारे में अपने विचार रखे और कई सुजैशन्ज भी दिये। चौ. रिजक राम जी ने यह कहा कि पंचायती राज नहीं होना चाहिए। इनके अलावा विरोधी दल के कई सदस्यों ने भी अपने अपने सुझाव रखे और कन्स्ट्रक्टिव सुजैशन्ज रखे। दोनों तरफ से सुझाव आये। हमारे मुल्क में बेसिकली यह एक नया सिस्टम है। पंचायती राज को और अच्छा बनाने के लिये जैसे कि मैंने पहले भी बताया है एक कमेटी बनायी यगी है। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और उस रिपोर्ट पर अमल होने जा रहा है। आखिरी टाईम पर हमारे यहां अशोक मेहता कमेटी आयी थी। उस कमेटी ने जो सुझाव दिये हैं, वे भी सरकार के सामने हैं। आज जो विरोधी दल की तरफ से सुझाव आया, उसमें बेसिकली इस बात पर जोर दिया गया है कि सरपंचों के पास पावर्ज होनी चाहिएं और जिस तरह से सरपंचों की इज्जत होनी चाहिए, उस तरह से होती नहीं है। मैं हाउस की जानकारी के लिये यह बता देना चाहता हूं कि उस कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है। मुझे दुःख है कि विरोधी भाईयों की तरफ से इस हद तक कोई सुजैशन नहीं आया कि जो सरकारी अफसर विलेज में काम करे, चाहे उनका किसी भी डिपार्टमैंट के ताल्लुक है, उनके ऊपर सरपंच का कन्ट्रोल कैसे रहे। हमारी उस कमेटी ने तो यहां तक किया है कि डिवैल्पमैंट डिपार्टमैंट तो औफिसर्ज/औफिशियल्ज की ए.सी.आर. लिखने के मामले में उसके अन्डर रहेगा ही, दूसरे डिपार्टमैंट भी जिनका विलेजिज से वास्ता पड़ता है, के आफिसर्ज/आफिशियल्ज

के बारे में वह अपनी रिपोर्ट दे सकता है। गवर्नमैंट के सामने वह कमेटी की रिपोर्ट स्क्रूटनी के लिये पड़ी हुई है। मैं हाउस को यह बताना चाहता हूं कि जो भी अच्छे से अच्छा काम जनता की भलाई के लिये हो सके, वह सरकार करना चाहती है। इस डैमोक्रेसी सिस्टम को अमल में लाने के लिये सरकार गौर कर रही है। इलैक्शन्ज के बारे में मेहर सिंह राठी जी ने बताया है कि इलैक्शन्ज भी जल्दी ही हम करवाने की सोच रहे हैं। यहां पर बहिन सुशमा जी की ओर से यह कहा गया कि बंगाल में तो एक ही दिन में सारे इलैक्शन्ज करवा लिये गये हैं। मैं उनकी जानकारी के लिये यह बता देना चाहता हूं कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में भी ऐसा ही एक सुझाव दिया है जिससे कि कम से कम एक्सपैंसिज इलैक्शन्ज पर होंगे और एक ही दिन में इलैक्शन हो जाया करेंगे। चौ. उदय सिंह दलाल जी भी उस कमेटी के एक मैम्बर थे। हमने उनसे सारे सुझाव लिये लेकिन बोलते वक्त वे सारी बातों को भूल गये। मैं हाउस को यह बताना चाहता हूं कि जो भी कंस्ट्रक्टिव सुझाव हैं, उन पर विचाकर किया जा रहा है। बाकी राव राम नारायण जी, जो प्रैजैन्ट पोजीशन है, उसके बोर में जवाब देंगे लेकिन मैं तो इनती ही बाबू मूल चन्द जैन जी से विनती करूंगा कि वे अपने इस प्रस्ताव का वापिस ले लें।

विकास मंत्री (राव राम नारायण): स्पीकर महोदय, बाबू मूल चन्द जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उस पर काफी चर्चा हुई और बहुत से मैम्बर साहेबान ने कई किस्म के उस पर सुझाव रखे। उन

सभी सुझावों पर गौर किया जायेगा। यह सरकार करीब–करीब अढ़ाई साल से पंचायती राज पर कोई लैजिस्टलेशन लाने के लिये और गौर करती रही है। पहले सितम्बर, 1977 में एक कमेटी बनायी गयी थी जिसके चेयरमैन डिवैल्पमैंट मिनिस्टर थे और तीन एम.एल.एज. उसके मैम्बर थे। डिवैल्पमैंट सैक्रेट्री और डायरेक्टर पंचायत भी इसके मैम्बर थे। इस कमेटी की कई मीटिंग हुई और इसका कांसैन्सस यह था कि प्रांत में जिला परिशदों को रिवाइव किया जाए। सितम्बर, 1978 में अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट आ गई। उस रिपोर्ट के आने पर एक नई कमेटी का गठन हुआ। वह कमेटी इसलिए बनाई गई कि वह अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करे और हरियाणा के अन्दर सूटेबल तरीके से जितनी सिफारशात लागू की जा सकती है। वह की जाएं। वह कमेटी 17.02.1979 को ठाकुर बीर सिंह की चेयरमैनशिप में बनाई गई थी। इसमें तीन वजीर थे और दस एम.एल.एज. थे। इसकी तीन मीटिंग्ज हुई हैं। पहली मीटिंग 23.2.1979 को हुई, दूसरी मीटिंग 6.3.1979 को हुई और तीसरी मीटिंग 20.3.79 को हुई। इस कमेटी की टैनटेटिव रिकमंडेशंज यह थीं कि डिस्ट्रिक्अ लैवल पर जिला परिशद्, ब्लौक लैवल पर समिति और गांव के लैवल पर पंचायत होनी चाहिए और इनको काफी पावर्ज दी जाएं। इनका इलैक्शन सिस्टम बताया गया है और जिला परिशद् को डायरैक्ट इलैक्शंज से बनाने के लिए तजवीज की गई है। यह मसौदा हमारी कैबिनेट के सामने है और इस पर गौर हो रहा है और जल्दी ही हम कोई न कोई बहुत अच्छा लैजिस्लेशन हाउस में लाएंगे। मैं श्री मूल

चन्द जैन को अश्योर करवाना चाहता हूं कि बहुत जल्दी ही सूटेबल लैजिस्लेशन जो हरियाणा के मुआफिक होगा, पंचायती राज के बारे में लाएंगे। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि श्री जैन इस अपने इस अपने रेज्योलूशन को वापिस ले लें। स्पीकर साहब, हाउस के अन्दर जितनी भी सजैशंज आई हैं उनको ध्यान में रखकर ही हम एक अच्छा लेजिस्लेशन लाने की कोशिन करेंगे। इस बहस के दौरान यह भी आया .....

श्री मूल चन्द जैन: क्या आप उस लैजिस्लेशन को इस सैशन में ले आएंगे?

राव राम नारायण: इस सैशन में तो लाना मुश्किल है।

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): स्पीकर साहब, इस सैशन में तो लाना मुश्किल है, अगले सैशन मैं ले आएंगे।

राव राम नारायण: स्पीकर साहब, इस बहस के दौरान यह बात आई है कि बहुत से सरपंच मुअत्तल कर दिए जाते है, उनका चार्ज उस आदमी को दे दिया जाता है जिसके साथ मैजोरिटी नहीं होती है। स्पीकर साहब, इस बारे में पंचायत एक्ट में तरमीम करने जा रहे हैं ओर इसी सैशन में तरमीम बिल ला रहे हैं। उसमें यह रखा गया है कि जिसकी मैजोटिी होगी उसको चार्ज दिया जाएगा। इसलिए मं श्री मूल चन्द जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस रेजोल्यूशन को वापिस ले लें और अगले सैशन में इनकी मंशा के अनुसार लैजिस्लेशन पेश करेंगे।

श्री मूल चन्द जैन: स्पीकर साहब, जब मिनिस्टर महोदय ने अश्योरेंस दी है तो उस पर मुझे ठीक तहर से विचार कर लेना चाहिए लेकिन मैं आपकी मारफत एक दो शब्द कहना चाहता हूं कि अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद जो कमेटी ठाकुर बीर सिंह की अध्यक्षता में बनी थी उस कमेटी की जो पहले मीटिंग हुई उसमें मैं एज ए फाइनेंस मिनिस्अर शामिल हुआ था। मुझे बिल्कुल याद है कि मैं उस मींटिग में हाजिर था। वह मीटिंग ठाकुर बीर सिंह के कमरे में हुई थी। अगली मीटिंग 6–3–1979 को हुई इसका मुझे याद नहीं है।

Mr. Speaker: Babu Ji, you were member and you must have taken part.

श्री मूल चन्द जैन: मुझे इस बात का दुख हुआ कि इन्होंने यह कहा कि मैं किसी भी मीटिंग में शामिल नहीं हुआ। स्पीकर साहब, मैं यह कोशिश करता हूं .....

Mr. Speaker: Babu Ji the whole House knows that you are a conscientious legislator.

श्री मूल चन्द जैन: स्पीकर साहब, मुझे यह बात का दु:ख हुआ है कि इन्होंने मुझे मोटिवेटिड बताया। मुझे इस बात का अफसोस है कि 6–3–1979 को आखिरी मीटिंग हुई। आज 6–3–1979 से 6–3–1980 आ गया है। पूरा एक वर्श हो गया है। तीन महीने तो पहले गवर्नमैंट रही। स्पीकर साहब, जून से लेकर आजतक नौ महीने गुजर गए। इन्होंने आठ–नौ महीने तक कुछ

नहीं किया (व्यवधान)। स्पीकर साहब, इन्होंने यह अश्योरेंस तो दे दी है कि हम जल्दी ही एक लेजिस्लेशन लाएंगे लेकिन मैं यह भी चाहता हूं कि लेजिस्लेशन का फाइनल ड्राफ्ट करते वक्त अपोजीशन के आदमियों को भी कांफिडेस में ले लिया जाए तो ठीक रहेंगा।

चौ. भजन लाल: ठीक है। हम अपोजीशन के मैम्बर्ज से भी सलाह कर लेंगे।

श्री मूल चन्द जैन: जो अश्योरेंस दी गई है उसको देखते हुए मैं अपना रेजोल्यूशन वापिस लेता हूं।

Mr. Speaker: Has the hon. Member the leave of the House to withdraw his resolution?

Voces: Yes.

The resolution was, by leave of the House, withdrawn.

श्री अध्यक्ष: साहेबान, इस वक्त 1 बजने में 22–23 मिनट रहते हैं। जैसे कि पहले हाउस का सैंस लिया था (Interruptions) आधा घंटे का ब्रेक करना चाहिए या गवर्नर महोदय के ऐड्रैस पर डिस्कशन जारी रहना चाहिए। I will be guided by the sense of the House.

आबाजें: हाउस जारी रहना चाहिए।

Mr. Speaker: Alright.

राज्यपाल के अभिभाशण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker: Hon'ble Members, yesterday when the House adjourned, Sh. Mange Ram Gupta was on his legs. He may resume his speech for another 5-6 minutes.

श्री मांगे राम गुप्ता (जींद): स्पीकर साहब, हरियाणा में तकरीबन तीन साल तक जनता पार्टी ने राज किया और बाबू मूल चन्द जी जो आज लोकदल में अपोजीशन के लीडर है वे भी दो साल तक जनता पार्टी के राजय में हिस्सेदार रहे और हिस्सेदार ही नहीं बल्कि जो लोकदल में आज इनके लीडर हैं उनके हाथ में ही हरियाणा की जनता पार्टी की बागडोर रही। कल बाबू मूल चन्द जैन जी बड़े फख्र के साथ लोकदल का मैनिफैस्टो हाउस में पेश कर रहे थे ओर कह रहे थे कि लोकदल का जो मैनिफैस्टो है वह ऐसा मैनिफैस्टो है जिसकी अपने देश में ही नहीं बल्कि दूसरे कंट्रीज में भी इसको पसन्द यिका है। (इस समय सभापतियों की सूची में एक सदस्य, चौ. राम किशन पदासीन हुए) चेयरमैन साहब, मैं बाबू मूल चन्द जी की सेवा में अर्ज करना चाहता हूं कि जितनी भी राजनैतिक पार्टियां हे और उन सबके जितने मैनिफैसटोज ह। उन सबके मैनिफैटोज में यह कोशिश रहती है कि वे अपने देश ओर प्रदेश की तरक्की के लिये सारी कार्यवाही रखें। हर मैनिफैस्टो में जनता की भलाई के कारनामें हेाते हैं। चेयरमैन साहब मुझे बड़ी खुशी होती है कि जिन लोगों ने जनता पार्टी का

मैनिफैस्टो बनाया उन्हीं लोगों ने लोकदल का मैनिफैस्टो भी बनाया है। चेयरमैन साहब, केवल मैनिफैसटो बनाने से सिकी का भला नहीं हो सकता है जब तक कि पार्टी के जो लीडर्ज हैं, हो हुकमरान हैं, उस मैनिफस्टो का सही तरीके से पालन नहीं करते। जनता को कोई लाभ नहीं मिल सकता है। आपने देखा कि दो साल के दौरान हरियाणा की राजनीति में क्या उथलपुथल हुई और इस दौरान कितनी फिरकापरस्ती बढ़ी, शहरी और देहाती का सवाल उठाया गया, किसान और गैर–किसार का सवाल उठाया गया। सिवाए इन चीजों के कुछ भी नहीं हुआ। इन दो सालों में कोढ तरक्की नहीं हुई। चेयरमैन साहब, आप जानते है कि अगर एक बहुत बढ़िया नई बस एक ड्राईवर को दे दी जाए और उसके अन्दर अस्सी सवारियां बैठी हो और उसका चालक केवल नशे में गाड़ी चला सके तो चेयरमैन साहब, उन सवारियों का क्या होगा? वह ड्राईवर उन सवारियों को अपनी मंजिल तक अच्छी तरह से पहुंचा नहीं सकता, और कितने एक्सीडेअ वह ड्राईवर करेगा यह कुछ नहीं पता। चेयरमैन साहब, नशे भी कई प्रकार के होते हैं जैसे अफीम का नशा, ताकत का नशा और शराब का नशा। (शोर एवं व्यवधान) चेयरमैन साहब, इस तरह से हरियाणा की राजनीति में भी दो बार एक्सीडेंट हुए हैं और यहां पर बैठे हुए सभी साथी उस राजनीति में शामिल हुए। वह रिपोर्ट फिर हाई कमान को दी गयी और हाई कमान ने वर्डिक्ट दिया कि ड्राईवर को सम्भल कर चलना चाहिए। जब हाई कमान की कई बातों को इग्नोर किया गया तो फिर हाई कमान ने कहा कि हरियाणा की राजनीति की

बागडोर किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में होनी चाहिए जिसे किसी प्रकार का कोई नशा न हो (शोर एवं व्यवधान)

श्री भलेराम: चेयरमैन साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। पहले चीफ मिनिस्टर के बारे में ये नशे वाले शब्द कह रहे हैं, यह इनकेलिये उचित बात नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Chairman: This is not a point of order. (Interruptions).

आवाजें: आप किस नशे की बात कर रहे हैं (Interruptions).

Mr. Chairman: No interruptions please.

श्री मांगेराम गुप्ता: चेयरमैन साहब, मैं कह रहा था कि जनता पार्टी के लीडरशिप की बागडोरएक एक ऐसे आदमी के हाथ में दी गई, जिसको किसी प्रकार का कोई नशा नहीं था, बेजीटेरियन था। वह आदमी था चौ. भजन लाल। अब उनके नेतृत्व में हरियाणा को कोई भी व्यक्ति यह शिकायत नहीं कर सकता कि यहां पर किसी प्रकार का जाति पाति का सवाल पैदा हो रहा है और न ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो यह कह सकात है कि हरियाणा की राजनीति में कोई भेदभाव है। चेयरमैन साहब, आपके सामने मिसाल मौजूद है। मैं मैम्बर साहेबार को यह बतलाना चाहता हूं .....(शोर एवं व्यवधान)

चौ. गंगा राम: चेयरमैन साहब, भेदभाव तो खुद इनके साथ हो रहा है। इनको मिला कुछ नहीं है।

श्री सभापतिः मैं दोनों तरफ के मैम्बर साहेबान से यह प्रार्थना करूंगा कि बोलते वक्त किसी को बीच में इंट्रप्ट न करें क्योंकि यह कोर्ठ अच्दी रिवायत नहीं है।

श्री मांगेराम गुप्ता: चेयरमैन साहब, मैं बता रहा था कि चौ. भजन लाल जी के नेतृत्व में हमने किसी भी वर्ग से भेदभाव की बात नहीं देखी। यहां पर ये लोग किसानों की हमदर्दी का दम भरते हैं लेकिन किसानों की भलाई के लिये जितना काम इस भजन लाल सरकार ने किया हे उतना शायद पहली सरकार ने नहीं किया होगा। उसका नक्शा यहां पर खींचकर दिखाया जाए तो आपको पता लग जाएगा। नालों, खालों का पक्का करवाने का सारा खर्चा सरकार ने अपने ऊपर ले लिया है मालिया वगैरह भी माफ कर दिया गया है और सबसे बड़ी बात जो भजन लाल सरकार ने की ळै वह है बाप के घर में से लड़की का हिस्सा। यह एक प्रकार से किसान के माथे पर कंलक था, जोकि इस भजन लाल सरकार ने धो दिया। भजन लाल सरकार ने पहले सैशन में यह बिल पास करवा यिदा कि अब बाप की जायदाद में लड़की का कोई हक नहीं होगा।

श्री सभापति: मांगे राम जी आप वांइड–अप कीजिए। आप कल 13 मिनट बोल चुके हैं, अब आप खत्म कीजिएगा।

श्री मांगे राम गुप्ता: चेयरमैन साहब मैं कह रहा था कि हमारी भजन लाल सरकार ने किसानों के हकूकों को बरकरार रखा है। चौकीदार की उजरत 45 से एकदम 100 रूपए कर दी, स्वीपर्ज की एकदम 50 रूपए बढ़ा दी और मजदूर की रोजाना दिहाड़ी 6 से 8 रूपए तक कर दी। मेरा कहने का मतलब यह है कि चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे हरिजन है, चाहे कर्मचारी है, पुलिस है, व्यापारी है, सबके साथ भजन लाल सरकार ने एक ही नीति से काम लिया है। सभी को एक ही दृश्टि से देखा है।

श्री सभापति: मांगे राम जी आपका समय हो गया है, आप एक मिनट में ही खत्म करें।

श्री मांगे राम गुप्ता: चेयरमैन साहब, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि इस भजन लाल सरकार के होते किसी भी वर्ग जाति के साथ किसी प्रकार का भेजभाव नहीं होगा। किसी को किसी प्रकार की शिकायत नहीं होगी। अगर किसी को सरकार के खिलाफ शिकायत नहीं होगी तो फिर एजीटेशन भी नहीं होंगे जैसा कि पिछली चौ. देवीलाल जी की सरकार के समय होते थे। आपको पता है चेयरमैन साहब, चौ. देवी लाल जी ने राज में व्यापारियों पर अत्याचार किये गये, प्राईवेट स्कूलों के टीचरों के साथ अन्याय किया गया, लेडी टीचर्ज के साथ बुरा व्यवहार किया गया, उनके ऊपर लाठियां तक बरसाई गई, उन्हें मारा गया, जेलों में ठोंस दिया सर्दी के दिनों में उन्हें न कपड़ा और न रोटी दी गई। बच्चे तड़पते रहे चेयरमैन साहब,ख ऐसे ऐसे जुल्म चौ.

देवीलाल की सरकार ने ढाये लेकिन अब चौ. भजन लाल जी की सरकार ने सभी लोगों को एक समान समझा है और हर प्रकार की सहूलियतें प्रदान की जा रही है। (शोर एवं व्यवधान) चेयरमैन साहब अब ये उस राज की क्या बात करते हैं।

श्री सभापति: मांगे राम जी आपका समय समाप्त हो गया। अब आप बैठिए।

कामरेड शंकर लाल (सिरसा): चेयरमैन साहब, आज हम गवर्नर साहब के ऐड्रैस पर चर्चा कर रहे हैं। गवर्नर साहब को ऐड्रैस जो होता है वह बरसरे इक्तदार सरकार का बनाया हुआ होता है। उस सरकार का बनाया हुआ एक किताबचा होता है और उस सरकार की भावनाओं के अनुसार गवर्नर साहब को वह किताबचा पढ़ना पड़ताहै। मैं गवर्नर साहब की इज्जत करता हूं क्योंकि गवर्नर साहब एक सांझे व्यक्ति माने जाते हैं। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि वह जो भी कहते हैं वह चीफ मिनिस्टर या सरकार की ही तरफ से कहते हैं उनकी अपनी खुद की कोई राय नहीं होती। मैं यहां हाउस में यह कहना चाहता हूं कि आज से डेढ़ दो महीने पहले यहां पर चौ. भजन लाल जी की सरकार थी और वह जनता पार्टी के नाम से जानी जाती थी। आज भी भजन लाल की ही सरकार है और वह कांग्रेस (आई) के समर्थन से अपना कामकाज चला रही है। यह जो गवर्नर साहब का भाशण था उसके बारें में मेरा यह कहना है कि इसको मैं पहली जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धि मानू या कि आज की कांग्रेस (आई)

की सरकार की उपलब्धि मानू? किस सरकार की भावनाओं से सम्बन्धित वह भाशण था यह कुछ नहीं कहा जा सकता। चेयरमैनसाहब, मैं यह समझता हूं कि कुछ कार्य जो जनता पार्टी के राज के अन्दर भजन लाल जी ने किए उनको तो मैं ठीक मानता हूं। जनता पार्टी के राज के अन्दर किसानों को पक्के खाले दिये गये, हरिजनों के 50/– रूपए बढ़ाए गये, मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई गई या दूसरी तरफ कुछ और विकास के काम किये गये। मैं इन बातों का तो समर्थन करता हूं क्योंकि ये काम चौ. भजन लाल जी ने जनता पार्टी के नजरिये के अनुसार और उसके मैनिफैस्टों के अनुसार किये थे। आज कांग्रेस (आई) के जो चीफ मिनिस्टर चौ. भजन लाल जी हैं ये जनता पार्टी को छोड़कर मौका परस्ती की हैसियत से कांग्रेस (आई) में चले गये हैं। गवर्नर साहब ने अपने भाशण में जिस सरकार के कामों के बारे में लिख है मैं इसको सरकार नहीं मानता क्योंकि यह सरकार संविधान के मुताबिक नहीं बनी है। न तो कांग्रेस (आई) पार्टी ने किसी लीडर का चुनाव किया और न ही किसी को नेता के रूप में मान्यता दी कि यह हमारा नेता है। 21 तारीख की रात को इन्दिरा के साथ फैसला हुआ और 22 तारीख को सुबह 9बजे इन्दिरा जी ने द्वार पर हमारे साथी जो कल तक हमारे साथी थे वे तमाम के तमाम मुंह में घास लकर गये और उनके चरणों में नमस्कार की और वे तमाम कांग्रेस (आई) के माने जाने लगे। पिछले दो महीनों से जब से यह कांग्रेस (आई) की सरकार बनी है तब से मंहगाई बहुत बढ़ गई है। अगर आप जनता सरकार के टाईम के साथ मंहगाई को

कम्पेयर करें तो आप पाएंगे 30 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक मंहगाई बढ़ी है। आज टमाटर 6 रूप्ये किलो बिक रहा है। चीनी देहातों में साढ़े सात रूपये किलो मिल रही है जो उस वक्त अढ़ाई या तीन रूपए किलो थी। इसी तरह से डालडा, साबुन, गुड़ और शक्कर कोई भी चीज ले लें सभी की 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक कीमतें बढ़ी हैं। चेयरमैन साहब, इसके अलावा आप डीजल और सीमेंट की हालत को देखें और मिट्टी के तेल की हालत को देखें यह चीजें आज हरियाणा के अन्दर ब्लैक में मिल रही है, सही भाव पर कहीं भी नहीं मिलती। आप शहरों में जाकर देखें मिट्टी के तेल के लिये लम्बी–लम्बी कतारे लगी रहती है। सारा सारा दिन खड़े रहने के बाद भी लोगों को तेल नहीं मिलता। यही हाल डीजल और कोयले का है। यह सब चीजें ब्लैक में मिल रही है लेकिन सही दम पर नहीं मिल रही हैं। कोयले का भाव आज 125 रूपए क्विंटल है। आज इस देश में मंहगाई आकाश को छू रही है इसके अलावा चेयरमैन साहब हमारे प्रान्त में ला एंड आर्डर की भी मिट्टी पलीत हो रही है। हरियाणा के पी. डब्ल्यू.डी. के वर्क चार्जड वर्कर आज हड़ताल पर बैठे हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मार्किटिंग बोर्ड के 250 कर्मचारियों को बिना किसी कारण से निकाल दिया गया है, उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी तरह से ट्रासपोर्ट डिपार्टमैंट के तीन सौ ड्राईवर्ज और कंडक्टर्ज को दोबारा सर्विस में नहीं लिया गया है जबकि मुख्यमंत्री जी ने यह फैसला दिया था कि जब नये ड्राइवर और कंडक्टर भर्ती किये जाएंगे तो एक पुराना लिया

जाएगा और दो नये लिये जाएंगे लेकिन जितने भी ड्राइवर्ज और कंडक्टरज रखे गये हैं उनमें एक भी हड़ताल वाला नहीं रखा गया है। मैं बता रहा था कि हरियाणा के अन्दर ला एंड आर्डर की मिट्टी किस तरह से पली हो रही है। रिवाडी के अन्दर नौकरशाही के अभियान में डी.सी. ने वकीलों के साथ क्या सलूक किया। हांसी के अन्दर कारखानों के मजदूरों के साथ पुलिस ने क्या व्यवहार किया। इसी तरह से महेन्द्रगढ़ में भी लोगों के साथ पुलिस ने बहुत बुरा व्यवहार किया ओर इसी तरह से करनाल और सोनीपत में पुलिस की हिरायत में एक आदमी की हत्या हुई (शेम शेम की आवाजें)। इसी तरह से खानपुर के अन्दर औरतों की बे–इज्जती की गई, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। यहां तक कि औरतों के ऊपर लाठियां बरसाई गई। मैं कहना चाहता हूं कि सारे प्रदेश के अन्दर ला एंड आर्डर नाम की कोई चीज ही नहीं है, ला एंड आर्डर बिल्कुल खत्म हो गया है। आज पुलिस के थानों में गरीब सैंसी और हरिजन बहुत सताये जाते हैं और थाने एक तरह से * * * * बने हुए हैं।

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): आन ए प्वायंट आफर आर्डर। चेयरमैन साहब, माननीय सदस्य ज्यादा ही भावुकता में आ गए हैं, वे मेरे बड़े भाई हैं, इनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, अगर वे मर्यादा में बात कहें तो अच्छा रहेगा

13.00 बजे

(व्यवधान) इन्होंने कहा कि हरियाणा * * * * बना हुआ है, स्टेट में कोई ला एंड आर्डर नही। (व्यवधान) इन्होंने * * * * का लफ्ज इस्तेमाल किय है, यह अच्छा नहीं है, इसे हाउस की कार्यवाही से एक्सपंज किया जाए।

डा. मंगल सैन: चेयरमैन साहब, मुख्यमंत्री महोदय ने जो कहा है, क्या उसके कहने के मुताबिक हरियाणा में कोई अत्याचार नहीं हो रहा है क्योंकि इन्होंने कहा है कि * * * * लफ्ज हाउस की कार्यवाही से एक्सपंज कर दिया जाए। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस रूल के तहत * * * * लफ्ज आनपार्लियामेंटरी है?

Mr. Chairman: I quote Rule 116 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assemly. Rule 116 reads as under:-

"(1) If the Speaker is of opinion that a word or words has or have been used in debate which is or are defamatory or indecent or unparliamentary or undignified, he may, in his discretion order that such word or words be expunged from the proceedings of the Assembly....."

डा. मंगल सैन: * * * * शब्द क्या अपपार्लियामेन्टरी है? (व्यवधान)

श्री सभापति: इन्होंने 'बुचड़खाना' अपपार्लियामेन्टरी यूज किया है।

* चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

डा. मंगल सैन: इनका मतलब तो जुल्म से है। (व्यवधान)

श्रीमती सुशमा स्वराज: आन ए प्वायंट आफ आर्डर।

श्री सभापति: रूलिंग के बाद आप डिस्कशन नहीं कर सकते। Please take your seat.

श्रीमती सुशमा स्वराज: आप मुझे बोलने तो दीजिए, मैं आपकी रूलिंग पर नहीं बोल रही हूं। I am rising on a point of order.

डा. मंगल सैन: चेयरमैन साहब, हाउस ने 1 बजे अडर्जन होना था, घड़ी पर एक बजें से ज्यादा टाईम हो गया है।

चौ. भजन लाल: हाउस ने तो डेढ़ बजें अडर्जन होना है। (व्यवधान)

श्री सभापति: नो इन्ट्रप्शन प्लीज। अब री देसराज जी बोलेंगे। (व्यवधान)

चौ. देस राज (इन्दरी): चेयरमैन साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं जो आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया है। (व्यवधान)

श्रीमती सुशमा स्वराज: चेयरमैन साहब, मरेा प्वायंट आफ आर्डर है, इसको तो सुन लीजिए। (व्यवधान)

Mr. Chairman: No point of order please.

Smt. Sushma Swaraj: You cannot overrule it without listening to me.

श्री सभापति: नो इन्ट्रप्शन प्लीज देखिए, यह अच्छा नहीं लगतां (व्यवधान) अगर आप इसी तरह से हाउस का टाईम खराब करते रहेंगे तो यह आपको शोभा नहीं देता और आपके लिये अच्छा नहीं हेागा। (व्यवधान) श्री देसराज जी आप बोलिये।

श्रीमती सुशमा स्वराज: आन ए प्वायंट आफ आर्डरं (व्यवधान)

श्री मूल चन्द जैन: चेयरमैन साहब, आप इनको सुनते ही नहीं। पहले सुशमा जी को सुन लो, सुनने कके बाद आप प्वायंट आुर आर्डर को डिस–अलाउ कर दें, लेकिन पहले सुने तो सही। (व्यवधान)

श्रीमती सुशमा स्वराज: आप मुझे सुन तो लें, अगर मेरी बात सही लगती है तो ठीक है, अगर नहीं लगती तो डि–अलाउ कर देना। (व्यवधान)

परिवजन मंत्री (श्री जगन नाथ): चेयरमैन साहब, मार्शल बुलाकर इनको बाहर कर दें। (व्यवधान)

श्रीमती सुशमा स्वराज: सभापति महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूं कि आपने सदन में जो रूलिंग कोट की है उसमें चार शब्द पढ़े हैं '–डैफामेटरी डैरोगेटरी, इनडीसैन्ट और अनपार्लियामेंटरी' जिन के आधार पर आपने * * * * शब्द कटवा दिया है .....

श्री सभापति: 'बुचड़खाना' शब्द के मायने क्या है? (व्यवधान)

डा. मंगल सेन: चेयरमैन साहब, आप जिस पद पर आसीन हैं ....। (व्यवधान)

चौ. भजन लाल: आप किस बात पर बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सभापति: नो इन्ट्रप्शन प्लीज। (व्यवधान) कृपया आप बैठ जाईए।

डा. मंगल सैन: आदरणीय सभापति जी, आप जिस पद पर आसीन हैं, उसको देखते हुए आपको बड़े अख्तियारात हैं। आप हमें बालने दें या न दें, लेकिन हमारी आपसे प्रार्थना है कि कृपा करके हमें सुन लिया करें, हम भी सदन के सदस्य हैं। आपने अभी माननीय सदस्य को कहा कि बैठ जाइए, जिस अन्दाज से कहा, इसमें थोड़ी सी गलतफहमी भी हो सकती है। (व्यवधान)

श्री सभापति: रूलिंग के बाद कोठ आरगूमैंट नहीं हो सकती। (व्यवधान)

डा. मंगल सैन: चेयरमैन साहब, मैं कह रहा था कि आप हमारे साथ किसी किस्म की कन्फ्रन्टेशन की नौबत नहीं आने देंगे। हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं लेकिन आप हमें सुन तो लिया करें। अगर आपकी समझ में हमारी बात न आये तो दूसरी बात है। (व्यवधान)

कामरेड शंकर लाल: चेयरमैन साहब, ...(व्यवधान)

श्री सभापति: कामरेड साहब, आप बैठ जाईए, आपका समय हो चुका है। अब भी देसराज जी बोलेंगे। (व्यवधान)

कामरेड शंकर लाल: सभापति महोदय, # # # #

श्री सभापति: कामरेड साहब जो बोल रहे हैं, यह रिकार्ड न किया जाए।

* चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया

चौ. भजन लाल: चेयरमैन साहब, आपके बार बार कहने के बावजूद भी अगर सदस्य न बैठे तो यह चेयर की बड़ी भारी तौहीन है। मैं सारे हाउस से प्रार्थना करूंगा, इस साईड से भी

ओर उस साइड से भी, कि सबको चेयर की इज्जत करनी चाहिए। इसी में हमारे हाउस की मर्यादा रहेगी ओर इसी में हम सब की इज्जत है। (विघ्न)

श्री सभापति: मैं सभी माननीय सदस्यों से रिक्वैस्ट करूंगा कि यह मर्यादा में रह करके हाउस की कार्यवाही को चलाने में मदद करें इस तरह से यदि हाउस की कार्यवाही में विघ्न डाला जाएगा तो मुझे मजबूर होकर किसी सदस्य को नेम करना पड़ेगा।

श्री मूल चन्द जैन: सभापति महोदय, जो इन्ट्रप्शन हो रही है वह सरकारी बेन्चिज की तरफ से हो रही है। (शोर)

चौ. रिजक राम: सभापति महोदय, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी माननीय सदस्यों से जो रिक्वेस्ट की थी, उसकी बाबू मूल चन्द जैन जी ने भी ताईद की। लेकिन इसके बावजूद भी हाउस में शोर शराबा है। इस तरह करने से बाहर की दुनियां हमारा मजाक उड़ाती है। इसलिये मैं मुख्यमंत्री जी से इतनी प्रार्थना जरूर करना चाहता हूं कि जो अपनी पार्टी में मैम्बर्ज हैं, उनको तो कम से कम चुप करायें। सबसे ज्यादा शोर ट्रेजरी बैन्चिज की तरफ से हो रहा है, वह नहीं होना चाहिए। सभापति महोदय, मैं भी महसूस करता हूं कि अपोजीशन वाले तो शोरगुल करने में खुश हैं, क्योंकि वे चाहते है कि अखबारों में यह बात

आए। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी के मैम्बर्ज को चुन रहना चाहिए। (शोर) (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)

डा. मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दोनों तरफ से सदस्यों को कहा कि हाउस की कार्यवाही को हाउस की गरिमा और डिगनिटी को ध्यान में रखते हुए चलाने की कृपा करें बाबू मूल चन्द जैन जी ने अपोजीशन के नेता होने के नाते मुख्यमंत्री जी की इस बात को स्वागत किया। अध्यक्ष महोदय, सदन की कार्यवाही में थोड़ी बहुत बातें हो जाती हैं लेकिन इस हद तक बात जब हो जाए जिससे मैम्बर को अपनी इनसल्ट महसूस हो तो फिर मामला आपे से बाहर हो जाता है। अभी कुछ देर पहले मेरी बहन सुशमा जी ने प्वायंट आफ आर्डर रेज किया तो चेयरमैन साहब ने उनको जिस ढंग से बैठने के लिये कहा मैंने यह बात उनके नोटिस में भी ला दी थी (शोर) अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे माननीय सदस्य चौ. रिजक राम जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी अपनी पार्टी पर कन्ट्रोल करें।

श्री अध्यक्ष: मैं चेयर की तरफ से आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपकी पूरी इज्जत करी जाएगी चाहे चेयरम में मैं होऊ चाहे डिप्टी स्पीकर साहब हो, चाहें कोई चेयरमैन हो।

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, अभी माननीय सदस्य चौ. रिजक राम जी ने कहा कि अपोजीशन वाले तो शोरगुल करने में

खुश हैं। स्पीकर साहब, मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि शोर मचाने के लिये तो हमारे पास बहुत मैटिरीयल है। (शोर)

Mr. Speaker: No interruptions please. Every respect will be given to all the hon'ble Members.

श्री मूल चन्द जैन: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा हाउस को एक इनफर्मेशन देना चाहता हूं कि श्रीमती सुशमा स्वराज बहुत सुलझे हुए मैम्बरों में से हैं वह जब भी कोई अपवना प्वायंट रेज करे तो उस समय चेयर पर चाहे स्पीकर साहब आप हों, चाहे डिप्टी स्पीकर साहब हों और चाहे कोई चेयरमैन हों, उनका प्वायंट आफर आर्डर सुन लिया करें और सननु के बाद ही उनके प्वायंट आफ आर्डर को अलाऊ या डि–अलाऊ कर सकते हैं। मुझे बड़ा अफसोस है कि श्रीमती सुशमा स्वराज जी के प्वायंट आफ आर्डर को सुना ही नहीं गया और एक दफा तो उनको बोलने की इजाजत भी नहीं दी गई।

Mr. Speaker: Babu Ji, I will take full cognizance of your views. I agree that Smt. Sushma Swaraj is one of our able legislators and I will give full respect to her views.

चौ. देस राज: स्पीकर साहब मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाशण की स्पोर्ट करने के लिये अपने कुछ बातें हाउस के सामने रखना चाहता हूं। श्री शंकर लाल जी ने राज्यपाल के अभिभाशण पर बोलते हुए कहा कि मंहगाई बहुत बढ़ गई है। चीजों की प्राईस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। स्पीकर साहब, माननीय

सदस्य श्री शंकर लाल जी को कोई चीज ही नहीं खरीदनी पड़ती, पता नहीं ये प्राईस का अन्दाजा कहां से ले आए, कहां से नहीं। कल बाबू मूल चन्द जैन जी को कह रहे थे कि लोकदल का मैनीफैस्टो हाउस में पढ़ करके सुना दें। वैसे तो बाबू जी हमारे बुजुर्ग है। (शोर)

कामरेड शंकर लाल: अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने दिया जाए यह मेरा बोलने का समय है।

श्री अध्यक्ष: शंकर लाल जी आज आपको बोलने का काफी मौका दिया है। अब तो आप बैठ जाईए।

चौ. देस राज: स्पीकर साहब, बाबू मूल चन्द जैन जी भूल गए उस बात को, जब ये वित्त मंत्री थे तब इन्होंने अपना बजट पेश किया था तब इन्होंने अपनी बजट स्पीच को पढ़ना शुरू किया तो उस समय इन्हीं की रूलिंग पार्टी के की स्पीच की कापी फाड़ कर सदन में फैक दी। वह क्यों? इसलिये क्योंकि वह किसान था। (शोर)

श्री प्रीत सिंह: अध्यक्ष महोदय, आन ए प्वायंट आफ आर्डर, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि बजट स्पीच की कापी फाड़ी गई। क्या अस बात की कोई रैलेवेन्सी है?

Mr. Speaker: Your point of order is over-ruled. I would request the Hon. Members not to case personal aspersions on each other.

Ch. Des Raj: I have referred to the speech of Babu Mool Chand Jain, which he delivered yesterday.

चौ. देस राज: अध्यक्ष महोदय, कल राज्यपाल महोदय के ऐड्रैस पर बोलते हुए चौ. गंगा राज जी ने कहा था कि किसानों की फसलैं उजड़ रही है, बरबाद हो रही है अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे यह कहना चाहता हूं कि यही लोग किसानों की कसीदगी करते थे। यही लोग उनकी फसल को उजाड़ने की कोशिश करते थे। इसके बाद इन्होंने कहा कि स्वामी आदित्यवेश जी फोरन कंट्रीज के टूर पर गये और इसर सरकार ने उनके टूर के लिये पैसा खर्च किया, किसानों के लिये कुछ नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या चौ. गंगा रनाम जो वे दिन भूल गये जब ये फोरन कंट्रीज के टूर पर गये थे तो एयर कंडीशंड बाक्स में और हवाई जहाज में बैठकर गये थे तब इनको किसानों की याद नहीं आई आज ये किसानों की बात करते हैं। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, कारपोरेशंज के बारे में बात आई कि इनको खत्म किया जाए। अध्यक्ष महोदय, डा. साहब के दिमाग में एक यही बात रहती है कि किसी कमेटी में या किसी बोर्ड में मैम्बर बनने से पीछे न रह जाएं। यहां हाउस में जब इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट का सवाल आया था उसमें इनकी क्या हालत हुई उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अध्यक्ष महोदय, चौ. भजन लाल जो की सरकार में एग्रीकल्चर को, लेबर की ओर बैकवर्ड क्लासीज की कितनी तरक्की हुई है, में उस पर थोड़ी रोशनी डालूंगा जोकि गवर्नर ऐड्रैस में दिखाई गई है। चौ. भजन

लाल जी की सरकार ने गेहूं के भाव के लिये 145 रूपये प्रति क्विंटल की सिफारिश की है। अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पिछले दो सालों में गन्ने को दो रूपए क्विंटल के भाव में भी किसी ने पूछा नहीं। वह गन्ना खेतों में खड़ा रहा और बाद में किसानों ने उस गन्ने को जलाया। उसी गन्ने का भाव जो पिछले दिनों सैंटर में लोकदल की काम चलाऊ सरकार थी उसने साढ़े 12 रूपये किया था। चौ. भजन लाल जो की सरकार ने गन्ने का भाव 14 रूपए से लेकर 16 रूपए किया था। माननीय सदस्य कामरेड शंकर लाल जी और चौ. गंगा राम जी ने कहा कि आज चीनी बाजार में साढ़े 5 रूपए किलो मिलती है। अध्यक्ष महोदय, क्या वे इस बात को भूल गये हैं कि आज किसानों का गन्ना क्रैशर में 26 रूपये से लेकर 29 रूपये प्रति क्विंटल के हिबास से बिक रहा है। आज यमुनानगर की शुगर मिल भी 19 रूपए क्विंटल के हिसाब से गन्ना ले रही है। जहां तक गुड़ और शक्कर का सवाल है वह भी किसान का 200 रूपए से लेकर क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं कामरेड शंकर और चौ. गंगा राम जी के बारे में एक बात कहता हूं कि ये * * * * पता नहीं इन्होंने ये आंकड़े कहां से लिये .....(शोर)

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

चौ. गंगा राम: अध्यक्ष महोदय, चौ. देसराज जी कह रहे हैं कि पता नहीं इन्होंने कहां से ये आंकड़े लिये हैं ये तो * * * * अध्यक्ष महोदय, हाउस के अन्दर * * * * (शोर)

श्री अध्यक्ष: जो डैरोगेटरी वर्डज यहां यूज हुए हैं, वे रिकार्ड पर न लाए जाएं। (शोर)

चौ. देस राज: अध्यक्ष महोदय कल चौ. उदय सिंह दलाल जी गेहूं आदि की कीमतों की बात कर रहे थे। लेकिन मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि लोकदल की काम चलाऊ सरकार ने पैडी के 13 ग्रेड बनाए थे और जीरी 80 रूपए क्विंटल बिकी थी। किसानों के साथ बड़ा भेदभाव बरता गया। उनका अनाज मंडियों में जाकर सड़ता रहा। इंस्पैक्टर्ज ने किसानों के साथ खिलवाड़ किया लेकिन आज पैडी के केवल 2 ग्रेड बनाए गए हैं और किसानों को मंडियों में जाकर कोई मुसीबत नहीं उठानी पड़ती।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक सूखे का ताल्लुक है, यह न सिर्फ हरियाणा में बल्कि सारे देश में पड़ा है। कुदरत की बात को कोई रोक नहीं सकता लेकिन हमारी सरकार ने सूखे से पीड़ित किसानों के कर्जे माफ किए, तकावी माफ की, आबियाना माफ किया और उनको फर्टिलाइइजर आदि सबसिडिइज्ड रेट पर दिया जबकि उस वक्त की लोकदल की काम चलाऊ सरकार ने हमारी सरकार को कोई विशेश इमदाद नहीं दी। हमने उनसे 20 करोड़ रूपया मांगा था लेकिन उस सरकार ने सिर्फ 4 करोड़ रूपया दिया कितने अफसोस की बात हे कि जो सरकार दम तो भरती हो किसानों का लेकिन सूखाग्रस्त इलाके में उनको ग्रान्ट तक न दें।

स्पीकर साहब, जहां तक ऐजुकेशन का ताल्लुक है, इस क्षेत्र में भी सरकार ने प्रशंसनीय काम किया हैं। सारे के सारे ऐडहाक टीचर्ज को, जो दस दस, पन्द्रह साल के ऐडहाक बेसिज पर काम कर रहे थे, जिनका भविश्य अन्धकारमय था, हमारी भजन लाल सरकार ने रेगुजर किया है। (प्रशंसा) इसी तरह से दूसरे ऐडहाक ऐम्पलाइज को भी, जिनकी 31 दिसम्बर 1979 को दो साल की सर्विस हो गई थी, रैगुलर कर दिया है। (प्रशंसा) इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि ऐम्पलाइज के इन्ट्रैस्ट में पे कमीशन की रिपोर्ट प्रोसैस हो रही है। कुछेक कर्मचारियों को नए स्केल दिए भी जा चुके हैं जिससे उनको काफी फायदा हुआ है।

स्पीकर साहब, यहां डीजल सप्लाई की बात भी आई। फूड एंड सप्लाईज मिनिस्टर उसका डिटेल में जवाब दे चुके हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नत है कि हमारी सरकार किसानों को डीजल, सीमेंट और मिट्टी का तेल आदि सभी चीजें बहुतायत से देना चाहती है जबकि लोकदल की काम चलाऊ सरकार ने इस मामले में भी हमारे साथ इमत्याज बरता था। हमारे मुख्यमंत्री चौ. भजन लाल जी ने मनोनीत प्रधान मंत्री चौ. चरण सिंह जी से प्रार्थना की थी कि हरियाणा प्रान्त का डीजल का कोटा बढ़ा दिया जाए लेकिन चौ. चरण सिंह जी ने इस बात को मानने से इन्कार कर दिया था क्योंकि

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

हरियाणा में किसान नहीं बसते थे। उन्होनं हमारी सरकार को न सिर्फ डीजल का कोटा कम दिया,, सीमेंट का कोटा कम दिया बल्कि मिट्टी के तेल का कोटा भी कम दिया। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मुख्यमंत्री जी से एक अर्ज करना चाहूंगा कि मिट्टी के तेल का डिस्ट्रिब्यूशन गांव में मिनी बैंकस के थ्रू किया जाए क्योंकि आज टाउन में तो लोगों को तेल मिल जाता है परन्तु गांव में नहीं मिलता। (विघ्न) स्पीकर साहब, एक शेर अर्ज है–

आप अपने ऐब से वाकिफ नहीं होता कोई,

जैसे बू अपने दहन की आती है कम नाक में।

कहने का मतलब यह है कि लोकदल वालों को अपनी गल्तियों का तो पता नहीं है लेकिन हमारी गल्तियां बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। (विघ्न)

श्री मूल चन्द जैन: एक शेर और सुना दो।

चौ. देस राज: बाबू जी दूसरा शेर भी सुन लीजिएं अर्ज है –

कुछ देर नहीं कुछ अन्धेर नहीं,

यहां इन्साफ और अदल परस्ती है,

इस हाथ करो उस हाथ मिले,

यह सौदा दस्तबदस्ती है।

श्री मूल चन्द जैन: इसका मतलब भी समझा है। (विघ्न)

चौ. देस राज: स्पीकर साहब, बाबू मूल चन्द जी बैठे हैं। उनके लिये मैंने यह कहा है और उन्होंने इसे सुन भी लिया है तथा समझ भी लिया है।

स्पीकर साहब, यह ठीक है कि बिजली की हमारे यहां कुछ कमी है लेकिन इसमें कुदरत का बड़ा हाथ है। बारिश न होने से सूखा भी पड़ा ओर बिजली भी कम पैदा हुई। लेकिन भजन लाल जी की सरकार इस दिशा में भी प्रशंसनीय कदम उइा रही है। नाथपा झाकरी प्रोजैक्ट से बिजली प्राप्त करने के लिये इसने हिमाचल सरकार से समझौता किया है। थीन बांध परियोजना में से भी इसने अपने हिस्से की मांग की है। एस.वाई.एल. प्रोजैक्टस को भी यह जल्दी से जल्दी कामयाब बनाएगी। पानीपत में एक थर्मल प्लान्ट तो चालू हो गया है ओर दूसरे प्लान्टस भी जल्दी ही चालू हो जाएंगे। इन सब प्रयत्नों से मुझे उम्मीद है कि हरियाणा में बिजली की कमी नहीं रहेगी और हरियाणा खूब तरक्की करेगा और फिर हरियाणा की तरक्की से हमारी तरक्की होगी। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, भजन लाल सरकार जो बात कहती है वह करती भी है। मैं चौ. गंगा राम जी को यह भी बताना चाहता हूं कि चौ. भजन लाल जी की सरकार ने पिछड़ी श्रेणियों के लिये नौकरियों में

रिजर्वेशन का कोटा 5 प्रतिशत से बढ़ा कर 10 प्रतिशत किया है। (विघ्न)

श्री भले राम: यह तो मेहरबानी है सी.एम. साहब की कि इन्होंने कोटा पांच परसैंट से बढ़ा कर दस परसैंट किया लेकिन वह सकुलर आज तक डिपार्टमैंस में नहीं पहुंचा।

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, 18 सितम्बर को हमने यह फैसला किया था और उसी दिन चिट्ठी जारी कर दी थी।

चौ. देस राज: स्पीकर साहब, अब मैं ज्यादा न कहते हुए आपसे आज्ञा चाहता हूं और गवर्नर ऐड्रैस का समर्थन करता हूं।

Mr. Speaker: Hon. Members, the House stands adjourned till 9.00 a.m. tomorrow, the 7th March, 1980.

13.30 बजे

(The Sabha then *adjourned till 9.00 hrs. on Friday, the 7th March, 1980).

ANNEXURE

Per Head supply of water in the Road & Urban areas.

1462. Shri Hira Nand Arya: Will the Minister for Public Works (Public Health) be pleased to state-

(a) whether any norm for water supply per head in the rural and urban areas in the State has been fixed, if so, the details thereof;

(b) the names of the villages where water at the rate of five gallons per head is being supplied ; and

(c) the population of each villages referred to in (b) above at the time of the start of water supply scheme together with their present population ?

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Mehar Singh Rathi):

(a) Yes.

Rural areas :

10 gallons per head per day.

Urban areas :

Towns with population up-to 10000 persons 10 to 20 gallons per head per day.

-do-	-do-	from 10000 to 50000	20 to	-do-

		persons	25	
-do-	-do-	above 50000 persons 25 to 45	25 to 45	-do-
(b) & (c) The requisite information is given in the statement.				

STATEMENT

	Name of district		Name of Villages	Population of villages at the time of commistioning of water supply	Present population
	1		2	3	4
1	Ambala	1	Masumpur	108	137
		2	Gobindpur	296	372
		3	Bodhaur	498	533
		4	Mirpur	246	312
		5	Rohana	495	626
		6	Bharauli	308	384
		7	Rampur	522	661
		8	Khetpurali	420	530
		9	Dulopur	51	67
		10	Tirlokpur	280	340
		11	Taprian	825	1093
		12	Kandiawala	200	303

		13	Bhud	50	168
2.	Bhiwani	14	Channana	318	544
		15	Daryapur	1123	1732
		16	Miran	2162	3662
		17	Jhuli	550	763
		18	Sidhan	685	976
		19	Bhera	1096	1503
		20	Mandhan	1100	1564
		21	Devawas	916	1052
		22	Isharwal	1859	2064
		23	Katwar	553	929
		24	Khewa	521	690
		25	Buran	768	1021
		26	Rodha	1019	1175
		27	Salohwala	572	822
		28	Sandwa	2252	3220
		29	Kalod	1227	1498
		30	Talwani	632	813
		31	Gudha	954	1380

		32	Gangola	838	1192
		33	Jhumpa Kalan	1638	2216
		34	Jhumpa Khurd	478	691
		35	Kalali	519	748
		36	Bidhwan	1461	1746
		37	Khani Bhakran	710	1159
		38	Siwach	386	546
		39	Matani	954	1328
		40	Mand holi Kalan	996	2282
		41	Mithi	1082	1440
		42	Morka	770	1165
		43	Surpura Kalan	948	1234
		44	Surpura Khurd	619	1121
		45	Garwa	1080	1543
		46	Patwan	1180	1559
		47	Behal	2969	4530
		48	Sudhiwas	403	545
		49	Budhsholi	842	1256

		50	Kharkhari	130	106
		51	Gadwa	331	438
		52	Bura	1151	1822
		53	Sharwa	1706	2435
		54	Bobeta	378	493
		55	Geranpura	1398	1785
		56	Gurera	1621	2675
		57	Mohila	345	600
		58	Lilus	755	1291
		59	Dhani Silanwali	555	664
		60	Payal	409	716
		61	Talwandi Ruka	1327	1630
		62	Talwandi Badshah Pur	1478	2285
		63	Charnand	478	618
		64	Dhul Kot	692	763
		65	Khera	328	1400
		66	Kiral	239	667

		67	Siwani	4105	8746
		68	Baganwala	114	1821
		69	Jhanwari	551	866
		70	Lachm anpara	617	958
		71	Dadon	995	1251
		72	Pinjokhera	1084	1451
		73	Garon Pura	451	861
		74	Garon Pura Khurd	671	950
		75	Khanak	2580	3221
		76	Chapar Jogian	502	635
		77	Chapar Rangran	523	838
		78	Saral	1102	1750
		79	Thilar	277	1049
		80	Badola	985	1333
		81	Badalwara	148	241
		82	Patandi	1105	1505
		83	Bheri Was	611	909

		84	Toshan Rural	1829	2551
		85	Kharkri Makwan	1439	1895
		86	Sagban	2170	3128
		87	Loharu Jattu	3000	4921
		88	Kheri Bura	974	1863
		89	Khera Buter	564	1069
		90	Dhani Tkan	2120	3659
3	Faridabad	91	Dighot	4290	6330
		92	Alimeo	2818	4157
		93	Auranga Bad	4030	5942
4	Hissar	94	Bhanana	2000	3404
		95	Dabra	2000	2987
		96	Ladwa	3000	4981
		97	Mayyar	1625	2320
		98	Bichpari	5000	2013
		99	Sarsoad		3159
		100	Jeora		2211
		101	Balsmand	5000	7383

		102	Daulatpur	3000	3824
		103	Parbhu wala	2456	3435
		104	Hassangarh	3000	3769
		105	Khanda Kheri	4000	5875
		106	Bhatal Jattal		3325
		107	Bhatal Rangral	6000	1741
		108	Jitpura		680
		109	Kharkhara		2539
		110	Data	3000	4814
		111	Uglana		4807
		112	Baklana	5200	2830
		113	Kheri Rangran		443
		114	Channot	3302	3395
		115	Qutabpur	2264	2672
		116	Masudpur	3500	4764
		117	Sisar		3198
		118	Kharbala	6601	3670
		119	Mirchpur	5500	6639
		120	Milkpur	1681	1404

		121	Dhand	3309	2985
5	Jind	122	Ramkali	930	1707
		123	Harnam Singhwala	400	1025
6	Mohindergarh	124	Majrapura	3000	1934
		125	Bichhoda		1619
		126	Barda	1800	2375
7	Sirsa	127	Tejia Khera	935	1063
		128	Sahuwala	1017	1200
		129	Rampura Dhilon	1100	1770
		130	Najia Khera	762	954
		131	Makho Sharani	1317	1375
		132	Giga Rani	1207	1424
		133	Bara Gudha	1856	2759
		134	Odhan	1880	4215
		135	Mithri	900	1539
		136	Desu Malkana	2800	3192
		137	Kaluwana	2000	319

		138	Lakhuana	1220	1546
		139	Bijuwali	850	1068
		140	Kharkhoda	6580	9178